



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]
No. 130]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2008/फाल्गुन 29, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2008/PHALGUNA 29, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

सा.का.नि. 196(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के खंड 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष और प्रारंभण.—

- (i) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—

- (i) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (क) 'अधिनियम' का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006
 - (ख) 'निर्धारित दिन' का अर्थ है वह तारीख 1 अक्टूबर, 2007 जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया था।
 - (ग) 'प्राधिकृत क्षेत्र' का अर्थ है सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकृत किसी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (जिसे इसमें आगे सीजीडी नेटवर्क कहा गया है) के लिए निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें अनुसूची 'क' में वर्णित निम्नलिखित श्रेणियां, चाहे वे पृथक हों या उसके संयोजन में हों आर्थिक रूप से व्यवहार्य श्रेणी या उसके निकट हों, में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात् :—
 - (i) सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र या उसका कोई भाग, नगर निगम क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य शहरी क्षेत्र, गांव, ब्लॉक, तहसील, उप-खण्ड या जिला या उसका कोई

संयोजन; और

- (ii) उप-खण्ड (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र का कोई अन्य क्षेत्र
- (घ) 'बोर्ड' का अर्थ है अधिनियम के खण्ड 3 के उप खण्ड (1) के अन्तर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड।
- (ङ.) 'सिटी गैस स्टेशन' (जिसे आगे सीजीएस कहा गया है) का अर्थ है वह केन्द्र जहाँ सीजीडी नेटवर्क की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का अभिरक्षा अन्तरण किया जाता है।
- (च) 'सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार' का अर्थ है वह प्रभार (सांविधिक करों और वसूलियों को छोड़कर) जो किसी सीएनजी केन्द्र में ग्राहकों को बाद में वितरित करने के लिए प्राकृतिक गैस को कम्प्रेशन प्राकृतिक गैस (जिसे इसमें आगे सीएनजी कहा गया है) में ऑनलाइन कम्प्रेशन के लिए रुपए प्रति कि.ग्रा. वसूल किया जाता है।
- (छ) 'सीजीडी नेटवर्क का विकास' का अर्थ है नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करना।
- (ज) 'नेटवर्क शुल्क' का अर्थ है सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए रुपए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में शुल्क (सांविधिक करों और वसूलियों को छोड़कर) की भारित औसत इकाई दर।
- (झ) "पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस" (जिसमें इसे आगे पीएनजी कहा गया है) का अर्थ है किसी घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक खण्ड के किसी ग्राहक के उपभोग के लिए सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइनों के जरिए भेजी गई प्राकृतिक गैस और इसमें इसको कंप्रेस करके पूर्व ऑनलाइन सीएनजी केन्द्र को आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस शामिल है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

- (1) ये विनियम सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाले या बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव देने वाली कंपनी पर लागू होंगे।

(2) सीजीडी नेटवर्क को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के सतत् आधार पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की मात्रा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के सम्बद्ध विनियमों में विनिर्दिष्ट दाब पर प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा अर्थात:-

(क) 50,000 एससीएमडी तक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता वाले ग्राहकों को सीजीडी नेटवर्क के जरिए आपूर्ति की जाएगी।

(ख) 50,000 एससीएमडी से अधिक और 100,000 एससीएमडी तक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता वाले ग्राहकों को आपूर्ति -

(i) सीजीडी नेटवर्क के जरिए; या

(ii) पाइपलाइन के जरिए जो सीजीडी नेटवर्क का हिस्सा न हो।

(ग) 100,000 एससीएमडी से अधिक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता वाले ग्राहकों को ऐसी पाइपलाइन के जरिए आपूर्ति की जाएगी जो सीजीडी नेटवर्क का हिस्सा न हो।

4. बोर्ड द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति या स्व-प्रेरणा के माध्यम से प्रस्ताव की सूचना

(1) सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की इच्छुक कोई कंपनी बोर्ड को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2007 के अंतर्गत निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ अनुसूची 'ख' पर दिए गए प्रपत्र पर रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी।

(2) बोर्ड किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में रुचि रखने वाली कंपनियों से स्वयं बोलियां आमंत्रित कर सकता है।

5. रुचि अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति/फर्म का चयन करने के मानदण्ड

(1) बोर्ड निम्नलिखित के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति का प्रारम्भिक आकलन कर सकता है, अर्थात-

(क) प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की स्थिति

(ख) टैंक ट्रकों या टैंक वैनलों द्वारा एलएनजी आपूर्तियों और कास्केड्स द्वारा सीएनजी आपूर्तियों सहित प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के सिटी गेट तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए मौजूदा या प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संभावित कनेक्टिविटी; और

(ग) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाने वाला कोई अन्य संगत मुद्दा।

(2) बोर्ड रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर और अपने प्रारम्भिक आकलन के आधार पर रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने की सूचना कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में और एक स्थानीय समाचार पत्र में (वेब पर डालने सहित) विज्ञापन प्रकाशित करेगा और तीस दिनों की अवधि में सार्वजनिक प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है या रुचि की अभिव्यक्ति को रद्द कर सकता है।

परन्तु यह कि यदि बोर्ड रुचि की अभिव्यक्ति को रद्द कर देता है तो वह उस व्यक्ति/फर्म को रुचि की अभिव्यक्ति को रद्द करने के कारणों सहित निर्णय की सूचना देगा।

(3) जन परामर्श प्रक्रिया की अवधि के दौरान कोई भी कंपनी रुचि की अभिव्यक्ति पर अपने विचार लिखित में बोर्ड को दे सकती है।

(4) बोर्ड, प्राप्त हुए विचारों के आधार पर और अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट मानदण्डों पर विचार करते हुए उस निर्णय सहित, चाहे वे रुचि की अभिव्यक्ति में दिए गए निर्णय से अलग हों, प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क का क्षेत्र निर्णय ले सकता है या निर्धारित कर सकता है।

(5) बोर्ड जन परामर्श प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 15 दिनों की अवधि में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के प्रस्ताव को कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (वेब पर डालने सहित) के माध्यम से प्रकाशित करेगा और उसके लिए बोलियां आमंत्रित करेगा।

(6) बोर्ड उस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुई केवल उन प्रविष्टियों की संवीक्षा करेगा जो निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों- अर्थात्

(क) कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2007 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवेदन-सह-बोली सहित आवेदन शुल्क अदा किया हो।

बशर्ते कि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी, जिसने रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते समय आवेदन शुल्क पहले ही अदा कर दिया है, इस स्थिति में तब तक आवेदन शुल्क अदा नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकृत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण अतिरिक्त आवेदन शुल्क अदा करना आवश्यक न हो।

(ख) कंपनी निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों के अनुसार सीजीडी नेटवर्क बिछाने और निर्माण करने में तकनीकी रूप से सक्षम हो अर्थात्:-

(i) कंपनी ने इससे पूर्व संचयी आधार पर कम से कम 300 किलोमीटर लम्बी हाइड्रोजन पाइपलाइन या सीजीडी नेटवर्क बिछाया हो या निर्माण किया हो।

(ii) कंपनी का किसी अन्य व्यक्ति/फर्म (उस कंपनी के साथ कम से कम 11% की इक्विटी धारिता हो) ने पूर्व में संचयी आधार पर कम से कम तीन सौ किलोमीटर लम्बी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन या सीजीडी नेटवर्क बिछाई हो या निर्माण किया हो।

(iii) कंपनी तकनीकी रूप से सक्षम एक या अधिक फर्मों, जिन्होंने पूर्व में संचयी आधार पर कम से कम तीन सौ किलोमीटर लम्बी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन या सीजीडी नेटवर्क बिछाई हो या निर्माण किया हो, के माध्यम से एकमुश्त टर्नकी या परियोजना प्रबंधन परामर्शी आधार पर प्रस्तावित नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क बिछाने और निर्माण करने की इच्छुक हो और व्यक्ति/फर्म ने अपनी तकनीकी क्षमता के उपर्युक्त प्रमाण सहित उन फर्मों की सूची भी संलग्न की होगी।

बशर्ते कि वह कंपनी परियोजना निष्पादन के समय उन फर्मों में से फर्मों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगी और बोर्ड को सूची में शामिल की गई फर्मों के प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन करने का और कोई स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होगा; या

(iv) कंपनी के पास हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों का निर्माण करने, प्रारंभण-पूर्व और प्रारंभण कार्यों के तकनीकी रूप से अनुभवी पर्याप्त कार्मिक हों और एकल आधार पर सीजीडी परियोजना को स्वतंत्र रूप से प्रारम्भ करने और निष्पादित करने की क्षमता हो।

स्पष्टीकरण - कंपनी के पास कम से कम तीन तकनीकी रूप से योग्य स्थायी कार्मिक हों जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो- अर्थात:-

- (i) अधिग्रहण और स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार;
- (ii) हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन परियोजना का डिजाइन और निष्पादन;
- (iii) हाइड्रो-परीक्षण सहित प्रारम्भण पूर्व कार्य और पुनः प्राप्ति; और
- (iv) हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन और स्थापनाओं की सुरक्षा;

(ग) कंपनी निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों के अनुसार सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम हो, अर्थात:-

- (i) कंपनी को स्वयं सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो;
- (ii) कंपनी को ऐसे किसी अन्य कंपनी के संयुक्त उद्यम में (उस कंपनी में न्यूनतम 11 प्रतिशत की शेयरधारिता) सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो;
- (iii) कंपनी किसी अन्य पार्टी, जिसे सीजीडी नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो, के साथ न्यूनतम एक वर्ष के उपयुक्त तकनीकी सहायता समझौते के माध्यम से प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करने की इच्छुक हो;
- (iv) कंपनी के पास हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों के प्रारम्भण और प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) में तकनीकी रूप से योग्य कार्मिक हों और उनके पास एकल आधार पर सीजीडी परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण कार्यकलाप स्वतंत्र रूप से करने की विश्वसनीय योजना भी हो।

स्पष्टीकरण

1. उप-खण्ड (iii) के संबंध में -
 - (क) कंपनी अपनी आवेदन-सह-बोली में उन प्रस्तावित फर्मों जिसके साथ मिलकर वह तकनीकी सहायता करार करने की इच्छुक है, के संगत प्रमाण और विश्वसनीय योजनाओं सहित पूरी सूची देगी और कंपनी प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए इस सूची में से किसी एक या एक से अधिक फर्म का चयन कर सकती है और बोर्ड को इस सूची में शामिल फर्मों के प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन करने और किसी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने का अधिकार है।
 - (ख) कंपनी नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के लिए आंतरिक प्रचालन और अनुरक्षण दल विकसित करने के लिए बोली देने सहित विश्वसनीय योजना भी प्रस्तुत करेगी।
2. उप-खण्ड (iv) के संबंध में कंपनी के पास तकनीकी रूप से योग्य न्यूनतम तीन स्थायी कार्मिक हों जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो, अर्थात:-
 - (क) हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों का प्रारम्भण,

- (ख) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का प्रचालन और अनुरक्षण तथा गैस कम्प्रेसरों सहित प्राकृतिक गैस स्थापनाएं
- (ग) गैस का मूल्य निर्धारण, गैस मापन, लेखाकरण, बिलिंग और संग्रहण सहित वाणिज्यिक मुद्दे; और
- (घ) प्राकृतिक गैस अवसंरचनाओं की सुरक्षा।
- (घ) कंपनी सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो।
- (ङ.) कंपनी प्राधिकृत क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना को निष्पादित करने, प्रचालन करने और उसका अनुरक्षण करने में वित्तीय रूप से सुदृढ़ स्थिति में दो और एक सीजीडी नेटवर्क के लिए बोली लगाने हेतु निम्नलिखित वित्तीय मानदण्डों को पूरा करती हो, अर्थात:-

टीयर	भारतीय जनगणना, 2001 या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अन्य अभिलेखों के अनुसार प्राधिकृत क्षेत्र में जनसंख्या जिसके अनुसार भी अधि हो।	प्रवर्तकों के कम्फर्ट पत्र द्वारा समर्थित एकल सीजीडी नेटवर्क में निवेश के लिए उपलब्ध प्रवर्तकों सहित कंपनी की न्यूनतम संयुक्त निवल सम्पत्ति (*)
(1)	(2)	(3)
I	5 मिलियन या अधिक	= 5 मिलियन जनसंख्या के लिए 1,500 मिलियन रुपए और 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या के लिए आनुपातिक रूप से अधिक (\$)
II	01 मिलियन या अधिक लेकिन 5 मिलियन से कम	= 1,000 मिलियन रुपए
III	0.5 मिलियन या अधिक लेकिन 01 मिलियन से कम	= 500 मिलियन रुपए
IV	0.25 मिलियन या अधिक लेकिन 0.50 मिलियन से कम	= 250 मिलियन रुपए
V	0.1 मिलियन या अधिक लेकिन 0.25 मिलियन से कम	= 100 मिलियन रुपए
VI	0.1 मिलियन से कम	= 50 मिलियन रुपए

- (*) संयुक्त निवल सम्पत्ति (साम्या शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित लेकिन पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि को छोड़कर) में पर्याप्त नकद निधि- हो जो पूरक वित्त के रूप में उपलब्ध हो और कंपनी तथा उसके प्रवर्तकों की नवीनतम वित्तीय स्थिति पर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित परियोजना में प्रवर्तकों के साम्या अंशदान के रूप में हो। परियोजना के प्रवर्तकों के वित्तीय अंशदान को प्राधिकार दिए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर साम्या शेयर पूंजी में

परिवर्तित करने का उल्लेख करते हुए कम्फर्ट पत्र के रूप में प्रवर्तकों का बंधपत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

- (§) उदाहरण के लिए, यदि जनसंख्या 12 मिलियन हो तो संयुक्त निवल सम्पत्ति न्यूनतम 3,600 मिलियन (अर्थात् 1,500 मिलियन x 12/5) के बराबर होगी।
- (च) कंपनी यदि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नहीं है तो सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किए जाने पर वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी बन जाएगी;
- (छ) कंपनी के पास प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क में आपूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की विश्वसनीय योजना होनी चाहिए;
- (ज) कंपनी निम्नलिखित के बराबर राशि बोली बांड प्रस्तुत करेगी:-

- (i) पांच मिलियन जनसंख्या के लिए 50 मिलियन रुपए और पांच मिलियन से अधिक जनसंख्या के लिए आनुपातिक रूप से अधिक राशि।

उदाहरण - नगर या स्थानीय क्षेत्र की बारह मिलियन जनसंख्या के मामले में बोली बांड एक सौ बीस (120) मिलियन रुपए (अर्थात् 50 मिलियन रुपए x 12/5) होगी;

- (ii) एक मिलियन और अधिक लेकिन पांच मिलियन से कम जनसंख्या के लिए तीस मिलियन रुपए।
- (iii) आधा मिलियन और अधिक लेकिन एक मिलियन से कम जनसंख्या के लिए बीस मिलियन रुपए।
- (iv) चौथाई मिलियन और उससे अधिक लेकिन आधा मिलियन से कम जनसंख्या के लिए पचास मिलियन रुपए।
- (v) 1/10 मिलियन और अधिक लेकिन एक चौथाई मिलियन जनसंख्या के लिए दस मिलियन रुपए।
- (vi) 1/10 मिलियन से कम जनसंख्या के लिए पांच मिलियन रुपए।

- (झ) बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी पर अधिनियम के अध्याय IX के अन्तर्गत कोई दण्ड या धारा 28 के अन्तर्गत कोई शास्ति नहीं लगाई गई हो।

- (ज) यदि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी खण्ड (क) से (छ) तक में दिए गए मानदण्ड की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को अस्तीकृत कर दिया जाएगा और उसे इस आशय की सूचना दी जाएगी और उस कंपनी की बोली नहीं खोली जाएगी।
- (ट) बोली बांड -
- (i) का नकदीकरण कराया जाएगा, यदि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी, बोली छोड़कर चली जाती है।
 - (ii) बोली प्रस्तुत करने वाली असफल रही कंपनी के मामले में बोली बांड निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
 - (iii) सफल बोलीदाता द्वारा प्राधिकार के समय निर्धारित निष्पादन बांड प्रस्तुत किए जाने तक बोली बांड को रोक लिया जाएगा।
- (7) आवेदन-सह-बोली अनुसूची 'ग' में निर्दिष्ट प्रपत्र पर दो भागों में अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी जिस पर स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए:-
- (क) भाग-I। (तकनीकी बोली) जिसमें उप-विनियम (6) के अन्तर्गत न्यूनतम पात्रता मानदण्ड सहित कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी ब्यौरा शामिल है।
 - (ख) भाग-II। (वित्तीय बोली) विनियम-7 के अन्तर्गत आने वाले वित्तीय ब्यौरे।
- (8) सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय देना और अधिसूचित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी आवेदन-सह-बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (9) बोर्ड विज्ञापन के जरिए बोली प्रस्तुत करने की तारीख को एक माह तक की अवधि के लिए उप-विनियम (5) के अन्तर्गत दिए हुए तरीके से मूल विज्ञापन के प्रत्युत्तर में केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्राप्त होने में अवधि बढ़ाने की तरह ही बढ़ा सकता है।

6. सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए बोर्ड द्वारा आमंत्रण

बोर्ड किसी नगर या भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के संबंध में स्वयं कोई दृष्टिकोण बना सकता है और उस मामले में विनियम 5 (रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित पहलुओं को बोर्ड द्वारा तैयार किए गए परियोजना ब्यौरे द्वारा प्रतिस्थापित पहलुओं को छोड़कर) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि लागू होगी।

7. बोली मानदण्ड

- (1) बोर्ड प्राधिकार के प्रस्तावों पर विचार करते समय नीचे दिए गए बोली मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाली सभी वित्तीय बोलियों की सूची तैयार करेगा और उनकी तुलना करेगा-

(क) सीजीडी नेटवर्क परियोजना की आर्थिक कालावधि (प्राधिकारी की तारीख से पच्चीस वर्ष) में प्राकृतिक गैस (सीएनजी के लिए ऑनलाइन कम्प्रेसर को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सहित) के प्रत्येक श्रेणी के ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के उपयोग के लिए समग्र इकाई नेटवर्क शुल्क के मौजूदा मूल्य में कमी। कंपनी को परियोजना की आर्थिक कालावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए शुल्क प्रभार हेतु बोली देनी अपेक्षित होगी इसे 40 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी।

(ख) परियोजना की आर्थिक कालावधि में प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी केन्द्रों में वितरण के लिए सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के मौजूदा मूल्य में कमी करता। कंपनी को परियोजना की आर्थिक कालावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए कंप्रेशन प्रभार हेतु बोली देनी अपेक्षित होगी। इसे 40 प्रतिशत की तरजीह दी जाएगी।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट सामान्य वाहक या संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार की छूट के रूप में विशिष्टता तथा उस अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क में बिछाए जाने के लिए प्रस्तावित स्टील पाइपलाइन के इंच-किलोमीटर के मौजूदा मूल्य की अधिकता। कंपनी को विशिष्टता अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सीजीडी नेटवर्क में स्टील पाइपलाइन के इंच-किलोमीटर हेतु बोली देना आवश्यक होगा। इसे 40 प्रतिशत की तरजीह दी जाएगी।

(घ) कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 में निर्दिष्ट सामान्य वाहक या संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार की छूट के रूप में विशिष्टता उस अवधि के दौरान पीएनजी से जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित घरेलू ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। कंपनी को इस विशिष्टता अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पीएनजी से जोड़े जाने वाले घरेलू ग्राहकों की संख्या के लिए बोली देना आवश्यक होगा। इसे तीस प्रतिशत की तरजीह दी जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (क) से (घ) तक में दिए गए और अनुसूची ग(1) में वर्णित मादनण्डों के अनुसार विचार करते हुए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली कंपनी को सफल बोल दाता घोषित किया जाएगा।

8. नेटवर्क शुल्क का निर्धारण और वसूली तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार

(1) सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए नेटवर्क शुल्क, विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत नेटवर्क शुल्क बोली के अनुसार निर्धारण किया जाएगा और पीएनजी तथा सीएनजी के सभी श्रेणियों के ग्राहकों से वसूल किया जाएगा।

(2) सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत सीएनजी बोली के लिए कंप्रेशन प्रभार निर्धारित किए जाएंगे और केवल सीएनजी के ग्राहकों से वसूल किए जाएंगे।

(3) कंपनी गैर-विवेकाधिकार आधार पर किसी प्रीमियम या छूट के बिना बीजक के जरिए अलग से सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार और नेटवर्क शुल्क वसूल करेंगी।

(4) सीएनजी स्टेशन के लिए कास्केड माउंटिड प्रणाली में सीएनजी का भंडारण और परिवहन करने जैसे प्राकृतिक गैस को सीएनजी में ऑनलाइन कंप्रेशन करने पर आने वाली लागत सीएनजी के वितरण से सम्बद्ध कार्यकलाप हैं और यह इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं आता है।

9. निष्पादन बांड

(1) प्राधिकार निम्नलिखित राशि के बराबर की राशि का कार्य-निष्पादन बांड प्रस्तुत करने के पश्चात चुनिन्दा कंपनी को जारी किया जाएगा :-

- (क) पांच मिलियन या अधिक जनसंख्या वाले प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में एक सौ मिलियन रुपए या अनुमानित परियोजना पूंजी लागत का पांच प्रतिशत जो भी अधिक हो।
- (ख) एक मिलियन या अधिक लेकिन पांच मिलियन के कम जनसंख्या वाले प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में साठ मिलियन रुपए या अनुमानित परियोजना पूंजीगत लागत का पांच प्रतिशत जो भी अधिक हो।
- (ग) आधे मिलियन या अधिक लेकिन एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में चालीस मिलियन रुपए या अनुमानित परियोजना पूंजी लागत का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
- (घ) एक चौथाई मिलियन या अधिक लेकिन आधा मिलियन से कम जनसंख्या वाले प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में तीस मिलियन रुपए या अनुमानित परियोजना पूंजी लागत का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
- (ङ.) 1/10 मिलियन या अधिक लेकिन एक चौथाई मिलियन जनसंख्या से कम वाले प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में 20 मिलियन रुपए या अनुमानित परियोजना पूंजी लागत का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
- (च) 1/10 मिलियन से कम जनसंख्या वाले प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में 10 मिलियन रुपए या अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण - विनियम 11 के अनुसार वित्तीय समापन पूरा होने पर यदि अनुमानित परियोजना लागत में परिवर्तन होता है तो निष्पादन बांड की राशि को उपर्युक्त आधार पर आवेदन करके संशोधित किया जाएगा।

- (2) परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क समय पर प्रारम्भ करने और चुनी गई कम्पनी द्वारा सेवा बाध्यताओं को पूरा करने के लिए भी गारंटी देने हेतु निष्पादन बांड निर्धारित किए गए हैं।

10. प्राधिकार देना

- (1) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर अनुसूची घ में दिए गए प्रपत्र पर चुनी गई कम्पनी को प्राधिकार दिया जाएगा।

- (2) प्राधिकार प्राकृतिक गैस के लिए कम्पनी द्वारा पुरार करार करने और विनियम 11 के अनुसार वित्तीय समापन की शर्त पर प्रदान किया जाएगा।
- (3) कम्पनी को प्राधिकार देना इसे जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के दौरान किसी कंपनी को बिक्री, सौंपने, अंतरित करने या अभ्यार्थित करने के जरिए परित्याग करके नहीं दिया जाएगा।
- (4) तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अन्य कंपनी के पक्ष में प्राधिकार का परित्याग करने की इच्छुक कम्पनी कम से कम तीस दिन पहले बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध कराएगी।
- (5) बोर्ड इस बात से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात कि सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के मौजूदा या प्रस्तावित कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पूरे प्रस्ताव को या उचित समझे जाने वाले संशोधनों के साथ स्वीकार करेगा और उस मामले में जहां कम्पनी को सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के कार्यकलाप प्रारम्भ करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई है, वह कम्पनी सेवा बाध्यताओं का अनुपालन करने और सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुसरण करने सहित प्राधिकार की मौजूदा या संशोधित निबंधन और शर्तों का पालन करेगी।

परन्तु यह कि बोर्ड को जनहित में प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और ऐसे मामले में बोर्ड अस्वीकार करने के कारण लिखित रूप में देगा।

II. प्राकृतिक गैस समझौता और वित्तीय समाप्ति

- (1) विनियम 10 के अंतर्गत प्राधिकृत कंपनी प्राधिकरण के जारी होने की तारीख के नब्बे दिनों के अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत स्वीकृत सामान्य वाहक या संविदा वाहक से छूट के लिए विशिष्ट अवधि के बराबर या उससे अधिक अवधि के लिए 'दूरी बनाए रखने' के सिद्धांत पर प्रस्तावित सीजीडी

नेटवर्क परियोजना के लिए एक सुनिश्चित प्राकृतिक गैस आपूर्ति हेतु प्राकृतिक गैस के स्वामित्व वाली किसी कंपनी के साथ पारदर्शी ढंग से एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक गैस आपूर्ति की मात्रा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत स्वीकृत सामान्य वाहक या संविदा वाहक से छूट के लिए विशिष्ट अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु नेटवर्क शुल्क बोली के निर्धारण में विचारार्थ मात्रा के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर होगी।

(3) प्राधिकृत कंपनी प्राधिकरण की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के अंदर बैंक या वित्तीय संस्थान से परियोजना की वित्तीय समाप्ति प्राप्त करेगी।

(4) आंतरिक वित्त-पोषित परियोजना के मामले में व्यक्ति/फर्म, प्राधिकरण के एक सौ बीस दिनों के अंदर परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (आगे से डीएफआर के रूप में उल्लेख किया जाएगा) तथा अपनी वित्तीय योजना के संबंध में अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी :

बशर्ते कि बोर्ड, कंपनी को वित्तीय समाप्ति पर अन्य कोई ब्यौरा या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहे।

(5) यदि कंपनी उप विनियम (1) से (4) तक की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहती है तो कंपनी को प्रदत्त सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा और निष्पादन बंधपत्र को भुना

लिया जाएगा तथा बोर्ड को पारदर्शी ढंग से पुनः प्राधिकार देने का अधिकार होगा, और कंपनी को इसके लिए बोर्ड से कोई मुआवजा प्राप्त करने या समाधान करने का कोई अधिकार, जो कोई भी हो, नहीं होगा।

12. विशिष्ट अवधि

नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण के लिए पाइपलाइन बिछाने, संचालन या विस्तार करने की विशिष्ट अवधि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।

13. प्राधिकरण-उपरांत कार्यकलापों की निगरानी (स्थापना-पूर्व)

- (1) प्राधिकृत कंपनी तिमाही आधार पर प्राप्त अनुमोदनों, प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, चल रहे कार्यों तथा अन्य संगत सूचना से संबंधित प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा अनुसूची ड. पर दिए गए प्रपत्र में भरकर उपलब्ध कराएगी।
- (2) बोर्ड कंपनी से सीजीडी नेटवर्क की सुरक्षित स्थापना और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापना चरण के दौरान तथा उसके बाद तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा के जरिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (3) बोर्ड सीजीडी परियोजना के संबंध में विभिन्न लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कंपनी की प्रगति की निगरानी करेगा, और कोई अपवर्तन या कमी पाए जाने पर कंपनी को उसकी उपचारात्मक कार्रवाई की सलाह देगा।

14. प्राधिकृत कंपनी की सेवा बाध्यताएं (स्थापना-उपरांत)

(1) कंपनी अंतिम मील कनेक्टिविटी, अर्थात् मीटर यूनिट से पहले राइजर आइसोलेशन वाल्व तथा ग्राहक के परिसर में बर्नर को जोड़ने वाली सुरक्षा होज़ पाइप के बीच की स्थापना के लिए मजदूरी लागत सहित निम्नलिखित उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू पीएनजी ग्राहकों से ब्याज-मुक्त प्रतिदेय जमानत जमा राशि ले सकती है जो एक कनेक्शन के लिए पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात्:-

(क) मीटर यूनिट लगाने से पहले राइजर आइसोलेशन वाल्व;

(ख) मीटर पाइप तक दस मीटर लंबी पाइप;

(ग) मीटर इकाई;

(घ) मीटर यूनिट से अतिरिक्त प्रवाह जांच वाल्व-एवं-आइसोलेशन वाल्व तक पाँच मीटर लंबी पाइप या ट्यूब;

(ङ.) अतिरिक्त प्रवाह जांच वाल्व-एवं-आइसोलेशन वाल्व; और

(च) घरेलू पीएनजी बर्नर को जोड़ने वाली मानक आकार की सुरक्षा होज़ पाइप:

बशर्ते कि कंपनी द्वारा लगाई गई नेटवर्क शुल्क बोली में अंतिम मील कनेक्टिविटी शामिल होगी।

स्पष्टीकरण -

1. घरेलू पीएनजी ग्राहक को सामग्री, पाइप के मजदूरी प्रभार तथा ऊपर विनिर्दिष्ट लंबाई से अधिक लंबी पाइप की वास्तविक लागत वहन करनी होगी।
 2. घरेलू पीएनजी ग्राहक को उसी परिसर में अन्य घरेलू पीएनजी बर्नर या अन्य कोई गैस-आधारित उपकरण को जोड़ने के लिए सामान्य मीटर यूनिट से अधिक के मजदूरी प्रभार सहित स्थापना की वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा।
- (2) कंपनी गैर-घरेलू पीएनजी ग्राहकों से स्थापना के लिए ब्याज-मुक्त प्रतिदेय सुरक्षा जमा राशि ले सकती है जो मीटर यूनिट तथा अन्य संबंधित उपकरण और मजदूरी प्रभार की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए:
- बशर्ते कि इनकी कंपनी द्वारा ग्राहक के परिसर में स्थापना की जाए।
- (3) कंपनी किसी घरेलू पीएनजी ग्राहक पर प्राकृतिक गैस बर्नर स्टोव खरीदने या प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जुड़ी अन्य कोई सेवा लेने के लिए कोई अनुचित दबाव नहीं डालेगी।
 - (4) कंपनी किसी भावी घरेलू पीएनजी ग्राहक के मौजूदा एलपीजी बर्नर स्टोव को प्राकृतिक गैस बर्नर स्टोव में निःशुल्क परिवर्तित करेगा।
 - (5) प्राधिकृत कंपनी आबंटन तथा निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में अर्जित राजस्व के आधार पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सामान्य लागत को अलग-अलग करने के लिए विस्तृत कार्यकलाप आधारित लागत रिकार्ड सहित पृथक बही खाते रखेगी -

(क) इसके ओडराइजेशन सहित प्राकृतिक गैस की खरीद;

(ख) सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस का परिवहन;

(ग) प्राकृतिक गैस का सीएनजी में ऑनलाइन कंप्रेशन;

(घ) सीएनजी का कासकेड माउंटेड प्रणाली, यदि कोई हो, में परिवहन;

(ड.) विपणन या वितरण, जिसमें सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस और सीएनजी के विपणन या वितरण के लिए किसी एजेंसी को दिया गया कमीशन शामिल हो; और

(च) बूस्टर कंप्रेशन सहित सीएनजी का वितरण, यदि कोई हो।

(6) उप-विनियम (5) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कार्यकलापों से संबंधित लागत और राजस्व को कंपनी के बही खातों में अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(7) प्राधिकृत कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि -

(क) सीजीडी नेटवर्क में परिवहन के कार्यकलाप तथा प्राकृतिक गैस के विपणन के कार्यकलाप के बीच लागत पर कोई दोहरी राजसहायता नहीं दी जानी चाहिए;

(ख) विनियमित सेवा उपलब्ध कराने के लिए एकत्रित ग्राहक से संबंधित सूचना की गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए; और

- (ग) सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के परिवहन के कार्यकलाप के लिए स्वयं या अपनी किसी अन्य संबद्ध कंपनी को कोई अधिमान पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (8) प्राधिकृत कंपनी स्थापना चरण के दौरान नियमित अंतराल पर अनुमोदित पैनल में से स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों या प्रमाणित एजेंसियों द्वारा तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा कराने तथा उसके बाद सतत आधार पर तकनीकी मानकों और विशिष्टियों, जिनमें निष्कर्ष सहित सुरक्षा मानक तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल होंगी, के लिए संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इन्हें बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड इनकी समीक्षा करेगा और कंपनी को उपचारी कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए सलाह देगा।
- (9) कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत उल्लिखित सेवा बाध्यताओं को पूरा करना होगा।

15 सेवा मानकों की गुणवत्ता

- (1) सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी को अनुसूची च में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।
- (2) सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन करने में कंपनी के कार्य-निष्पादन का बोर्ड द्वारा समय-समय पर आकलन किया जाएगा तथा इनकी न्यूनतम निर्धारित बेंचमार्क से तुलना की जाएगी तथा कार्य-निष्पादन का स्तर न्यूनतम निर्धारित

बैंचमार्क से कम पाए जाने पर विनियम 16 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

16 चूक के परिणाम और प्राधिकार प्रक्रिया का रद्द किया जाना

(1) प्राधिकृत कंपनी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करेगा और केवल प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा करने में असफल रहने पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्:-

(क) बोर्ड दोषी कंपनी को विनियमों के अंतर्गत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उसे उपयुक्त समय देते हुए एक नोटिस जारी करेगा;

(ख) यदि कंपनी द्वारा बोर्ड को संतुष्ट करते हुए निर्धारित अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।;

(ग) सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहने पर बोर्ड निम्नलिखित आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन बंधपत्र को भुना सकता है, अर्थात्:-

(i) पहली चूक होने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की राशि में पच्चीस प्रतिशत की कटौती; और

(ii) दूसरी चूक होने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की राशि में पचास प्रतिशत की कटौती:

बशर्ते कि कंपनी राशि के भुनाए जाने के एक सप्ताह के अंदर उप-खण्ड (i) और

(ii) के प्रत्येक मामले में कार्य-निष्पादन बंधपत्र की पूर्ति कर देगी, ऐसा न करने

पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की बकाया राशि को भी भुना लिया जाएगा और कंपनी का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) तीसरी बार चूक होने पर कार्य-निष्पादन की एक सौ प्रतिशत राशि भुना ली जाएगी तथा कंपनी का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा;

(क) किसी प्राधिकार को रद्द करने को लागू करने की प्रक्रिया अनुसूची छ में उपलब्ध कराए गए अनुसार होगी;

(ख) बोर्ड बिना किसी पूर्वाग्रह के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अनुसार अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत अपराध और दण्ड के लिए निर्धारित अनुसार कार्रवाई करने के अलावा अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सिविल दण्ड भी लगा सकता है।

17. निर्धारित तारीख से पूर्व सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/फर्म।

(1) कंपनी निर्धारित तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अंतर्गत अनुसूची ज में दर्शाए अनुसार फार्म में सहायक दस्तावेजों सहित संगत सूचना प्रस्तुत करेगा।

(2) कंपनी केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण की निबंधन और शर्तों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित बाध्यताओं का भी पालन करेगी।

(3) कंपनी विनियम 15 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों और सेवा मानकों की गुणवत्ता सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों का पालन करेंगी।

(4) बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार ऐसी निबंधन और शर्तों को विशिष्टता प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

(5) सीएनजी के लिए नेटवर्क शुल्क और कंप्रेशन प्रभार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण), विनियम 2008 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार होगा।

(6) कंपनी के कार्यकलाप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू अनुसार ऐसे अन्य विनियमों के अधीन होंगे।

18 निर्धारित तारीख से पूर्व सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अप्राधिकृत व्यक्ति/फर्म।

(1) निर्धारित तारीख से पूर्व किसी भी समय सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत न किया गया हो, अनुसूची-झ में दिए गए फार्म में प्राधिकार प्राप्त करने के लिए तत्काल आवेदन कर सकता है।

(2) बोर्ड प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार करते समय निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(क) कंपनी निर्धारित तारीख से पूर्व उप-विनियम 6 के खण्ड (क) से (ड.) में विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करती हो तथा उसके पास सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन, अनुमतियां, केन्द्र और राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य सांविधिक प्राधिकार हों;

(ख) कोई व्यक्ति/फर्म, जो प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी बनना होगा:

बशर्ते कि बोर्ड किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकरण कराने की उन शर्तों, जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो, से छूट दे सकता है;

(ग) परियोजना का वित्त-पोषण करने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकित कंपनी के डीएफआर की तुलना में निर्धारित तारीख से तत्काल पूर्व की गई वास्तविक भौतिक प्रगति तथा वित्तीय वचनबद्धता का संतोषजनक आकलन करना। यदि परियोजना का किसी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त-पोषित नहीं किया गया है तो बोर्ड डीएफआर का मूल्यांकन कर सकता है। किसी कंपनी की डीएफआर में परियोजना के विनिर्दिष्ट भूगोलिक क्षेत्र तथा सीएनजी और पीएनजी के प्रस्तावित कवरेज को भी विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा प्रस्तावित भूगोलिक क्षेत्र, ग्राहक खण्ड, आधारभूत आवश्यकताओं, आदि को

ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा डीएफआर की संवीक्षा करने पर यदि डीएफआर कम-इष्टतम और अस्वीकार्य पाई जाती है तो बोर्ड कंपनी को प्राधिकार न प्रदान करने पर विचार कर सकता है ;

(घ) की गई वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उसमें अंतर्निहित खण्ड (ग) में उल्लिखित वित्तीय वचनबद्धता के संबंध में निर्धारित तारीख से तत्काल पूर्व डीएफआर के अनुसार सीजीडी परियोजना के लिए चयनित भौतिक प्रगति की कम से कम पच्चीस प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय की कम से कम पच्चीस प्रतिशत वित्तीय वचनबद्धता को पर्याप्त माना जा सकता है;

(ड.) कंपनी ने निर्धारित तारीख से पूर्व सीजीएस के लिए अर्जन या पट्टे पर सीजीएस के लिए भूमि की व्यवस्था कर ली हो तथा सीजीएस के उत्थापन के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त कर लिए हों;

(च) बोर्ड को वास्तविक भौतिक प्रगति कराने और प्रमाणित वित्तीय वचनबद्धता प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा प्राप्त प्रगति के आधार पर बोर्ड कंपनी को प्राधिकृत क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्राधिकार देने पर विचार कर सकता है -

- i) अपने डीएफआर में भूगोलिक क्षेत्र के अनुसार;
- ii) निर्धारित तारीख तक कार्यान्वयन के अंतर्गत वास्तव में शामिल भूगोलिक क्षेत्र के अनुसार; अथवा
- iii) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार भूगोलिक क्षेत्र;

(छ) सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के संबंध में कंपनी को लागू तकनीकी मानकों, तकनीकी मानकों और विशिष्टियाँ, जिनमें विनियम 15 में विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों और सेवा मानकों की गुणवत्ता शामिल है, के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार विशिष्टियाँ और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की उनकी योग्यता के बारे में बोर्ड को संतुष्ट कराना होगा;

(ज) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार सीजीडी नेटवर्क परियोजना का विकास करने संबंधी वित्तीय वचनबद्धता को समय पर और पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति;

(झ) सीजीडी नेटवर्क द्वारा शामिल किए जाने वाले क्षेत्र के लिए प्राधिकृत क्षेत्र में मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए सुदृढ़ प्रबंधन करना;

(ञ) आवेदन की जांच करने पर बोर्ड द्वारा संगत समझा गया अन्य कोई मानदण्ड।

(3) मानदण्ड की मिश्रित प्रकृति और अंतर-संपर्कों पर समग्र रूप से विचार करते हुए

खण्ड (क) से (ञ) के अनुसार आवेदनपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा।

(4) बोर्ड उप-विनियम (2) में अंतरनिहित मानदण्डों के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद तथा अन्य विनियमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बना सकता है कि क्या मामले को प्राधिकार देने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

(5) प्रथम दृष्टया विचार करने के मामले में बोर्ड परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा समाचारपत्र (वेबहोस्टिंग सहित) में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा तथा प्रस्ताव पर किसी व्यक्ति से तीस दिनों के अंदर टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगा।

(6) बोर्ड टिप्पणियों और आपत्तियों, यदि कोई हों, की जांच करने के बाद उप-विनियम

(5) के अंतर्गत सीजीडी नेटवर्क के लिए प्राधिकार देने के मामले पर या तो विचार कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है।

(7) यदि प्राधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो यह अनुसूची घ में दिए गए फार्म के अनुसार होना चाहिए;

(8) आवेदन के रद्द होने की स्थिति में बोर्ड संबंधित पार्टी को उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक स्पीकिंग आर्डर पारित करेगा तथा विनियम 6 के अनुसार परियोजना के लिए किसी उपयुक्त कंपनी का चयन करने संबंधी आगे कार्रवाई करेगा।

(9) यदि कंपनी को सीजीडी नेटवर्क का प्राधिकार देने के लिए चयन हो जाता है तो -

(क) सीएनजी के लिए नेटवर्क शुल्क और कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण), विनियम 2008 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार होगा;

(ख) बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण), विनियम 2008 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसी निबंधन और शर्तों को विशिष्टता प्रदान करने पर विचार कर सकता है;

(ग) कंपनी तकनीकी मानकों और विशिष्टियों, जिसमें सुरक्षा मानक शामिल होंगे, के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों, विशिष्टियों का पालन करेगी;

(घ) कंपनी पर विनियम 9, 13, 14, 15 और 16 में अंतरनिहित प्रावधान लागू होंगे।

19. विविध

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची क

[विनियम 2 (1) (ग) और 5 (4) देखें]

सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत क्षेत्र को परिभाषित करने का आधार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 2 (1) (ग) के अनुसार सीजीडी नेटवर्क के प्राधिकृत क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता और भौगोलिक सम्बद्धता निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है:

1. आर्थिक व्यवहार्यता

प्राधिकृत क्षेत्र में ग्राहकों के विभिन्न वर्गों होने चाहिए और उनमें प्राकृतिक गैस की मांग होनी चाहिए जो सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने पर किए गए निवेश को प्रथम दृष्टया पूरी मितव्ययी अवधि के लिए औचित्यपूर्ण ठहराता हो। इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं:-

- क) व्यवहार्य प्रक्षेपित ढांचा, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन, घरेलू आदि सभी प्रकार का ग्राहक वर्ग शामिल हैं;
- ख) प्रस्तावित क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क के प्रचालन और रखरखाव को सुकर बनाना तथा सभी वर्ग के ग्राहकों को सेवा प्रदान करना;
- ग) प्रस्तावित क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता।

2. भौगोलिक सम्बद्धता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अनुसार किसी क्षेत्र के भूगोलिक क्षेत्र के साथ सम्बद्धता पर विचार करने के लिए इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि उनके स्वतंत्र सीजीडी नेटवर्क हेतु इस प्रकार के क्षेत्र के लिए आर्थिक व्यवहार्यता नहीं होगी।

टिप्पणी:

यदि बोर्ड यह समझता है कि ग्राहक सेवा को बनाए रखने के लिए विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र काफी व्यापक है; या सुरक्षित और सुविधाजनक प्रचालन नहीं हो सकते; या उसमें सीमित प्रतिस्पर्धा क्षमता है, तो बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति के स्तर पर ही हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। दूसरी ओर, यदि बोर्ड यह समझता है कि भौगोलिक क्षेत्र अधिक छोटा है; या इसके अंतर्गत ग्राहकों का कुछ वर्ग ही आता है; या संभावनाएं बहुत कम हैं; तो भी बोर्ड हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में बोर्ड एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित कर सकता है जिसका आकार रुचि की अभिव्यक्ति में दिए गए आकार से भिन्न होगा।

अनुसूची ख

[विनियम 4(1) और 5(ग) देखें]

सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की इच्छुक कंपनी द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आवेदन-पत्र

क. केवल वह कंपनी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 विनियम 5(घ) में दिए गए न्यूनतम अर्हता मानदण्डों को पूरा करती है, बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन करने की पात्र होगी।

ख. कंपनियों को न्यूनतम अर्हता मानदण्डों को पूरा करने से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अवश्य संलग्न करना चाहिए।

ग. रुचि की अभिव्यक्ति देने वाली कंपनियां निम्नलिखित सूचना अवश्य दें:

1. सामान्य विवरण

क. कंपनी का नाम

ख. फर्म का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें)

ग. निगमित होने की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख

घ. पंजीकृत कार्यालय का पता

2. आधारभूत आंकड़े

क.

1) प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत जनसंख्या और घरों की संख्या।

2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय

प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के

लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 2(ग) के अंतर्गत

निहित प्रावधानों के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र का वर्ग किलोमीटर और इसकी

विभिन्न श्रेणियां। क्षेत्र को भौतिक मानचित्र में भी दर्शाया जाना चाहिए।

3) औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यकलाप के संदर्भ में प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां

4) वाहनों का प्रयोग करने वाली जनसंख्या की रूपरेखा

ख. प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के विभिन्न ग्राहक वर्गों में प्राकृतिक गैस की संभावित मांग का प्रारम्भिक निर्धारण।

ग. प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के संभावित स्रोत और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तक पहुंच संबंधी योजनाएं।

घ. क्या जिन राज्यों या संघ क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क स्थित है, उन राज्यों ने उक्त नगर में प्राकृतिक गैस के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कानून लागू किया है या कोई प्रशासनिक कार्रवाई की है? यदि इस प्रश्न का उत्तर हां में है तो ऐसे कानून या प्रशासनिक आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

3. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर का भुगतान आदेश नं०दिनांक.....
<बैंक और शाखा का नाम> से बनवाकर..... के आवेदन शुल्क का भुगतान।

दिनांक

स्थान

कंपनी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

कार्यालय मोहर

अनुसूची ग

[विनियम 5(7) देखें]

सीजीडी नेटवर्क के प्राधिकार के लिए आवेदन-सह-नीलामी

सेवा में,

सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड

प्रथम तल, विश्व व्यापार केन्द्र,

बाबर लेन, क्वांट प्लेस,

नई दिल्ली-110 001

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत.....राज्य या संघ क्षेत्र के.....प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के प्राधिकार देने हेतु आवेदन-सह-नीलामी

(जहां आवश्यक हो सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

भाग-1 कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी विवरण (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)		
1.	कंपनी का विवरण	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	कंपनी का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें और संस्था के अंतर्नियम या साझेदारी विलेख आदि, जैसा लागू हो, संलग्न करें)।	
ग.	निगमन की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/भागीदारों/प्रोप्राइटरों के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल पते (कृपया	

	एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा विवरण दें।।	
2.	वित्तीय विवरण	
क.	शेयर पूंजी या प्रोप्राइटर की स्वयं की निधियां, जैसा लागू हो।	
ख.	लिए गए ऋण की - राशि, अवधि, अधिस्थगन अवधि, ब्याज की दर और इस ऋण को प्राप्त करने के लिए बंधक या मालबंधन रखी गई परिसम्पत्ति, यदि कोई हो।	
ग.	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थायी परिसम्पत्ति	
ङ.	वर्तमान परिसम्पत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ.	बिक्री कारोबार	
ज.	कर-पश्चात लाभ	
	(पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाते और तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न करें) - यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के मूल कंपनी के लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाते और तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न करें।	
3.	कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	कंपनी के सभी मौजूदा नगर गैस वितरण नेटवर्कों का विवरण, यदि कोई हो, इसमें डिजाइन विशिष्टताएं, संस्थापित क्षमता, पूंजी लागत, प्रचालन लागत का वार्षिक विवरण, नेटवर्क की आयु, ग्राहक रूपरेखा के विवरण सहित नेटवर्क में गैस की मात्रा का परिवहन, वितरण नेटवर्क का मानचित्र और ड्राइंगों	

	जिसमें मौजूदा सुविधाओं और भावी योजना का विवरण दिखाया गया हो, प्राकृतिक गैस संसाधन, वसूल की जा रही इकाई नेटवर्क की औसत दर, आदि शामिल हैं।	
ख	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और विपणन के लिए किसी कंपनी के साथ किए गए समझौते या सहयोग का विवरण।	
ग	पिछले पांच वर्षों से प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण।	
4.	स्वामित्व और सम्बद्धता का विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	कंपनी की सभी सम्बद्ध संस्थाओं का विवरण, जिसमें कंपनी और सम्बद्ध संस्थाओं के बीच व्यावसायिक रिश्ते को बताया गया हो। ('सम्बद्ध संस्था' से वही अभिप्रेत होगा जो सम्बद्ध आचार संहिता के संबंधित विनियामक में परिभाषित है)।	
ग	कंपनी बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपने और अपनी कंपनियों के सभी संबंधित प्रलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है?	हां/नहीं
ड.	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी द्वारा प्रमोट की गई है?	हां/नहीं
च.	यदि संस्था आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करते समय कंपनी नहीं है तो प्राधिकार के लिए उसका चयन होने पर वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी निर्माण की घोषणा करती है।	हां/नहीं
छ.	प्रमोटरों की लेटर ऑफ कम्फर्ट के रूप में	हां/नहीं

	घोषणा पत्र, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि प्राधिकार मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना को दिए गए उनके वित्तीय योगदान को इक्विटी शेयर पूंजी में बदल दिया जाएगा। प्रमोटरों के लैटर आफ कम्फर्ट संलग्न करें।	
5.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना का तकनीकी विवरण	
क.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना का नाम	
ख.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना के संबंध में नगर, कस्बा या क्षेत्र, जिसे विकास जोन में रखा गया है, का विवरण जिसमें प्रस्तावित सुविधाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा भी बनाया गया हो।	
ग.	परियोजना का तकनीकी विशेष विवरण, जिसके साथ संभाव्यता रिपोर्ट और पाइपलाइन डिजाइन, दबाव, नेटवर्क की लम्बाई, पाइपलाइन का व्यास, पाइपलाइन की मोटाई, मार्ग, अपक्षय सुरक्षा व्यवस्था, सीटी गेट स्टेशन, प्राकृतिक गैस का स्रोत, टॉटी निकालने के स्थान, मुख्य ब्लॉक बल्ब, गंधनाशक सुविधाएं मापने की व्यवस्था, जीएनजी स्टेशन, एचएसई मापदण्ड आदि का पूरा ब्यौरा दिया गया हो।	
घ.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना के लिए अभिकल्पित विकास योजना संलग्न करें, जिसमें सीजीडी नेटवर्क की डिजाइन और संस्थापित क्षमता, निर्धारित पूंजी व्यय योजना, प्रचालनों के चरण-वार शुरू होने की संभावित निधियां और परियोजना को पूरा करने के संबंध में गतिविधियां या लक्ष्यों का विवरण दिया गया हो।	

ड.	प्राकृतिक गैस की अनुमानित मात्रा जिसमें कंप्रेशन से पहले सीएनजी स्टेशनों को की जाने वाली आपूर्ति शामिल हो परिवहन तथा बिक्री के लिए प्रस्तावित हो। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित स्थिर मात्रा, यदि कोई हो, का विवरण भी दें।	
च.	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोत और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ क्षमता समझौता, यदि कोई हो, जिसमें समझौते की चरण-वार कनेक्टिविटी और विवरण शामिल हो।	
छ.	क्या राज्य या संघ क्षेत्र, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क स्थित हैं, ने उक्त भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कानूनी लागू किया है या कोई प्रशासनिक कार्रवाई की है? यदि प्रश्न का उत्तर हां में है तो ऐसे कानून या प्रशासनिक आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।	हां/नहीं
ज	क्या सीजीओ नेटवर्क का डिजाइन तैयार करते समय तकनीकी मानकों और विशेष विवरणों संबंधी विनियमों में बताए गए तकनीकी मानकों, विशेष विवरणों और सुरक्षा मानकों को शामिल किया गया है? कृपया पूरा विवरण दें।	हां/नहीं
झ	आपदा प्रबंधन योजना की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
ट	क्या परियोजना केन्द्र या राज्य सरकारों से किसी सांविधिक कर से कोई राजसहायता, छूट, आस्थगन या माफी की पात्र हैं? यदि हां, तो कंपनी की वर्ष-वार उपयोग योजना की सूचना देते हुए पूरा विवरण दें।	हां/नहीं
ठ	विनियम 5(6) के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	< > ₹0

इ	डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश	
	डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की संख्या और दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	
ढ	बोली बंधपत्र	< > ₹0
	डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश	
	डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की संख्या व दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	

भाग-II : वित्तीय बोली (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत की जाए) उन्हीं कंपनियों के लिए खोली जाएगी जो विनियम 5(7) के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता मानदण्डों को पूरा करती हैं।

क	परियोजना की मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष के लिए होगी) सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए भारित औसत टैरिफ बोली का वर्तमान मूल्य।	परियोजना की मितव्ययी अवधि 14% छूट दर का लाभ रखते हुए प्रतिवर्ष के लिए भारित औसत नेटवर्क टैरिफ बोली का वर्तमान मूल्य "....." रुपये प्रति एमएमबीटीयू है। वर्ष-वार भारित औसत इकाई नेटवर्क टैरिफ बोली:- 1 वर्ष: <.....> ₹0 प्रति एमएमबीटीयू 2 वर्ष <.....> ₹0 प्रति एमएमबीटीयू 25 वर्ष: <.....> ₹0 प्रति एमएमबीटीयू
ख	प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके सीएनजी में बदलने के लिए कंप्रेशन प्रभार बोली का वर्तमान मूल्य। इस गैस की सीजीडी नेटवर्क मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से	परियोजना के आर्थिक जीवन पर्यन्त 14% छूट दर का लाभ उठाते हुए प्रति वर्ष के लिए सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य <.....> ₹0 प्रति कि०ग्रा० है। सीएनजी बोली के लिए वर्ष वार कंप्रेशन

	25 वर्ष का होगा) सीएनजी स्टेशनों को आपूर्ति की जाएगी।	प्रभार- 1 वर्ष: <.....> रु0 प्रति कि०ग्रा० 2 वर्ष <.....> रु0 प्रति कि०ग्रा० 25 वर्ष: <.....> रु0 प्रति कि०ग्रा०
ग	सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य।	14% छूट दर का लाभ उठाते हुए सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य < इंच-किलोमीटर > है। 1 वर्ष: < > इंच-किलोमीटर वर्ष 2 <.....> इंच-किलोमीटर वर्ष 3: <.....> इंच-किलोमीटर आदि (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि का प्रत्येक वर्ष)
घ	सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क में पीएनजी घरेलू ग्राहक बोली की संख्या का वर्तमान मूल्य।	14% छूट का लाभ उठाते हुए पीएनजी घरेलू कनेक्शन बोली संख्या का वर्तमान मूल्य < संख्या > हैं। पीएनजी घरेलू कनेक्शन बोली की वर्ष-वार संख्या - 1 वर्ष: < > संख्या 2 वर्ष < > संख्या 3 वर्ष: < > संख्या आदि (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि का प्रत्येक वर्ष)

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन-सह-बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट, संलग्नक और गणना शीट में दिए गए आंकड़े और सूचना सही पूर्ण और सत्य हैं और यदि इनमें दिया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो आवेदन-सह-बोली निरस्त कर दी जाएगी,

आवेदन-शुल्क और बोली बंधपत्र जब्त कर लिए जाएंगे और मैं/हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई और दण्ड के हकदार होंगे।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत की गई है जो उपर्युक्त है और इस नगर अथवा स्थानीय क्षेत्र के लिए मेरे/हमारे द्वारा अलग से कोई भी दूसरा आवेदन-सह-बोली पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय मोहर

आवेदन-सह-बोली भरने के लिए अनुदेश

1. फार्म और संलग्न दस्तावेजों की सभी प्रविष्टियां पठनीय हों और उनमें कोई काट-छांट न की गई हो।
2. अपेक्षित विवरण अलग से संलग्न किए जा सकते हैं जिस मद के लिए इन्हें संलग्न किया गया है उसका स्पष्ट संदर्भ देना चाहिए।
3. आवेदन-सह-बोली और अनुलग्नकों व विवरणों के सभी पृष्ठों पर क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए तथा उन पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा नोटेरी के माध्यम से अधिकार पत्र दिए हुए प्राधिकारी के आयाक्षर किए जाने चाहिए।
4. आवेदन-सह-बोली में दी गई सूचना की अभिपुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रमाण संलग्न करने चाहिए।
5. कंपनी को मूल के साथ-साथ आवेदन-सह-बोली की सभी संलग्नकों सहित अपेक्षित पांच साक्षात्कृत प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
6. अपूर्ण आवेदन-सह-बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुसूची ग (1)

[विनियम 7(3) देखें]

सीजीडी नेटवर्क का प्राधिकार देने हेतु सफल बोली को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम संयुक्त स्कोर निर्धारित करने के आधार का स्पष्टीकरण

नीचे दिए गए बोली मानदण्डों के आधार पर सफल बोली का निर्धारण करने के लिए आइए तीन कंपनियां लेते हैं जिनकी बोलियां की तुलना की जाती है-

(क) सीजीडी नेटवर्क में नेटवर्क टैरिफ बोली

देखें,

एन1= पहली कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए नेटवर्क शुल्क बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का

वर्तमान मूल्य

एन2= दूसरी कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए नेटवर्क शुल्क बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य

एन3= तीसरी कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए नेटवर्क शुल्क बोली सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य

मान लीजिए एन1 एन2 से कम है और एन2 एन3 से अधिक है।

नेटवर्क शुल्क बोली (एनएन1) का न्यूनतम वर्तमान मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और बोली के अन्य नेटवर्क प्रभार के वर्तमान मूल्य के स्कोर को एनएन1 के यथानुपात आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:-

एनएन 1 = एन 1 के लिए 100%

एनएन 2 = $100\% \times (\text{एन1} \div \text{एन2})$

एनएन 23 = $100\% \times (\text{एन1} \div \text{एन3})$

(ख) सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी बोली के लिए कंप्रेशन प्रभार

देखें,

सी1= पहली कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य

सी2= दूसरी कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य
 सी3= तीसरी कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य
 मान लीजिए सी1 सी2 से अधिक है और सी2 सी3 से अधिक है।

सीएनजी बोली (सी3) के लिए कंप्रेशन प्रभार के न्यूनतम वर्तमान मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और सीएनजी बोली के अन्य नेटवर्क प्रभार के वर्तमान मूल्य के स्कोर को एलसी3 के यथानुपात आधार पर इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा:-

$$\text{एलसी1} = 100\% \times (\text{सी3} \div \text{सी1})$$

$$\text{एलसी2} = 100\% \times (\text{सी3} \div \text{सी2})$$

$$\text{एलसी3} = 100\%$$

सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर

देखें,

आईके1= संविदा वाहक या सामान्य वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट की विशेष अवधि के लिए पहली कंपनी द्वारा लगाई गयी इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य।

आईके2 = संविदा वाहक या सामान्य वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट की विशेष अवधि के लिए दूसरी कंपनी द्वारा लगाई गयी इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य।

आईके3 = संविदा वाहक या सामान्य वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट की विशेष अवधि के लिए तीसरी कंपनी द्वारा लगाई गयी इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य।

मान लीजिए, आईके1 आईके2 से कम है और आईके2 आईके3 से कम है।

इंच-किलोमीटर बोली (एचआईके3) के उच्चतम वर्तमान मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और अन्य इंच-किलोमीटर बोलियों को एचआईके3 के यथानुपात के आधार पर वर्तमान मूल्य का इस प्रकार स्कोर दिया जाएगा:

$$\text{एचआईके1} = 100\% \times (\text{आईके1} \div \text{आईके3})$$

$$\text{एचआईके2} = 100\% \times (\text{आईके2} \div \text{आईके3})$$

$$\text{एचआईके3} = 100\%$$

(घ) सीजीडी नेटवर्क में पीएनजी घरेलू ग्राहकों की संख्या

देखें,

पी1 = संविदा वाहक या सामान्य वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट की विशेष अवधि के लिए पहली कंपनी के पीएनजी घरेलू ग्राहकों का वर्तमान मूल्य।

पी2 = संविदा वाहक या सामान्य वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट की विशेष अवधि के लिए दूसरी कंपनी के पीएनजी घरेलू ग्राहकों का वर्तमान मूल्य।

पी3 = संविदा वाहक या सामान्य वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट की विशेष अवधि के लिए तीसरी कंपनी के पीएनजी घरेलू ग्राहकों का वर्तमान मूल्य।

मान लीजिए पी1 पी2 से अधिक है और पी2 पी3 से अधिक है।

पीएनजी घरेलू ग्राहक बोली (एचपी1) के उच्चतम मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और अन्य पीएनजी घरेलू ग्राहक बोलियों को एचपी1 के अनुपात के आधार पर वर्तमान मूल्य का स्कोर दिया जाएगा:

$$\text{एचपी1} = 100\%$$

$$\text{एचपी2} = 100\% \times (\text{पी2} \div \text{पी1})$$

$$\text{एचपी3} = 100\% \times (\text{पी3} \div \text{पी1})$$

अब तीनों कंपनियों के संयुक्त स्कोर की गणना प्रत्येक बोली मानदण्ड के निर्दिष्ट भार को लेकर की जाएगी जो निम्नानुसार होगी:

$$\text{कंपनी 1} \div 0.40 \times \text{एलएन1} + 0.10 \times \text{एलसी1} + 0.20 \times \text{एचआईके1} + 0.30 \times \text{एचपी1}$$

$$\text{कंपनी 2} \div 0.40 \times \text{एलएन2} + 0.10 \times \text{एलसी2} + 0.20 \times \text{एचआईके2} + 0.30 \times \text{एचपी2}$$

$$\text{कंपनी 3} \div 0.40 \times \text{एलएन3} + 0.10 \times \text{एलसी3} + 0.20 \times \text{एचआईके3} + 0.30 \times \text{एचपी3}$$

जिस कंपनी का संयुक्त स्कोर अधिकतम होगा, उसी को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

अनुसूची घ

(विनियम 10 (1) और 18 (7) देखें)

सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना

सेवा में,

(सफल बोलीदाता कंपनी का नाम)

(पता)

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के अंतर्गत-----राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में-----के प्राधिकृत क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना ।

महोदय/महोदया,

-----राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में----- (प्राधिकृत क्षेत्र का नाम) में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देने के संबंध में अपने आवेदन सह-बोली के संदर्भ में आपको प्राधिकार देने का निर्णय किया गया है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 और निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा।

1. प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत----- वर्ग किमी० का क्षेत्र होगा, जैसा कि संलग्न नक्शे में दिखाया गया है।
2. सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने संबंधी कार्यकलाप इस प्राधिकार की तारीख से----- दिनों के भीतर शुरू करने होंगे।
3. ऊपर अनुमति प्राप्त कार्यकलाप संलग्न की गई अनुमोदित समयानुसूची के अनुसार पूरे करने होंगे। समयानुसूची में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनी के सफल न होने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस

वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 16 के अधीन विनिर्दिष्ट परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

4. कंपनी प्राधिकृत क्षेत्र स्टील बेल्टिंग प्राकृतिक गैस को सीएनजी में कंप्रेस करने के लिए पर्याप्त क्षमता के ऑनलाइन कंप्रेसर, सीजीडी नेटवर्क से संबद्ध उपस्करों और सुविधाओं सहित विभिन्न प्रकार की पाइप लाइनों संबंधी इष्टतम आकार की अवसंरचना अभिकल्पित करेगी और उसे स्थापित करेगी जैसा कि प्राकृतिक गैस की मांग पर निर्भर रहते हुए अपने एफडीआर में निर्धारित किया गया है। सीजीडी नेटवर्क में अवसंरचना पाइपलाइनों में प्राकृतिक गैस के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होने चाहिए और ऑनलाइन सीएनजी स्टेशनों के लिए पर्याप्त दबाव पर आपूर्ति करते रहने में समर्थ भी होनी चाहिए।

5. कंपनी सीजीडी नेटवर्क में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखनी होगी। सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा की स्थिति में घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को आपूर्ति बहाल करने को पहली प्राथमिकता देनी होगी। घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को आपूर्ति 12 घंटे से अधिक बाधित रहने के मामले में कंपनी निम्नलिखित आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को मुआवजा देगी:

(क) प्रतिदिन पिछले तीन महीनों के औसत उपभोग के आधार पर कुकिंग आवश्यकताओं के पहले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए प्राकृतिक गैस उपभोग की मानक मात्रा की दस गुना प्रत्येक दिन की बाधित आपूर्ति के लिए लागू होगी।

(ख) प्राकृतिक गैस उपभोग की मानक कीमत कुकिंग आवश्यकताओं के लिए पहले घरेलू पीएनजी कनेक्शन को आपूर्ति हेतु प्राकृतिक गैस की गत तीन महीनों की औसत बिलिंग कीमत पर आधारित होगी; और

(ग) मुआवजे की राशि धारा (क) के अनुसार प्राकृतिक गैस खपत की उपभोग की मानक मात्रा के बराबर, धारा (ख) के अनुसार मानक कीमत द्वारा बढ़ाई जाएगी और अगले बिलिंग चक्र में अथवा स्मार्ट कार्ड मीटरिंग के मामले में अगले प्री पेड स्मार्ट कार्ड में घरेलू पीएनजी उपभोक्ता को क्रेडिट की अनुमति देकर समायोजित की जाएगी।

यदि आपूर्ति में बाधा घरेलू पीएनजी उपभोक्ता के किसी दोष के कारण आती है तो कंपनी द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

6. कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) के अधीन निम्नलिखित के संबंध में एक अपवर्जन अवधि की अनुमति है।

(क) सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने और उसका विस्तार करने के लिए इस संप्रेषण के जारी होने की तिथि से ----- महीने ।

(ख) सीजीडी नेटवर्क के लिए एक सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट के संदर्भ में इस संप्रेषण के जारी होने की तिथि से ----- महीने।

बशर्ते कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) विनियम 2008 के अनुसार उत्तरदायित्वों को पूरा करे।

यह भी कि उप धारा (क) अथवा उप धारा (ख) के अधीन अनुमत अपवर्जन की अवधि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) विनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार उपरिलिखित अवधि के समाप्त होने के पहले समाप्त कर दी जाए ।

7. प्राधिकृत कंपनी को परियोजना के लिए धन प्राप्त करने हेतु सीजीडी नेटवर्क पुनर्ग्रहणाधिकार अथवा रहन के लिए बोर्ड से पूर्वामोदन प्राप्त करना होगा। तथापि, किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से धन लेने की स्थिति में संस्था को 7 दिनों की अवधि के भीतर निधियों की स्वीकृति के संबंध में केवल सूचित करना होगा।
8. कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 10 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड को एक विस्तृत और स्पष्ट वित्तीय समाप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
9. कंपनी प्राधिकृत क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस को लाने ले जाने के लिए अनुमोदित नेटवर्क टैरिफ तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार प्रकाशित करेगी।
10. कंपनी सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं तथा रुपए/एमएमबीटीयू में इनवाइस के उद्देश्य के लिए भी पीएनजी की लागू खुदरा बिक्री कीमत प्रकाशित करेगी।
11. कंपनी सभी सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशनों पर रुपए/किग्रा० में सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए इनवाइसिंग के उद्देश्य के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री कीमत प्रकाशित और प्रदर्शित करेगी ।

12. -----बिलियन रुपए का निष्पादन बांड भेजना बोली में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समय पर परियोजना चालू करने के लिए और परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान सेवा संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी के रूप में होगा।
13. कंपनी निम्नलिखित का अनुपालन करे :-
- (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 14 के अधीन यथा निर्दिष्ट सेवा उत्तरदायित्व।
 - (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा उत्तरदायित्व।
 - (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 की अनुसूची-अ में विनिर्दिष्ट सेवा उत्तरदायित्व।
 - (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 15 के अधीन यथानिर्दिष्ट सेवा मानको की गुणवत्ता ।
14. यदि कंपनी का प्राधिकार समाप्त कर दिया जाता है तो बोर्ड उस कंपनी के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को उन शर्तों और निबंधनों पर किसी एजेंसी अथवा दूसरी फर्म को सौंप सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। इसके अलावा, कंपनी को बोर्ड के निर्देशानुसार सीजीडी नेटवर्क के प्रचालन तब तक आगे जारी रखने होंगे जब तक कि बोर्ड द्वारा नियुक्त दूसरी एजेंसी अथवा फर्म सीजीडी नेटवर्क का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में न ले ले।
15. कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क

टैरिफ का निर्धारण और सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार) विनियम 2008, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) विनियम 2008, सुरक्षा मानकों, अन्य विनियमों जो लागू हों और अधिनियम के प्रावधानों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों के लिए संगत विनियमों के अधीन लागू प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

16. कंपनी किसी ऐसी अन्य शर्त अथवा निबंधन का पालन भी करेगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर लोकहित अधिसूचित की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए प्राधिकार के स्वीकृति पत्र को भरकर अपनी स्वीकृति की पुष्टि करने का कष्ट करें और मूल रूप से इसे वापिस भेज दें।

दिनांक :

भवदीय,

हस्ता/-

अधिकारी का नाम और पदनाम
पीएनजीआरबी की ओर से
कार्यालय की मुहर

प्राधिकार स्वीकार करना

मैं/हम दिनांक-----के पत्र सं०----- के तहत पीएनजीआरबी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र को स्वीकार करता हूँ/करते हैं और उन सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं जिसके अधीन -----राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में-----के प्राधिकृत क्षेत्र में नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण के लिए प्राधिकार मिला है।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी /प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम और कार्यालय की मुहर

अनुसूची- ड.

(विनियम 13 (1) देखें)

प्राधिकृत कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर डेटा प्रस्तुत करना

- (क) निम्नलिखित रूप में कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले अपेक्षित डेटा/सूचना का बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा:-
- (1) कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति तथा डीएफआर में निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य;
 - (2) पीएनजी द्वारा कनेक्शन प्राप्त घरेलू उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या तथा बोली में प्रतिबद्ध संख्या या बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा नियत दिन से पहले प्राधिकृत कंपनियों के लिए तय या नियत तिथि से पहले सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, परिचालन करने या विस्तार करने में लगी हुई तथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियां, यदि उन्होंने अपवर्जितता की मांग की है तो ; और
 - (3) वास्तव में बिछाई गई इंच-किमी स्टील पाइपलाइन तथा बोली में प्रतिबद्ध पाइपलाइन या बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा नियत दिन से पहले प्राधिकृत कंपनियों के लिए तय या नियत तिथि से पहले सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, परिचालन करने या विस्तार करने में लगी हुई तथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियां, यदि उन्होंने अपवर्जितता की मांग की है तो ।
- (ख) प्रगति मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी और कमी तथा अंतर, यदि कोई हो की सूचना तुरंत समाधान के लिए वार्षिक आधार पर भेजी जाएगी। सूचनावधि के भीतर वार्षिक तौर पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी विलंब के मामले में अथवा बार-बार उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 16 के अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जितता) विनियम 2008 के विनियम 10 अथवा दोनों के अधीन विनिर्दिष्ट परिणाम भुगतने होंगे।

क	प्राधिकृत कंपनी का नाम	
ख	परियोजना का नाम	
ग	प्राधिकार देने की तारीख	
घ	प्रचालन शुरू करने की तारीख	
ड.	कंपनी के स्वामित्व के गठन का विवरण (कृपया अंतरों का विवरण दें यदि प्राधिकार की तारीख से कोई हुआ हो)	
च	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 14 (7) की आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में कंपनी द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण। टिप्पणी : बोर्ड को ऐसी किसी सूचना अथवा डेटा मांगने का अधिकार होगा जिसे वह उपयुक्त समझे ताकि यह कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुपालन से संतुष्ट रहे।	

छ	वित्तीय ब्यौरा (मिलियन रुपए में)	
1	पूंजीगत निवेश	
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां	
	अथशेष	
	प्रत्यक्ष जमा	
	सीडब्ल्यूआईपी से अंतरण	
	लोप, यदि कोई हो	
	अंतशेष	
	(ख) चल रहा प्रमुख कार्य	
	अथशेष	
	प्रत्यक्ष जमा	

	सीडब्ल्यूआईपी से अंतरण		
	लोप, यदि कोई हो		
	अंतशेष		
2	प्रचालन खर्च		
	(क) उपभोज्य तथा रसायन		
	(ख) सुविधाएं- बिजली और ईंधन		
	(ग) वेतन		
	(घ) मरम्मत और अनुरक्षण		
	(ङ.) सामान्य प्रशासन खर्च (च) बीमा		
	(छ) कोई अन्य खर्च (विवरण दें)		
3	वित्तीय खर्च		
	(क) कार्यपूंजी ऋणों पर ब्याज		
	(ख) आवधिक ऋणों पर ब्याज		
4	मूल्य ह्रास		
5	अर्जित राजस्व		
	(क) नेटवर्क टैरिफ		
	(ख) सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार		
	(ग) प्राकृतिक गैस का विपणन		
	(घ) अन्य आय-ब्याज आदि		
6	ऋणों की स्थिति		
	(क) आवधिक ऋण		
	शुरू किए गए		
	जोड़े गए		
	पुनर्भुगतान किए गए		
	बंद		
	(प्रत्येक ऋण का विवरण दें- ब्याज की दर, ऋण स्थगन, अवधि, शर्तें आदि)		
	(ख) कार्यपूंजी ऋण		

	शुरू किए गए	
	जोड़े गए	
	पुनर्भुगतान किए गए	
	बंद	
	(प्रत्येक ऋण का विवरण दें- ब्याज की दर, ऋण स्थगन, अवधि, शर्तें आदि)	
7	प्रभारित सीएनजी के लिए नेटवर्क टैरिफ और कंप्रेशन प्रभार	
	सीएनजी (रुपए/किग्रा०)	
	नेटवर्क टैरिफ (रुपए/एमएमबीटीयू)	
ज	भौतिक विवरण	
1	सीजीडी नेटवर्क में परिवहनीकृत गैस की मात्रा	
	सीएनजी (किग्रा० में)	
	आवासीय (एमएमबीटीयू और एससीएम में)	
	वाणिज्यिक (एमएमबीटीयू और एससीएम में)	
	औद्योगिक (एमएमबीटीयू और एससीएम में)	
2	प्राकृतिक गैस की औसत उष्णता (एमएमबीटीयू और एससीएम में)	
3	पीएनजी आपूर्तियों वाले उपभोक्ताओं की संख्या	
	घरेलू	
	वाणिज्यिक	
	औद्योगिक	
	<u>टिप्पणी :</u>	
	पीएनजी घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध-	
	क. वास्तविक संख्या को बोली में प्रतिबद्ध संख्या से मिलाना।	
	ख. कमी, यदि अगली अवधि में कोई हो को पूरी करने के लिए कंपनी की कार्ययोजन	
4	पाइपलाइन की लंबाई (किमी० में)	

	पिछली तिमाही तक		
	इस तिमाही में बिछाई गई और निर्मित		
	तिमाही के अंत में लंबाई		
	सामग्री (स्टील अथवा पीई) डाइमीटर प्रेशर रेटिंग आदि के आधार पर सभी प्रकार की पाइपलाइनों का ब्यौरा दें।		
5	ऑनलाइन कंप्रेशन क्षमता (क्यूबिक मी० में और ऑनलाइन कंप्रेसरों की संख्या)		
	गत तिमाही तक		
	इस समय बढ़ाई गई		
	आज की तारीख तक कुल		
6	व्यक्ति अथवा फर्म के सीएनजी उपलब्ध कराने वाले स्टेशन (उपलब्ध कराने की क्षमता क्यूबिक मी० में और संख्या)		
	गत तिमाही तक		
	इस समय बढ़ाई गई		
	आज की तारीख तक कुल		
	(सभी तरह के सीएनजी स्टेशनों के सामने इंगित किया जाना है- मदर, ऑनलाइन और डॉटर बूस्टर स्टेशन आदि)		
7	अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना पूरी करने की स्थिति (प्रतिशतता में भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रतिबद्धता) कृपया प्राधिकार पत्र की समयानुसूची में दिए गए अनुमोदनानुसार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए ब्यौरा उपलब्ध कराएं और अंतर, यदि कोई हो, के कारण बताएं।		
8	सीएनजी वाहन परिवर्तन		
	तिमाही के दौरान सीएनजी में परिवर्तित वाहनों (वाणिज्यिक वाहन, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा, निजी कारें, बसें आदि) की संख्या का विवरण दें		
9	कोई अन्य सूचना अथवा डेटा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो अथवा कंपनी द्वारा संगत समझी गई हो		

दिनांक :

स्थान :

कंपनी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम और कार्यालय की मुहर

टिप्पणी :

उपर्युक्त फॉर्म में सूचना और डेटा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

अनुसूची- च
(विनियम 15 (1) देखें)
सेवा मानकों की गुणवत्ता

सामान्य

सेवा मानकों की गुणवत्ता विनिर्दिष्ट करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अन्य कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने में कंपनी से अपेक्षित निष्पादन न्यूनतम स्तर को विनिर्दिष्ट करना है। कंपनी सेवा मानकों की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं और अन्य फर्मों जैसे पणधारियों के साथ संतोषपूर्ण तरीके से कार्य करने में समर्थ हो, से कतिपय न्यूनतम उत्तरदायित्वों को सही तरीके से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। जहां प्राधिकृत कंपनी को सेवा मानकों की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से बनाए रखना होगा वहां इसे उपभोक्ताओं और अन्य फर्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम उत्तरदायित्वों का व्यापक विज्ञापन करना होगा और उसे उचित तौर पर संविदाओं में अंतर्विष्ट करना होगा। सेवा मानकों की गुणवत्ता नीचे दी गई है :-

1. तंत्र अनुरक्षण और उपभोक्ता वर्गीकरण

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

(क) समय-समय पर सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों हेतु संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के अनुसार तंत्र का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लाइन पैक वैल्यूम के इस्तेमाल के लिए प्राथमिकता के संदर्भ में उपभोक्ताओं का वर्गीकरण किया जाए और निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार सीजीडी नेटवर्क में बाधा अथवा अड़चन आने के मामले में आपूर्ति की बहाली की जाए :-

- (1) घरेलू पीएनजी उपभोक्ता
- (2) अनिवार्य सेवाएं (अस्पताल, क्लीनिक, दुग्ध आपूर्ति आदि)
- (3) सीएनजी उपभोक्ता, और
- (4) अन्य

उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं में प्राकृतिक गैस की आपूर्तियों में रुकावट के संबंध में एक विशिष्ट धारा होनी चाहिए;

(ग) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों हेतु संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के अनुसार सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता को बनाए रखना।

(2) उपभोक्ताओं का उत्तरदायित्व :

(क) परिसर के भीतर फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ख) गैस उपयोग का उद्देश्य स्पष्ट करना और उस कनेक्शन पर उसका उपयोग सुनिश्चित करना।

2. कनेक्शन के लिए अनुरोध

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

(क) प्राधिकार मिलने के बाद प्राधिकृत क्षेत्र के भीतर सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए योजना को जनसाधारण की सूचना के लिए अखबार तथा अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करना;

(ख) उपभोक्ता के परिसर में शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराना और उसमें आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करना;

(ग) सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मानक संविदा की शर्तें बताना;

(घ) कनेक्शन देने के लिए सुरक्षित, सर्वोत्तम संभव मार्ग का चयन करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक उपभोक्ता कनेक्शन के साथ मीटर लगाया जाए;

(च) कॉलोनी के भीतर अथवा किसी क्षेत्र में बिलिंग के लिए अपना जालीदार तंत्र विद्यमान होने के मामले में यह सुनिश्चित करना कि पाइपलाइन नेटवर्क और उपस्कर तकनीकी मानकों के अनुसार हैं, पीएनजी आपूर्ति करने के सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों हेतु संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों को ध्यान में रखा जाए। ऐसे

मामले में कंपनी उपभोक्ताओं सहित किसी तरह की ब्याजमुक्त प्रतिभूति राशि अथवा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई नेटवर्क टैरिफ नहीं लेगा।

(2) उपभोक्ता का उत्तरदायित्व :-

- (क) कंपनी को आवासीय अथवा स्वामित्व की स्थिति में परिवर्तन होने के बारे में सूचित करना;
- (ख) यदि संस्थापन वाले परिसरों में कोई परिवर्तन होना आवश्यक हो, तो कंपनी की पूर्वानुमति लेना;
- (ग) जमा के लिए आवश्यक भुगतान करना और संविदा करना;
- (घ) कोई सिविल कार्य होने पर उपभोक्ता परिसरों के भीतर कंपनी द्वारा संस्थापित उपस्करों और अन्य सुविधाओं, पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना;

3. मीटरिंग और बिलिंग

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) मीटरिंग उपस्कर की ऐसे स्थान पर संस्थापना जहां आसानी से पहुंचा जा सके और मीटरिंग उपस्कर के प्रचालन, अनुरक्षण, निरीक्षण, जांच और प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन के लिए जिम्मेदार;
- (ख) लोगों की जानकारी के लिए मीटरिंग उपस्कर के विनिर्देशनों को प्रकाशित करना;
- (ग) साझी अवसंरचना और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क टैरिफ का उल्लेख करते हुए संविदा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार प्राकृतिक गैस की सप्लाई हेतु बिल बनाना। बिल में उपभोक्ता का नाम और पता, क्रम संख्या, वैल्यूम (एमएमबीटीयू में) मूल्य (रुपए/एमएमबीटीयू) कर/उपकर, राशि, देय तिथि आदि भी होनी चाहिए;
- (घ) सीएनजी के नेटवर्क टैरिफ और कंप्रेशन प्रभार का उल्लेख करते हुए फर्म द्वारा दी जा रही सीएनजी आपूर्ति के लिए बिल बनाना। बिल में उपभोक्ता का नाम और पता, क्रम संख्या, वैल्यूम (किग्रा० में) मूल्य, कर/उपकर, राशि, देय तिथि

आदि भी होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग उपस्कर में ऊष्मा की क्षमता को किग्रा० में बदलने की क्षमता होनी चाहिए;

- (ड) मीटरिंग से संबंधित क्रियाकलापों में किसी मूल्य परिवर्तन का प्रचार करना;
- (च) सही बिल बनाना सुनिश्चित करना;
- (छ) पूर्व निर्धारित दिनों में मीटर रीडिंग के लिए उपभोक्ता के घर अथवा परिसरों में उपयुक्त पहचान के साथ प्राधिकृत प्रतिनिधियों का जाना सुनिश्चित करना।

(2) उपभोक्ता का उत्तरदायित्व :

- (क) जले हुए अथवा खराब हुए मीटर, पाइपिंग, उपस्कर अथवा सुविधाओं अथवा मीटर की रीडिंग न लेने के संबंध में तत्काल कंपनी को सूचित करना;
- (ख) मीटर रीडिंग के दिनों अथवा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर और सुविधाओं के संस्थापन अथवा अनुरक्षण अथवा मरम्मत के समय मीटरिंग यूनिट जाने की अनुमति देना;
- (ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करना।

4. आपूर्ति हटाना

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) कनेक्शन हटाने से पहले विस्तार में कारण बताते हुए उपयुक्त नोटिस देना;
- (ख) यदि लोक सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा हो, तो तुरंत कनेक्शन हटाना।

5. नेटवर्क में बाधाएं

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) नियोजित अनुरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को समय नोटिस देना;

- (ख) बाधा आने पर शीघ्रातिशीघ्र नेटवर्क को बहाल करना सुनिश्चित करना;
और
- (ग) अनियोजित नेटवर्क बाधाओं से तुरंत मुक्ति सुनिश्चित करना;
- (2) उपभोक्ता का उत्तरदायित्व :
- (क) किसी प्रकार के रिसाव, टूटे हुए पाइप आदि के बारे में कंपनी को शीघ्र सूचित करना।

6. आपातकालीन स्थिति से निपटना :

- (1) कंपनी का उत्तरदायित्व :
- (क) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निम्नानुसार एक योजना सुनिश्चित करें -
- (1) पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों के साथ तालमेल बनाकर आपातकालीन स्थितियों का मुकाबला करें;
- (2) आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन कक्ष में चौबीसों घंटे सातों दिन एक व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करें;
- (3) आपातकालीन स्थितियों में व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाएं बताते हुए एक स्पष्ट उत्तरदायित्व चार्ट बनाएं;
- (ख) आपदा प्रबंधन योजना की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिसकी एक प्रति बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।
- (2) उपभोक्ता का उत्तरदायित्व :
- (क) किसी ज्यादा खतरनाक स्थिति के बारे में यथाशीघ्र कंपनी सूचित करें;
- (ख) आपातकालीन स्थिति पर काबू पाने के लिए, यदि अपेक्षित हो, कंपनी के कार्मिक किसी सहायता करें।

7. सूचना प्रसार और उपभोक्ता जागरूकता :

- (1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

(क) पाइपलाइनों के मार्ग, क्षमताओं और प्राकृतिक गैस के दबाव, कैलोरिफिक क्षमता जैसे विनिर्देशनों के बारे में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएं;

(ख) उपभोक्ता जागरूकता अभियानों के जरिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करना-

- (1) प्राकृतिक गैस के उपयोग से उत्तम परिणाम हासिल करने के लिए उपस्कर के बर्नर कन्फिग्रेशन की उपयुक्तता;
- (2) सीएनजी किट और भंडारण सिलेंडर का अनुमोदित मेक, पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन मानकों आदि के अनुसार सीएनजी किट भंडारण सिलेंडर सुरक्षा प्रक्रियाओं उपयुक्त अनुरक्षण, सिलेंडर की नियमित हाइड्रो-जांच के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची।

8. उपभोक्ताओं से निपटना :

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

(क) प्रभार मुक्त आपातकालीन संपर्क टेलीफोन नंबर और उपभोक्ता केंद्र टेलीफोन नंबर विज्ञापित करना जिनमें उपभोक्ता की अनसुलझी शिकायतें उपयुक्त पर्यवेक्षीय स्तर पर सुलझाने की स्वचालित सुविधाएं;

(ख) उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद करने हेतु एक व्यापक उपभोक्ता देखभाल तंत्र और सॉफ्टवेयर स्थापित करना। सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित से निपटने की क्षमता होनी चाहिए -

- (1) उपभोक्ता शिकायतें;
- (2) उपभोक्ता अनुरोध;
- (3) उपभोक्ताओं को डॉकेट नंबर;
- (4) अनुरोध अथवा शिकायत की प्रगति का पता लगाना।
- (ग) बिल जमा करने वाले केंद्रों की स्थापना।

9. डेटाबेस का अनुरक्षण

कंपनी का उत्तरदायित्व :

बोर्ड की डेटा आवश्यकताओं और प्राप्त हुई उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र बनाना।

10. अन्य

व्यक्ति अथवा फर्म सीएनजी के किटों को लगाने के लिए अनुमोदित कार्यशालाओं की स्थापना और प्राधिकृत क्षेत्र में सीएनजी भंडारण सिलेंडरों की आवधिक जांच और प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए सरकार अथवा अन्य विकास एजेंसियों के साथ तालमेल बनाने के साथ-साथ ख्याति प्राप्त मूल उपस्कर विनिर्माताओं के सहयोग से सीएनजी किटों की बड़ी हुई उपलब्धता को आसान बनाने का लगातार प्रयास करेगी-

- (क) सीएनजी किट और किट की संस्थापन लागत और भंडारण सिलेंडरों की लागत में कमी;
- (ख) उपभोक्ता संतुष्टि;
- (ग) सीएनजी किट और भंडारण सिलेंडर मरम्मत।

अनुसूची-छ

[विनियम 16(1) (घ) देखें]

सीजीडी नेटवर्क के प्राधिकार की समाप्ति की प्रक्रिया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचलन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 16 के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा चूक करने पर सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने हेतु कंपनी के प्राधिकार को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया इस प्रकार है -

1. बोर्ड द्वारा प्राधिकार को समाप्त करने का अनुमोदन देने पर कंपनी द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर सीजीडी नेटवर्क, निवेश, देयताओं में चल रहे क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण और ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा निर्देशित हो, प्रस्तुत करनी होगी;
2. कंपनी को तब तक उसी स्तर पर सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन जारी रखना होगा जब तक कि बोर्ड के निर्णयानुसार अन्य एजेंसी अथवा कंपनी सीजीडी नेटवर्क का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में न ले लें। बोर्ड के पास सीजीडी नेटवर्क के प्रबंधन और प्रचालन के लिए किसी अन्य एजेंसी अथवा फर्म को उस समयावधि तक और उन शर्तों और निबंधनों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिन्हें यह उपयुक्त समझे;
3. बोर्ड, एक विज्ञापन जारी करने के माध्यम सहित किसी ऐसे तरीकों, जिसे वह उपयुक्त समझे, सीजीडी नेटवर्क के प्रबंधन और प्रचालन का कार्य अपने हाथ में लेने की इच्छुक कंपनियों से बोलियाँ अथवा अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सकता है;
4. अभिरुचि की अभिव्यक्ति अथवा बोलियाँ, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होने पर बोर्ड मूल्यांकन और उसके पश्चात् प्राधिकार देने संबंधी प्रक्रिया पर उपयुक्त विचार कर सकता है और दोषी कंपनी से सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन अपने हाथ में लेने के लिए कंपनी का चयन कर सकता है;
5. दोषी कंपनी को किसी ऐसे दायित्व, जो उसके पिछले कार्यों के परिणामस्वरूप बाद में सामने आएँ, के लिए नई प्राधिकृत फर्म को मुआवजा देने का वचनपत्र देना होगा।

अनुसूची-ज
(विनियम 17(1) देखें)

निर्धारित दिन से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना।

- 1) यदि कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम 2008 के अधीन अपवर्जन के लिए आवेदन करती है और बोर्ड उसे अपवर्जित प्रदत्त कर देता है तो कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) विनियम, 2008 के अधीन विनियम 8 के उप विनियम (1) की धारा (ख) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, और
- 2) बोर्ड कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक प्रगति की तिमाही के आधार पर निगरानी करेगा और आर्थिक आधार पर किसी अन्तर अथवा कमी के मामले में अनुसूची-ड. में बनाए गए तरीके से आगे कार्रवाई करेगा।

सेवा में

सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,

पहला तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

बाबर लेन, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली - 110 001

विषय:राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में.....और अथवा क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क के संबंध में सूचना।

(सूचना प्रदान करने हेतु यदि आवश्यक हो, अलग शीट संलग्न करें)

भाग-1 - कंपनी का सामान्य ब्यौरा और परियोजना का तकनीकी विवरण	
1.	कंपनी का ब्यौरा
क	कंपनी का नाम
ख	फर्म का प्रकार - पब्लिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटरशिप फर्म साझेदारी दस्तावेज, आदि अन्य (कृपया संगम-ज्ञापन, जैसा भी मामला हो, की एक प्रति संलग्न करते हुए विनिर्दिष्ट करें।

ख	निगमन की तिथि और व्यवसाय शुरू करने की तिथि।	
ग	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ	सभी निदेशको/साझीदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, टेलिफोन नम्बर, ई-मेल पते कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड साइन पूरा विवरण दे।	
ड.	निर्धारित दिन से पहले सीजीओ नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा उसका विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार का पूरा ब्यौरा। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त समझे जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्रों; अनुमतियों, आदि का विवरण। (प्राधिकारी और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाए)।	
2	वित्तीय ब्यौरा।	
क	शेयर पूंजी/स्वामी की अपनी निधियां	
ख	ऋण-राशि, अवधि, ऋण स्थगन अवधि, ब्याज दर, किससे लिया और उसे प्राप्त करने के लिए रहन रखी गई परिसंपत्ति यदि कोई हो।	
ग	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थायी परिसंपत्ति	
ड.	वर्तमान परिसंपत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ	बिक्री कारोबार	
ज	कर पश्चात लाभ	
	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखों और तुल्य पत्रों की प्रतियां। यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है तो मूल कंपनी की गत तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखों और तुल्य-पत्रों की प्रतियां (संलग्न करें)।	
3	फर्म की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	संस्थापन वर्ष के साथ परिसंपत्तियों की मूल लागत और डब्ल्यूडीवी इकाई नेटवर्क शुल्क उपभोक्ता वर्ग-वार प्रचालन लागत का विस्तृत ब्यौरा, सीएनजी के	

	लिए औसत इकाई कंप्रेशन प्रभार, कासकेड माउंटिड सीएनजी प्रणालियों की औसत इकाई परिवहन लागत, और गत तीन वर्षों में उपभोक्ताओं के प्रत्येक वर्ग से ली गई खुदरा बिक्री कीमत, आदि।	
ख.	सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ किए गए तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक सहयोग अथवा करार का ब्यौरा।	
ग	किसी अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण जो प्रवर्तक द्वारा गत तीन वर्षों से चलाया जा रहा हो।	
4	स्वामित्व और संबद्धता विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	व्यावसायिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कंपनी से संबंध संस्थाओं का विवरण। (संबद्ध संस्थाओं का अर्थ वही होगा जो संबद्ध आचार संहिता के संबंधित विनियामक में दिया गया है)।	
ग	कंपनी अपने और अपनी संबंधित कंपनियों के सभी संगत रिकार्ड और दस्तावेज बोर्ड मांग पर प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ.	क्या फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कंपनी है?	हां/नहीं
ड.	क्या फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी द्वारा विकसित हो?	
च	यदि यहां सूचना देते समय फर्म एक कंपनी नहीं है तो क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (विनियम 2008 के अधीन अपवर्जन प्राप्त करने पर कंपनी/अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक कंपनी बनाने का वचन देती है।	हां/नहीं
5	सीजीडी नेटवर्क का तकनीकी ब्यौरा	
क	सीजीडी नेटवर्क का नाम	
ख	कंपनी द्वारा सभी वर्तमान और प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण देते हुए एक भौतिक नक्शे के साथ सीजीडी नेटवर्क के लिए नगरपालिकाओं में वार्ड और प्रभार क्षेत्र की पहचान की गई है।	
ग	सीजीडी नेटवर्क में मौजूदा अवसंरचना के	

	तकनीकी/विनिर्देशन, एफडीआर में अनुमानों सहित तुलना, और अन्तर के कारण। व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें और पाइपलाइनों के डिजाइन, दबाव, डायमीटर, मौटाई, वर्ग, आदि, सीजीडी नेटवर्क का क्षेत्र, मार्ग, पाइपलाइन जंग संरक्षण व्यवस्थाओं; नगर गेट स्टेशनों, मेन ब्लॉक वाल्वों, पृथक्करण वाल्वों, आपातकालिक शटडाउन वाल्व, दुर्गंध निवारक सुविधाओं, मीटरिंग व्यवस्थाओं, सीएनजी अवसंरचनाओं, एचएसई उपायों आदि के बारे में पूरा विवरण उपलब्ध कराएं।	
घ.	परियोजना के लिए अभिकल्पित विकास योजना-चरणवार प्रचालनों को शुरू करने की अनुमानित तिथियाँ और समय अनुसूचियाँ समेत पूंजीगत खर्च को समाप्त करने के ब्यौरे के साथ सीजीडी नेटवर्क की अभिकल्पना और संस्थापित क्षमता। परियोजना को पूरा करने से संबद्ध कार्यकलापों और लक्ष्यों का पूरा ब्यौरा।	
ड.	निर्धारित दिन तक कीमत के साथ भौतिक अवसंरचना में प्राप्त की गई वर्षवार वृद्धि बिछाई गई पाइपलाइनों की संख्या, लम्बाई और प्रकार का विवरण और उपभोक्ताओं को दिए गए कनेक्शनों की संख्या और उनका प्रकार तथा ऑनलाइन कंप्रेशन क्षमता के संदर्भ में सीएनजी अवसंरचना और मौजूदा उपलब्ध कराई जाने वाली संबद्ध अवसंरचना के साथ सेवा देने वाली इकाइयों की संख्या।	

च	(i) निर्धारित दिन तक की अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क में लाई-ले जाई गई और बेची गई प्राकृतिक गैस की मात्रा (सीएनजी सहित वर्ग-वार उपभोक्ता)। (ii) डीएफआर में अनुमानित मात्रा की तुलना में लाई-ले जाई गई तथा बेची गई वास्तविक मात्रा में अन्तर के कारण। (iii) उपभोक्ताओं प्रत्येक श्रेणी के लिए परियोजना की शेष आर्थिक समयावधि के दौरान वार्षिक आधार पर लाने-ले जाने और बेचने के लिए प्रस्तावित प्राकृतिक गैस की मात्रा। उपभोक्ता के साथ सहयोग, यदि कोई हो, का ब्योरा भी दें। एससीएम में बताई जाने वाली मात्रा (अथवा सीएनजी के मामले में कि० ग्रा० में) प्राकृतिक गैस अथवा सीएनजी की मात्रा के एमएमबीटीयू में परिवर्तन के लिए परिवर्तन कारक भी दिए जाएं।	
छ	वर्ग-वार और वर्ष-वार पीएनजी से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या और एफडीआर में अनुमानों की तुलना में अन्तर के कारण।	
ज	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोत और वर्तमान तथा प्रस्तावित कनेक्टिविटी के साथ प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के प्रचालन वाली फर्मों के साथ क्षमता करार। चरण-वार ढंग से प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक गैस स्रोत के करारों का विवरण। कृपया गैस खरीद-बिक्री करार अथवा समझौता-ज्ञापन, जैसा भी मामला हो, की प्रतियां संलग्न करें।	
झ	परियोजना के किफायती कार्यकाल से अधिक मांग का मूल्यांकन - उपभोक्ताओं के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुमानित वार्षिक मांग।	
ञ	प्रचालन प्रारम्भ होने की तारीख से परियोजना के चरण-वार ढंग से पूरा होने का समय अनुसूची। (परियोजना पूरी होने से जुड़े सभी कार्यकलापों का पूरा ब्योरा अलग से दिया जाए)	

ट.	क्या राज्य, जिसके क्षेत्राधिकार में सीजीडी नेटवर्क आता है, ने कोई विधान बनाया है अथवा उक्त शहर अथवा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रशासनिक कार्रवाई की है? यदि हां, तो उक्त विधान अथवा प्रशासनिक आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराएं।	
ठ.	क्या सीजीडी नेटवर्क के अभिकल्प, बिछाने, निर्माण करने, और उसका विस्तार करने अथवा प्रचालन करने के समय सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों के लिए संगत विनियमों के अधीन सुरक्षा मानकों सहित लागू तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों का ध्यान रखा जाता है? कृपया ब्यौरा दें।	हां/नहीं
ड.	कृपया लागू आपदा प्रबंधक योजना की प्रति संलग्न करें।	
ढ.	क्या यह योजना किसी राजसहायता अथवा किसी रियायत की पात्र है अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से किसी सांविधिक उपकर की हकदार है। यदि हां, तो फर्म की वर्षवार उपयोगिता दर्शाते हुए पूरा ब्यौरा दे।	हां/नहीं
ण.	क्या कंपनी ने नियत दिन तक सीजीओ नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए किसी अपवर्तन अवधि का लाभ उठाया हो?	
प.	अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजनाओं के विवरण? डीएफआर में अनुमानित पूंजीगत व्यय का गत तीन वर्षों के दौरान किए गए वर्ष-वार वास्तविक पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता क्या है? और अन्तर, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं? (ये आंकड़े गत तीन वित्तीय वर्षों और नियत दिन तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाने अपेक्षित हैं।	
भाग-II - कंपनी द्वारा संगत समझी गई कोई अन्य प्रस्तुति		
भाग-III। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निगम/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विनियम-2008 के अन्तर्गत सीजीडी नेटवर्क बिछाने, प्रचालन या विस्तार करने के लिए मांगा गया विस्तृत औचित्य। (कृपया नीचे दी टिप्पणी देखें)		

क	सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने या करने के लिए मांगा गया औचित्य। तर्क के समर्थन में आंकड़े, विश्लेषण या दस्तावेज संलग्न के रूप में उपलब्ध कराए जाएं।	
ख	सामान्य वाहक और संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार से बाहर आने के लिए मांगने का औचित्य दें। कृपया बताएं कि किस अवधि के लिए छूट ली जा रही है।	- वही -
	घोषणा-। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना, मेरी जानकारी और विश्वास तथा और विवरणों में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पूरी तरह सत्य है और यहां दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के भागी होंगे।	
	मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करते हैं कि निर्धारित समय सीमा में बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी या आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएंगे।	

टिप्पणी : 1) यदि कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम 2008 के अधीन अपवर्जन के लिए आवेदन करती है और बोर्ड उसे अपवर्जित प्रदत्त कर देता है तो कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) विनियम, 2008 के अधीन विनियम 8 के उप विनियम (1) की धारा (ख) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, और

2) बोर्ड कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक प्रगति की तिमाही के आधार पर निगरानी करेगा और आर्थिक आधार पर किसी अन्तर अथवा कमी के मामले में अनुसूची-ड. में बनाए गए तरीके से आगे कार्रवाई करेगा।

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सही है और इस आवेदन के साथ अनुबन्ध तथा विवरण के रूप में दी गई सूचना सही, पूर्ण और

सच्चाई से वर्णित हैं और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने और दण्ड दिए जाने के उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

2. मैं/हम बोर्ड द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना या आंकड़े निर्धारित समय में उपलब्ध कराने का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

स्थानः

आधिकारिक सील

सूचना भरने के लिए निर्देश:-

1. फार्म तथा संलग्न दस्तावेजों में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट और बिना किसी कांट-छांट के होनी चाहिए।
2. पृथक विवरण में दिए जाने वाले ब्यौरे उस मुद्दे के स्पष्ट उल्लेख के साथ दिए जाएं जिसके साथ इसे सम्बद्ध किया जा रहा है।
3. आवेदन-पत्र और सभी अनुबन्ध वक्तव्य आदि के सभी पृष्ठ किसी नोटरी पावर ऑफ एटॉर्नी के माध्यम से आवेदक कंपनी द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा आद्याक्षरित किए जाने चाहिए।
4. आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना और भरे गए आंकड़ों को उससे संगत प्रमाण संलग्न करके सिद्ध करना होगा।
5. कंपनी को मूल के अलावा आवेदन-पत्र की सभी अनुलग्नकों सहित पांच प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
6. अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अनुसूची झ
[देखें विनियम 18 (1)]

कंपनियां, जो केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं, को सीजीडी नेटवर्क हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन

क. बोर्ड नीचे दिए गए फार्म में कंपनी द्वारा दी जाने वाली सूचना और आंकड़ों का विश्लेषण इस प्रकार करेगा-

- 1) सीजीडी परियोजना में कंपनी द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रगति तथा पहले ही की गई वित्तीय प्रतिबद्धता की तुलना इसके डीएफआर में निर्देशित संबंधित सूचना से करके, और
- 2) कंपनी द्वारा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 18(2) के मानदण्डों की पूर्ति का मूल्यांकन करके।

सेवा में,
सचिव,

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
बाबर लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

विषय :राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में.....नगर में नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण परियोजना हेतु प्राधिकरण प्रदान करने के लिए

(आवेदन सूचना प्रदान करने के लिए जहां-कहीं जरूरी हो, पृथक शीट लगाएं)

कंपनी का सामान्य ब्यौरा और परियोजना का तकनीकी विवरण		
1.	कंपनी का ब्यौरा	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	फर्म का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/निजी लिमिटेड कम्पनी/सहभागिता फर्म/स्वामित्व वाली फर्म/अन्य	

	साझेदारी के नियमों, सहभागिता पत्र, आदि यदि कोई हो, की प्रति संलग्न करें	
ग.	संस्थापन की तारीख और कारोबार आरम्भ करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/साझेदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा ब्यौरा दें)	
3	वित्तीय ब्यौरा	
क	शेयर पूंजी/प्रोपराइटर की निजी संपत्ति	
ख	ऋण-राशि, अवधि, स्वागत अवधि, ब्याज दर, किससे लिया गया और इसे प्राप्त करने के लिए गिरवी अथवा बन्धक रखी गई परिसम्पत्ति, यदि कोई हो।	
ग	आरक्षित निधि, यदि कोई हो	
घ	अचल परिसम्पत्तियां	
ड.	वर्तमान परिसम्पत्तियां	
च	वर्तमान देयताएं	
छ	बिक्री व्यवसाय	
ज	कर उपरांत लाभ	
	(पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित लाभ और हानि के खाते तथा तुलन पत्र की प्रतियां संलग्न करें) - यदि कंपनी सहायक कम्पनी है तो मूल कम्पनी के गत तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित लाभ तथा हानि के खातों और तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं	
3	कंपनी के व्यापार कार्यकलाप	
क	चालू किए जाने के वर्ष के साथ परिसम्पत्तियों की मूल लागत और डब्ल्यूडीवी, प्रचालन लागतों का विस्तृत ब्यौरा, ग्राहक श्रेणीवार यूनिट नेटवर्क शुल्क, सीएनजी के लिए औसत इकाई दबाव प्रभार, कॉसकेड माउंटेड सीएनजी प्रणालियों की औसत इकाई परिवहन	

	लागत और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के ग्राहक से प्रभारित खुदरा बिक्री मूल्य, आदि।	
ख	किसी अन्य कंपनी के साथ तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक समझौता अथवा सहयोग का ब्यौरा। ऐसे किसी गैस खरीद-बिक्री के करार, समझौता-ज्ञापन अथवा करार की मुख्य शर्तों जैसा भी मामला हो, की प्रतियां संलग्न करें।	
ग	पिछले तीन वर्षों में प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का ब्यौरा।	
5.	स्वामित्व और सम्बद्धता का ब्यौरा	
क	प्रवर्तकों का ब्यौरा	
ख	कंपनी के सभी सम्बद्ध व्यक्तियों का ब्यौरा जिसमें कंपनी और "सम्बद्ध" के बीच कारोबारी संबंध का उल्लेख किया जाए। "सम्बद्ध" का अर्थ वही होगा जो संबद्ध आचार संहिता के संबंधित विनियामक में परिभाषित है।	
ग	कंपनी बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपने और अपने संबंधित कंपनियों के सभी संगत रिकार्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता है।	हां/नहीं
घ	कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन और सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण प्रचालन अथवा विस्तार में संलग्न कंपनियों के लिए सम्बद्ध आचार संहिता) विनियम, 2008 का पालन करने का वचन देता है।	हां/नहीं
ड.	क्या कंपनी कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है?	हां/नहीं
च	क्या किसी कम्पनी द्वारा प्रवर्तित कंपनी कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है?	हां/नहीं
छ	व्यक्ति/फर्म, यदि वह आवेदन करते समय	हां/नहीं

	कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी नहीं है, प्राधिकरण दिए जाने हेतु चयन होने पर कंपनी बनने का वचन देती है।	
6	सीजीडी नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे	
क	सीजीडी नेटवर्क का नाम	
ख	सीजीडी नेटवर्क के लिए कंपनी द्वारा चिह्नित निगम बोर्ड और प्रभार क्षेत्र के साथ-साथ सभी विद्यमान और प्रस्तावित सुविधाएं दर्शाने वाला एक भौतिक मानचित्र।	
ग	विद्यमान अवसंरचना की तकनीकी विनिर्दिष्टियां और डीएफआर के इस संबंध में प्रक्षेपित सूचना के साथ तुलना और भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण पाइपलाइनें डिजाइन, दबाव, व्यास, मोटाई, श्रेणी, आदि, सीजीडी नेटवर्क के क्षेत्र, मार्ग ब्यौरा, पाइपलाइन को जंग से बचाने के प्रबन्ध, नगर द्वार पर स्टेशनों, मुख्य ब्लॉक वाल्व, आइसोलेशन वाल्व, आपातक रोक वाल्व, ओडराइजेशन सुविधाओं, मीटर लगाने संबंधी व्यवस्थाओं, सीएनजी स्टेशनों, एचएसई उपायों आदि के संबंध में पूरा ब्यौरा देते हुए व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।	
घ	परियोजना के लिए परिकल्पित विकास योजना पीवीडी नेटवर्क का डिजाइन और संस्थापित क्षमता के साथ-साथ चरणबद्ध पूंजी व्यय योजनाओं का ब्यौरा और प्रचालनों के आरम्भ होने का चरण-वार समय-निर्धारण तथा प्रक्षेपित तारीखें/परियोजना के पूरा होने से सम्बद्ध कार्यकलापों और लक्ष्यों का पूरा ब्यौरा दें।	
ड.	मूल्य सहित वास्तविक अवसंरचना में प्राप्त वर्ष-वार विकास। बिछाई गई पाइपलाइनों की संख्या, लम्बाई और प्रकार तथा प्रकारों के रिसाव से कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की संख्या तथा ऑनलाइन कम्प्रेशन क्षमता के रूप में सीएनजी अवसंरचना और विद्यमान	

	सम्बद्ध अवसंरचना सहित वितरण सुविधाओं की संख्या का ब्यौरा दिया जाए। प्रत्येक परिसम्पत्ति शीर्ष में सकल तथा निवल ब्लॉक मूल्य निदर्शित किया जाए।	
च	i) सीजीडी नेटवर्क में वाहित तथा ग्राहक श्रेणी-वार बेची गई प्राकृतिक गैस की मात्रा जिसमें गत वर्ष-वर्षों से निर्धारित दिवस तक सीएनजी शामिल हैं। ii) वाहित और बेची गई वास्तविक मात्रा की तुलना में डीएफआर में प्रक्षेपणों में भिन्नता के कारण। iii) प्रत्येक श्रेणी के ग्राहक के लिए परियोजना की शेष आर्थिक अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर वाहित किया जाने और बेचे जाने के लिए प्रस्तावित प्राकृतिक गैस की मात्रा। ग्राहक से किया गया समझौता, यदि कोई हो, का ब्यौरा भी दें। मात्रा एमएससीएम (अथवा सीएनजी के लिए कि०ग्रा० में) निर्दिष्ट की जानी है। प्राकृतिक गैस अथवा सीएनजी की मात्रा अथवा भार को एमएमबीटीयू में परिवर्तन के लिए परिवर्तन घटक दिए जाएं।	
छ	ग्राहकों की संख्या जिन्हें वर्ग-वार और वर्ष-वार सीएनजी कनेक्शन दिए गए और डीएफआर में प्रक्षेपणों के साथ भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण।	
ज	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोत तथा विद्यमान और प्रस्तावित कनेक्टिविटी सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का स्वामित्व और प्रचालन करते वाले कंपनी के साथ क्षमता समझौता/प्राकृतिक गैस स्रोत समझौता के ब्यौरे चरण-वार दिए जाने दें। गैस खरीद-विक्री करार, समझौता-ज्ञापन अथवा करार की मुख्य शर्तें, यदि कोई हों, की प्रतियां संलग्न करें।	

झ	परियोजना की आर्थिक अवधि में मांग संबंधी आकलन प्रत्येक श्रेणी के ग्राहक के लिए अनुमानित वार्षिक मांग।	
ञ	प्रचालनों के आरम्भ होने की तारीख से परियोजना के चरणवार पूरा होने की समय-सूची परियोजना के पूरा होने से सम्बद्ध सभी कार्यकलापों का पूरा ब्यौरा पृथक से प्रदान किया जाना है।	
ट	क्या उस राज्य, जिसके क्षेत्राधिकार में सीजीडी नेटवर्क अवस्थित है, ने उक्त नगर में प्राकृतिक गैस के उपयोग के संवर्धन के लिए कोई विधान बनाया है अथवा कोई प्रशासनिक कार्रवाई की है? यदि प्रश्न का उत्तर हां है, तो उक्त विधान अथवा प्रशासनिक आदेश की प्रति प्रदान करें।	हां/नहीं
ठ	क्या सीजीडी नेटवर्क का डिजाइन बनाने, बिछाने संबंधी कार्य करने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्दिष्टियों के लिए संगत विनियमों के तहत सुरक्षा मानकों सहित प्रयोज्य तकनीकी मानकों, विनिर्दिष्टियों पर विचार किया गया है और उनका अनुपालन किया है? ब्यौरा दें।	
ड	आपदा प्रबंधन योजना की प्रति संलग्न की जाए।	
ढ	क्या यह परियोजना केन्द्र अथवा राज्य सरकार से किसी राजसहायता, कर माफी अथवा छूट अथवा स्थगन की पात्र है? यदि हां, तो ब्यौरा दें	हां/नहीं
ण	क्या कंपनी ने विद्यमान सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए विशिष्टता की किसी अवधि का लाभ उठाया है?	
प	स्वीकृत पूंजीगत व्यय योजनाओं का ब्यौरा? गत तीन वर्षों में डीएफआर में प्रक्षेपित पूंजी	

	व्यय का वर्ष-वार वास्तविक पूंजी व्यय का प्रतिशत क्या है और भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण दें?	
फ	विनियम 5(6) के अवधि गैर-प्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क	रुपए < >
	डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश	
	डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश संख्या और तारीख	
	जारी करने वाले बैंक और शाखा का नाम	
भाग-II: बोर्ड द्वारा सीजीडी नेटवर्क के लिए प्राधिकरण प्रदान करने हेतु आवेदन के संबंध में कंपनी द्वारा संगत समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी		
भाग-III: पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क हेतु विशिष्टता) विनियम, 2008 के अन्तर्गत सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए विशिष्टता की मांग के लिए विस्तृत औचित्य (कृपया नीचे दी गई टिप्पणी देखें)।		
क	सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण अथवा विस्तार में विशिष्टता की मांग के लिए औचित्य। कृपया मांगी गई विशिष्टता की अवधि निर्दिष्ट करें।	समर्थन में आंकड़े विश्लेषण और दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
ख	सामान्य वाहक और संविदा वाहक के दायरे से छूट की मांग की दृष्टि से विशिष्टता की मांग के लिए औचित्य। कृपया मांगी गई विशिष्टता की अवधि निर्दिष्ट करें।	- वही -

टिप्पणी : 1) यदि कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम 2008 के अधीन अपवर्जन के लिए आवेदन करती है और बोर्ड उसे अपवर्जित प्रदत्त कर देता है तो कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अपवर्जन) विनियम, 2008 के अधीन विनियम 8 के उप विनियम (1) की धारा (ख) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, और

- 2) बोर्ड कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक प्रगति की तिमाही के आधार पर निगरानी करेगा और आर्थिक आधार पर किसी अन्तर अथवा कमी के मामले में अनुसूची-ड. में बनाए गए तरीके से आगे कार्रवाई करेगा।

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सही है और इस आवेदन के साथ अनुबन्ध तथा वक्तव्य के रूप में दी गई सूचना सही, पूर्ण और सच्चाई से वर्णित हैं और इसमें दिया गया कोई वक्तव्य, यदि सही नहीं पाया जाता, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा तथा मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने और दण्ड दिए जाने के उत्तरदायी होंगे।
2. मैं/हम बोर्ड द्वारा निर्धारित एक कार्य निष्पादन बांड प्रस्तुत करने का वचन भी देता हूँ।
3. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह एकमात्र आवेदन है और इस नगर अथवा भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी सम्बद्ध के माध्यम से कोई अन्य आवेदन नहीं भेजा गया है और न ही पृथक रूप भेजा जा रहा है।

तारीख
स्थान

कंपनी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
और हस्ताक्षर आधिकारिक सील

आवेदन फार्म भरने के लिए निर्देश:-

1. फार्म तथा संलग्न दस्तावेजों में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट और बिना किसी कांट-छांट के होनी चाहिए।
2. पृथक विवरण में दिए जाने वाले व्यौरों उस मुद्दे के स्पष्ट उल्लेख के साथ दिए जाएं जिसके साथ इसे सम्बद्ध किया जा रहा है।
3. आवेदन-पत्र और सभी अनुबन्ध वक्तव्य आदि के सभी पृष्ठ किसी नोटरी पावर ऑफ एटॉर्नी के माध्यम से आवेदक कंपनी द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा आयाक्षरित किए जाने चाहिए।
4. आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना और भरे गए आंकड़ों को उससे संगत प्रमाण संलग्न करके सिद्ध करना होगा।
5. कंपनी को मूल के अलावा आवेदन-पत्र की सभी अनुलग्नकों सहित पांच प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
6. अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अनुसूची-अ

[देखें अनुसूची घ में प्राधिकरण प्रदान करने के फार्म की धारा 13 (ग)]

कंपनी की सेवा बाध्यताएं

1. सामान्य

क) कंपनी संबंधित स्वीकृति प्राधिकरणों से सभी सांविधिक परमिट, निकासियां और

स्वीकृतियां प्राप्त करेगी और उक्त परमिटों, निकासियों तथा स्वीकृतियों की सभी समय पर

वैधता सुनिश्चित करेगी।

ख) प्राधिकरण के जारी रहने के दौरान, कंपनी नगर और इसके निवासियों को इस प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी, स्वीकृत टैरिफ प्रभारित करेगा; अन्ततः प्रयोक्ता ग्राहकों के लिए एक तिमाही में एक बार से अधिक घरेलू पीएनजी के मूल्य नहीं बदलेगी और वर्तमान नियमों और विनियमों, जिनमें किए जाने वाले संशोधन शामिल हैं, का पालन करेगी।

ग) कंपनी नगर द्वारा स्टेशन तक प्राकृतिक गैस की उतनी मात्रा और समयावधि, जो सीजीडी नेटवर्क में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होगी, की पहुंच हेतु एक ठोस करार करेगी।

(घ) कंपनी निम्नलिखित के लिए उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं व्यवस्थित करेगा:-

- (i) इसकी परिसम्पत्ति की सुरक्षा;
- (ii) नेटवर्क के प्रचालन में हानि और अपशिष्ट को रोकना;
- (iii) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्दिष्टताओं, जैसी कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई हैं, का अनुपालन करते हुए नेटवर्क का सुरक्षित प्रचालन;
- (iv) एक सुरक्षा अपेक्षा के रूप में प्राकृतिक गैस में गन्ध देने वाला पदार्थ मिलाना;
- (v) आवधिक सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना;
- (vi) प्राकृतिक गैस की बिक्री और वितरण;
- (vii) ग्राहक शिकायतों का निपटान;
- (viii) ग्राहकों और वितरकों के उत्तरदायित्व विनिर्दिष्ट करना; और
- (ix) सीजीडी नेटवर्क का विस्तार।

प्राधिकृत कंपनी द्वारा उक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं की एक प्रलेखित प्रति बोर्ड को दी जाएगी और वह उसे आम जनता के हित में व्यापक रूप से प्रकाशित करेगा। बोर्ड द्वारा यदि कोई संशोधन सुझाए जाते हैं तो कंपनी द्वारा उन्हें करना होगा।

(ड.) किसी ग्राहक को प्राकृतिक गैस की बिक्री करने वाला कंपनी :-

- (i) सीजीडी नेटवर्क में उपयोग हेतु भुगतान किए जाने वाले टैरिफ और अनुबंध में प्रस्तावित अन्य संगत शर्तों सहित प्राकृतिक गैस के पहुंच मूल्य के संबंध में सभी संगत जानकारी प्रदान करेगा;
- (ii) प्राकृतिक गैस के उपयोग की ओर झुकाव के लिए ग्राहक पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) कोई गैर-विनियमित सेवा प्राप्त कर रहे ग्राहक पर सशर्त प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखेगा; और
- (iv) ऐसा कोई प्रतिवेदन अथवा वक्तव्य अथवा कोई उत्तर नहीं देगा या ऐसा कोई उपाय नहीं करेगा जो असत्य हो या किसी ग्राहक के लिए भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना हो।

(च) कंपनी उपयुक्त धाराओं के साथ अपने प्रस्तावित ग्राहकों के साथ अनुबंध करेगी ताकि धारा 1(घ) में विनिर्दिष्ट दायित्वों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में अनुपालक सुनिश्चित किया जा सके:-

- (i) अनुबंध की वैधता के लिए समयावधि; और
- (ii) बिल दिए जाने की आवृत्ति अथवा स्मार्ट-कार्ड आधारित प्री-पेड गैस आपूर्ति प्रणाली।

(छ) कंपनी नगर गैस वितरण के कारोबार में उपयोग की गई सभी परिसम्पत्तियों का बीमा करेगी और इस संबंध में बीमा पॉलिसी तृतीय पक्ष की देयताओं को भी कवर करेगी।

2 निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण

(क) कंपनी कोई खुदाई अथवा संबंधित कार्य नहीं करेगी जिसमें किसी सड़क अथवा राजमार्ग के पथमार्ग के हिस्से की सतह में कोई विघ्न अथवा बाधा डाले जब तक कि नगर अथवा स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति एजेंसियों से ऐसा करने की अनुमति पहले प्राप्त न कर ली गई हो और कंपनी द्वारा तदनन्तर किए गए सभी निर्माण कार्य, पुनःस्थापन कार्यों तक और उनके सहित, नगर अथवा स्थानीय प्रशासन की संतुष्टि के अनुरूप किए जाएंगे।

(ख) कंपनी धारा 2(क) में प्रदान की गई अनुमति से नगर अथवा स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति एजेंसियों की पूर्व स्वीकृति के बिना, विपणन नहीं करेगा।

(ग) कंपनी नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन में सभी उचित पूर्वोपायों का उपयोग करेगी ताकि किसी व्यक्ति अथवा परिसम्पत्ति को क्षति अथवा चोट से बचा जा सके। कंपनी अथवा इसके एजेंटों की लापरवाही के कारण होने वाली किसी हानि, चोट अथवा क्षति के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी और प्रभावित पक्षों को क्षतिपूर्ति भी करेगा।

(घ) कंपनी सीजीडी नेटवर्क की मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी और आपदा प्रबन्धन प्रणाली प्रचालनात्मक बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ.) कंपनी प्राकृतिक गैस लेखा प्रणाली सहित एक आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन प्रणाली व्यवस्थित करेगी।

(च) कंपनी सीजीडी नेटवर्क के विस्तृत "निर्माणानुसार" ड्राइंग सहित मानचित्र, जिनमें पाइपलाइन संबंधित उपकरणों का आकार, गहराई और अवस्थिति निदर्शित मार्ग सहित मार्कर खम्बों की अवस्थिति, पाइपलाइन अनुपात आदि सही से दर्शाया गया हो, नगर अथवा स्थानीय प्रशासन को नियमित आधार पर प्रस्तुत करेगी और इसमें किसी परिवर्तन, वर्धन अथवा विलोपन को नियमित रूप से अद्यतन करेगी।

(छ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि मुख्य पाइपलाइन, सर्विस पाइपलाइन और सभी अन्य सम्बद्ध उपकरण इस प्रकार संस्थापित किए जाएं कि वे सार्वजनिक अथवा निजी उपयोग की किसी नाली, सीवर, पानी की पाइप अथवा पहले से संस्थापित किसी सार्वजनिक सुविधा जिसमें नगर में गली, तंग रास्ते, मार्ग, सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल हैं, को बाधित अथवा रोक न लगाए और संबंधित प्राधिकरणों से वांछित अनुमतियां प्राप्त करें।

(ज) यदि नगर पानी की किसी मुख्य लाइन, पाइप, नाली के निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत अथवा अन्य सार्वजनिक सुधार अथवा अपनी किसी गली, तंग रास्ते, सड़क या सार्वजनिक मैदान जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी मुख्य पाइपलाइन अथवा संबंधित उपकरण के लिए किया जा रहा हो, की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता है, तो कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं अपने खर्च पर अपनी सुविधाओं को उठाए, नीचे करे अथवा पुनर्स्थापित करे।

(झ) कंपनी किसी गैस वितरण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्रदान करने से पहले सभी आवश्यक गुणवत्ता संबंधी जांच और निरीक्षण प्रमाणीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(ञ) कंपनी लम्बे समय से उपयोग में नहीं लाई जा रही अथवा अपमर्जित कर दी गई किसी गैस पाइपलाइन के हिस्से, उपकरण आदि को उचित रूप के साथ, पृथक, बन्द अथवा विखण्डित करेगा ताकि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मानचित्रों तथा ड्राइंग में आवश्यक संशोधन करेगा।

(ट) कंपनी के पास निरीक्षण, परीक्षण, व्यासमापन और मीटरों तथा उपकरणों की मरम्मत आदि के प्रयोजन के लिए नामित सुविधाओं सहित उचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं होंगी।

(ठ) अन्य कोई सेवा दायित्व जो बोर्ड नगर अथवा स्थानीय प्रशासन के परामर्श से विनिर्दिष्ट करेगा।

(ड) आपदा प्रबन्धन योजना व्यवस्थित करेगा जिसमें आपसी सहायता प्रणाली और स्थल से परे अथवा स्थल पर आपातकालीन योजना शामिल है।

3. कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सेवाएं और डाटाबेस

(क) कंपनी का प्राधिकृत क्षेत्र, जहां नगर गैस वितरण नेटवर्क स्थापित और प्रचलित किया जा रहा है, में अपने कार्यालय का एक वर्तमान डाक पता और दूरभाष संख्या होगा।

(ख) कंपनी एक डाटाबेस तैयार करेगी और अनुरोध किए जाने पर बोर्ड को निम्न के संबंध में ब्यौरे देगी:-

- (i) ग्राहक;
- (ii) ग्राहकों के साथ अनुबंध;
- (iii) अनुबंध नवीकरण अथवा विस्तार;
- (iv) वाहन में लगाए गए सीएनजी किट और सिलेण्डर के चिन्हीकरण ब्यौरे के साथ सीएनजी में परिवर्तित वाहन।

4. ग्राहक सूचना की गोपनीयता

(क) कंपनी ग्राहक की लिखित सहमति के बिना बोर्ड के अलावा किसी व्यक्ति को ग्राहक सूचना का खुलासा नहीं करेगी सिवाय जन सूचना पर्याप्त रूप से ऐसे समूहित हो गई हो कि एक वैयक्तिक ग्राहक की सूचना पृथक रूप से चिन्हित नहीं की जा सकती अथवा जब ग्राहक सूचना का निम्नलिखित के लिए खुलासा करना अपेक्षित हो:-

- (i) बिल दिए जाने अथवा बाजार प्रचालन प्रयोजनों के लिए;
- (ii) कानून प्रवर्तन प्रयोजना के लिए; और
- (iii) जब ग्राहक के विगत देय लेखे किसी ऋण संग्रहण एजेंसी को अन्तरित किए गए हों।

(ख) कंपनी ग्राहकों को धारा 4(क) में निर्धारित शर्तों के संबंध में सूचित करेगी जिसके अन्तर्गत ग्राहक सूचना ग्राहक की सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को जारी की जा सकती है।

(ग) कंपनी ग्राहक सूचना का उपयोग, उस प्रयोजन के सिवाय जिसके लिए यह प्राप्त की गई है, नहीं करेगी।

5. शिकायतें

(क) कंपनी अपने ग्राहक सेवा केन्द्र के पतों और दूरभाष संख्या को शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रदान करेगा और इन्हें समय-समय पर व्यापक तौर पर विज्ञप्ति जारी करेगी।

(ख) कंपनी प्राप्त शिकायतों का एक समयबद्ध तरीके से निपटान करने में सभी उचित प्रयास करेगी।

(ग) कंपनी प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देने और बोर्ड को मासिक आधार पर निम्न ब्यौरा देने के लिए एक स्वचालित प्रणाली तैयार करेगा:-

- (i) कंपनी द्वारा प्राप्त अथवा बोर्ड द्वारा भेजी गई शिकायतें;
- (ii) शिकायत के निपटान की पद्धति और समय;
- (iii) निपटान के लिए बकाया शिकायत; और
- (iv) कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हों।

[फा. सं. एस-एडीएमएन/11/8/2007-वॉल्यूम-1]

अजय त्यागी, सचिव

सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2008

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) “appointed day” means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
 - (c) “authorized area” means the specified geographical area for a city or local natural gas distribution network (hereinafter referred to as CGD network) authorized under these regulations for laying, building, operating or expanding the CGD network which may comprise of the

following categories, either individually or in any combination thereof, depending upon the criteria of economic viability and contiguity as stated in Schedule A, namely:-

- (i) geographic area, in its entirety or in part thereof, within a municipal corporation or municipality, any other urban area notified by the Central or the State Government, village, block, tehsil, sub-division or district or any combination thereof; and
 - (ii) any other area contiguous to the geographical area mentioned in sub-clause (i);
- (d) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (e) "City Gate Station" (hereinafter referred as CGS) means the point where custody transfer of natural gas from natural gas pipeline to the CGD network takes place;
- (f) "compression charge for CNG" means a charge (excluding statutory taxes and levies) in Rs. / Kg for online compression of natural gas into compressed natural gas (hereinafter referred to as CNG) for subsequent dispensing to customers in a CNG station;
- (g) "development of a CGD network" means laying, building, operating or expanding a city or local natural gas distribution network;
- (h) "network tariff" means the weighted average unit rate of tariff (excluding statutory taxes and levies) in rupees per million British Thermal Units (Rs./ MMBTU) for all the categories of customers of natural gas in a CGD network;

(i) "piped natural gas" (hereinafter referred as PNG) means natural gas transported through pipelines in a CGD network for consumption by any customer in domestic, commercial or industrial segments and includes natural gas supplied to an online CNG station before its compression.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application.

(1) These regulations shall apply to an entity which is laying, building, operating or expanding, or which proposes to lay, build, operate or expand a CGD network.

(2) A CGD network shall be designed to operate at a pressure as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards for maintaining the volumes of supply of natural gas on a sustained basis to meet the following requirements, namely:-

(a) customers having requirement of natural gas upto 50,000 SCMD shall be supplied through the CGD network;

(b) customers having requirement of natural gas more than 50,000 SCMD and upto 100,000 SCMD shall be supplied-

(i) through the CGD network; or

(ii) through a pipeline not forming part of the CGD network;

(c) customers having requirement of natural gas more than 100,000 SCMD shall be supplied through a pipeline not forming part of the CGD network.

4. Initiation of proposal through expression of interest route or *suo-motu* by Board.

- (1) An entity desirous of laying, building, operating or expanding a CGD network shall submit an expression of interest to the Board in the form of an application at Schedule B alongwith an application fee as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.
- (2) The Board may *suo-motu* invite bids from entities interested in laying, building, operating or expanding a CGD network for any specified geographical area.

5. Criteria for selection of entity for expression of interest route.

- (1) The Board may carry out a preliminary assessment of the expression of interest with respect to the following, namely:-
 - (a) natural gas availability position;
 - (b) possible connectivity with an existing or proposed natural gas pipeline for supply of natural gas to the city gate of the proposed CGD network, including LNG supplies by tank trucks or tank wagons and CNG by cascades; and
 - (c) any other relevant issue as the Board may consider necessary.
- (2) The Board may, within fifteen days of the receipt of expression of interest and based on its preliminary assessment, either issue an open

advertisement in at least one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting) publishing receipt of an expression of interest and commencement of public consultation process period of thirty days or reject the expression of interest:

Provided that in case the Board rejects the expression of interest, it shall inform the entity of the decision alongwith the reasons for rejecting the expression of interest.

- (3) During the period of public consultation process, any person or entity may submit in writing to the Board its views, if any, on the expression of interest.
- (4) The Board may, based on the views received and taking into consideration the criteria specified in Schedule A, decide or fix the authorized area for the proposed CGD network, including the decision whether it should be different from that indicated in the expression of interest.
- (5) The Board may, within a period of fifteen days after the end of the public consultation process period, publish through an open advertisement in at least one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting), the proposal for the development of CGD network and invite bids for the same.
- (6) The Board shall scrutinize the bids received in response to the advertisement in respect of only those entities which fulfill the following minimum eligibility criteria, namely:-
 - (a) entity has paid the application fee alongwith the application-cum-bid as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007:

Provided that the entity submitting the bid, which has already paid the application fee at the time of submission of the expression of interest

shall not pay the application fee at this stage unless there is a requirement to pay additional application fee on account of change in the authorized area;

(b) entity is technically Capable of laying and building CGD network as per the following qualifying criteria, namely:-

- (i) entity has on its own in the past laid and built either a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a CGD network;
- (ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent equity holding by that entity) which in the past has laid and built either a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a CGD network;
- (iii) entity intends to lay and build proposed city or local gas distribution network on lump sum turnkey or project management consultancy basis through one or more technically competent firms which in the past have laid and built either a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a CGD network and the entity shall also enclose a list of such firms alongwith aforesaid proof of their technical competence:

Provided that the entity shall have the freedom to choose from amongst such firms at the time of execution of the project and the Board reserves the right to cross verify the credential of the firms included in the list and seek any clarifications; or

- (iv) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in construction, pre-commissioning

and commissioning of hydrocarbon pipelines and also has a credible plan to independently undertake and execute the CGD project on a standalone basis.

Explanation.- The entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than one year in the following areas, namely:-

- (i) right of way acquisition or clearance securing;
 - (ii) design and execution of a hydrocarbon pipeline project;
 - (iii) pre-commissioning including hydro-testing and restoration;
and
 - (iv) safety of hydrocarbon pipeline and installations;
- (c) entity is technically capable of operating and maintaining a CGD network as per the following qualifying criteria, namely:-
- (i) entity on its own has an experience of at least one year in operations and maintenance of a CGD network;
 - (ii) entity has a joint venture with another entity (with eleven percent holding of that entity) which has an experience of at least one year in operations and maintenance of a CGD network;
 - (iii) entity intends to operate and maintain the proposed CGD network through an appropriate technical assistance agreement for a period of at least one year with another party having experience of at least one year in operations and maintenance of a CGD network; or

(iv) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in commissioning, and operation and maintenance (O&M) of hydrocarbon pipelines and also has a credible plan to independently undertake the O&M activities for a CGD project on a standalone basis.

Explanation.-

1. In relation to sub-clause (iii), -

a) the entity shall submit in its application-cum-bid an exhaustive list of proposed firms with whom it desires to have a technical assistance agreement alongwith the proof of relevant and credible experience of such firms and the entity may choose a firm or more from amongst the firms in this list for operation and maintenance of the proposed CGD network and the Board reserves the right to cross verify the credential of the firm or firms included in this list and seek any clarifications;

b) the entity shall also submit a credible plan along with the bid to develop an in-house O&M team for city or local gas distribution network.

2. In relation to sub-clause (iv), the entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than one year in the following areas, namely:-

a) commissioning of a hydrocarbon pipeline;

- b) operation and maintenance of natural gas pipelines and natural gas installations including gas compressors;
- c) commercial issues including gas pricing, gas measurement, accounting, billing and collection; and
- d) safety of natural gas infrastructure;
- (d) the entity has agreed to abide by the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards;
- (e) the entity has adequate financial strength to execute the proposed project, operate and maintain the same in the authorized area and shall meet the following financial criterion to qualify for bidding for a single CGD network, namely:-

Tier	Population in the authorized area as per census of India, 2001 or other published records of the Central or the State Government, whichever is higher	Minimum combined net worth (*) of the entity along with its promoters available for investments in a single CGD Network duly supported by letter of comfort from promoters
(1)	(2)	(3)
I	5 million or more	= Rs.1,500 million for a population of 5 million, and proportionately higher for population of more than 5 million (\$)
II	1 million or more but less than 5 million	= Rs.1,000 million
III	0.5 million or more but less than 1 million	= Rs.500 million
IV	0.25 million or more but less than 0.50 million	= Rs.250 million
V	0.1 million or more but less than 0.25 million	= Rs.100 million
VI	Less than 0.1 million	= Rs.50 million

(*) combined net worth (equity share capital plus free reserves, but excluding revaluation reserves) to be adequately represented by cash funds, which shall be available as bridge finance and as promoters equity contribution in the project as certified by a Chartered Accountant based on the latest financial position of the entity and its promoters. The promoters undertaking, in the form of letter of comfort, stating that promoters financial contribution in the project shall be converted in to equity share capital within three months of the date of grant of authorization must accompany the application.

(\$) For example, if the population is 12 million, then, the combined net worth shall be equal to a minimum of Rs.3,600 million (i.e., Rs.1,500 million X 12 / 5);

- (f) the entity, on being declared as a successful bidder and not being a company registered under the Companies Act, 1956, shall become a company registered under the Companies Act, 1956;
- (g) the entity should have a credible plan for sourcing natural gas for supply in the proposed CGD network;
- (h) entity shall furnish a bid bond for an amount equal to-

- i) rupees fifty million for a population of five million and proportionately higher amount for population of more than five million.

Illustration.- The bid bond in case of population of the city or local area of twelve million shall be rupees one hundred twenty20 million (that is, rupees fifty million X 12/ 5);

- ii) rupees thirty million for a population of one million and more but less than five million;
- iii) rupees twenty million for a population of half a million and more but less than one million;
- iv) rupees fifteen million for a population of quarter of a million and more but less than half a million;
- v) rupees ten million for a population of one-tenth of a million and more but less than quarter of a million;
- vi) rupees five million for a population less than one-tenth of a million;

- (i) entity submitting the bid should not have been imposed any penalty under section 28 or punished under Chapter IX of the Act;
 - (j) in case the entity submitting the bid does not fulfill the requirements of any criteria under clauses (a) to (i), the bid submitted by it shall be summarily rejected and a communication in this regard shall be sent to it and the financial bid shall not be opened for that entity;
 - (k) the bid bond shall be –
 - i) encashed if an entity submitting the bid walks out;
 - ii) released in respect of the unsuccessful entity submitting the bid;
 - iii) retained till the prescribed performance bond is furnished at the time of authorization by the successful bidder.
- (7) The application-cum-bid shall be submitted in two parts in the form as specified in Schedule C in separate properly earmarked and sealed envelopes, namely:-
- (a) Part I (Technical bid) covering general particulars of the entity and technical details of the project including minimum eligibility criteria under sub-regulation (6);
 - (b) Part II (Financial bid) covering the financial details under regulation 7.
- (8) A time period of sixty days shall be allowed for submission of the application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating and expanding the CGD network and any application-cum-bid received after the notified date shall not be considered.

- (9) The Board may extend the date of submission of bids upto a period of one month through an advertisement in the same manner as specified under sub-regulation (5), including in a situation where only a single application-cum-bid is received in response to the original advertisement.

6. Invitation by Board for laying, building, operating or expanding of CGD network.

The Board may *suo-motu* form a view regarding the development of a CGD network in a specific city or a geographic area, and in such a case, the procedure as specified in regulation 5 (except aspects relating to the expression of interest shall be replaced by project details as prepared by the Board) shall apply.

7. Bidding criteria.

- (1) The Board, while considering the proposal for authorization, shall tabulate and compare all financial bids meeting the minimum eligibility criteria, as per the bidding criteria given below, namely:-
- (a) lowness of the present value of the overall unit network tariff for usage of the proposed CGD network by all categories of customers of natural gas (including supply of natural gas to online compressor for CNG) over the economic life of the CGD network project (twenty five years from the date of authorization). The entity is required to bid for the tariff charge for each year of the economic life of the project. This shall have a weightage of forty percent;
 - (b) lowness of the present value of the compression charge for CNG for dispensing in the CNG stations in the proposed CGD network over the economic life of the project. The entity is required to bid for the compression charge for CNG for each year of the economic life of the project. This shall have a weightage of ten percent;

- (c) highness of the present value of the inch-kilometer of steel pipelines proposed to be laid in the CGD network during the period of exclusivity in terms of an exemption from the purview of the common carrier or contract carrier as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. The entity is required to bid for the inch-kilometer of steel pipeline in CGD network for each of the year of the exclusivity period. This shall have a weightage of twenty percent; and
- (d) highness of the present value of the number of domestic customers proposed to be connected by PNG by the entity during the period of exclusivity in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. The entity is required to bid for the number of domestic customers to be connected by PNG for each of the year of the exclusivity period. This shall have a weightage of thirty percent.
- (2) The present value in the criteria at clauses (a) to (d) of sub-regulation (1) shall be calculated by the entity using a discount rate equal to fourteen percent.
- (3) Entity with the highest composite score considering the criteria under clauses (a) to (d) of sub-regulation (1) and as illustrated in Schedule C (1) shall be declared as successful in the bid.

8. Fixation and recovery of network tariff and compression charge for CNG.

- (1) The network tariff for transportation of natural gas in the CGD network shall be fixed as per the network tariff bid under clause (a) of the sub-regulation (1) of regulation 7 and shall be recovered from all categories of customers of PNG and CNG.

- (2) The compression charge for CNG in the CGD network shall be fixed as per the compression charge for CNG bid under clause (b) of the sub-regulation (1) of regulation 7 and shall be recovered from the customers of CNG only.
- (3) The entity shall recover the network tariff and the compression charge for CNG separately through an invoice without any premium or discount on a non-discriminatory basis.
- (4) Any cost subsequent to the online compression of natural gas into CNG, such as, towards storage and transportation of CNG in a cascade mounted system to a CNG station is an activity associated with the dispensation of CNG and is not covered under these regulations.

9. Performance bond.

- (1) Grant of authorization shall be issued to the selected entity after it furnishes a performance bond of an amount equal to-
 - (a) rupees one hundred million or five percent of the estimated project capital cost, whichever is higher in respect of an authorized area with a population of five million or more;
 - (b) rupees sixty million or five percent of the estimated project capital cost, whichever is higher in respect of an authorized area with a population of one million or more but less than five million;
 - (c) rupees forty million or five percent of the estimated project capital cost, whichever is higher in respect of an authorized area with a population of half a million or more but less than one million;
 - (d) rupees thirty million or five percent of the estimated project capital cost, whichever is higher in respect of an authorized area with a population of quarter of a million or more but less than half a million;

- (e) rupees twenty million or five percent of the estimated project capital cost, whichever is higher in respect of an authorized area with a population of one-tenth of a million or more but less than quarter of a million;
- (f) rupees ten million or five percent of the estimated project capital cost, whichever is higher in respect of an authorized area with a population less than one-tenth of a million.

Explanation.- The amount of the performance bond shall be revised by applying the above basis in case the estimated project cost undergoes a change on completion of the financial closure as per regulation 11.

- (2) The performance bond has been prescribed for guaranteeing the timely commissioning of the proposed CGD network as per the prescribed targets and also for meeting the service obligations by the selected entity during the operating phase of the project.

10. Grant of authorization.

- (1) The authorization shall be granted to the selected entity in the form at Schedule D within a period of thirty days of the last date of submitting the bid.
- (2) The grant of authorization is subject to the entity achieving a firm natural gas tie-up and a financial closure as per regulation 11.
- (3) The grant of authorization to the entity shall not be renounced by way of sale, assignment, transfer or surrender to any person or entity during the period of three years from the date of its issue.
- (4) The entity intending to renounce the authorization in favour of another entity after the end of the three years period shall submit a proposal to the Board at least thirty days in advance and shall provide all information as may be called for by the Board.

- (5) The Board after satisfying itself that the proposal will not adversely affect the existing or proposed activities of laying, building, operating or expansion of the CGD network shall either accept the proposal in full or with such modifications as it may deem fit and in a case where the entity is permitted by the Board to take over the activities of laying, building, operating or expanding the CGD network such entity shall abide by the existing or modified terms and conditions of the authorization including compliance with the service obligations and adherence to the quality of service standards:

Provided that the Board reserves the right to reject the proposal in public interest and in such a case the Board shall provide in writing the reasons for such rejection.

11. Natural gas tie-up and financial closure.

- (1) The entity authorized under regulation 10 shall enter into a firm natural gas supply agreement for the proposed CGD network project with any entity owning natural gas in a transparent manner on the principle of "at an arm's length" for a period equal to or more than the exclusivity period for exemption from the purview of common carrier or contract carrier allowed under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 within ninety days of the date of issue of the authorization.
- (2) The volume of natural gas supply under the agreement referred to in sub-regulation (1) shall be equal to at least fifty percent of the volumes considered in the determination of the network tariff bid for each year of the exclusivity period allowed for exemption from the purview of common carrier or contract carrier under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

- (3) The authorized entity shall obtain the financial closure of the project from a bank or financial institution within a period of one hundred and twenty days from the date of the authorization.
- (4) In case of an internally financed project, the entity shall submit the approval of its 'Board of Directors' for the detailed feasibility report (hereinafter referred as DFR) of the project alongwith its financial plan within one hundred and twenty days of the authorization:

Provided that the Board may ask the entity to submit any further details or clarifications on the financial closure.

- (5) In case the entity fails to meet the requirements at sub-regulations (1) to (4), the authorization of the entity for laying, building, operating or expanding CGD network shall be cancelled and the performance bond shall be encashed and the Board reserves the right to re-award the authorization in a transparent manner and the entity shall have no right whatsoever against the Board for seeking any compensation or remedy on this account.

12. Exclusivity period.

The period of exclusivity to lay, build, operate or expand a city or local natural gas distribution shall be as per the provisions in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

13. Post-authorization monitoring of activities (pre-commissioning).

- (1) An authorized entity shall provide, on a quarterly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and other relevant information in the form at Schedule E.
- (2) The Board shall seek compliance by the entity to the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards through conduct of technical and safety audits during the commissioning phase as

well as on an on-going basis thereafter for ensuring safe commissioning and operation of the CGD network.

- (3) The Board shall monitor the progress of the entity in achieving various targets with respect to the CGD network project, and in case of any deviations or shortfall, advise remedial action to the entity.

14. Service obligations of authorized entity (post commissioning).

- (1) The entity may take an interest-free refundable security deposit from domestic PNG Customer towards security of the following equipments and facilities including the labour cost of installation towards last mile connectivity, that is, between the riser isolation valve before the metering unit and the suraksha hose pipe connecting the burner in the customer's premises for an amount not exceeding rupees five thousand for a single connection, namely:-

- (a) riser isolation valve before the metering unit;
- (b) ten meters of pipe up to the metering unit;
- (c) metering unit;
- (d) five meters of pipe or tube from the metering unit up to the excess flow check valve-cum-isolation valve;
- (e) excess flow check valve-cum-isolation valve; and
- (f) suraksha hose pipe of standard size connecting the domestic PNG burner:

Provided that the network tariff bid by the entity shall include the charges towards the last mile connectivity.

Explanation.-

1. The domestic PNG customer shall bear the actual cost of the material and labour charges for pipe and the tubing in excess of the length specified above.
2. The domestic PNG customer shall pay the actual cost of installation including labour charges from the common metering unit onwards for connecting another domestic PNG burner or any other gas-based appliance in the same premises.
- (2) The entity may take an interest-free refundable security deposit from non-domestic PNG customers for an amount not exceeding the actual cost of the metering unit and other related equipment and labour charges towards installation:

Provided that these are installed by the entity in the customer's premises.

- (3) The entity shall not exert any undue influence on any domestic PNG customer to purchase natural gas burner stove or avail of any other service not connected with the supply of natural gas.
- (4) The entity shall convert the existing LPG burner stove of a prospective domestic PNG customer into natural gas burner stove free of charge.
- (5) The authorized entity shall maintain separate books of accounts including detailed activity-based costing records to segregate direct, indirect and common costs alongwith the basis of allocation and the revenues earned in respect of the activities of-
 - (a) purchase of natural gas including its odourization;
 - (b) transportation of natural gas in the CGD network;

- (c) online compression of natural gas into CNG;
 - (d) transportation of CNG in a cascade mounted system, if any;
 - (e) marketing or distribution including commission allowed to any agency for marketing or distribution of natural gas and CNG in the CGD network; and
 - (f) dispensing of CNG including booster compression, if any.
- (6) The costs and revenues associated with activities other than those stated in clauses (a) to (f) of sub-regulation (5) should be reflected separately in the books of accounts of the entity.
- (7) The authorized entity shall ensure that –
- (a) there is no cross-subsidization of the costs between the activity of transportation and the activity of marketing of natural gas in the CGD network;
 - (b) the confidentiality of customer information collected in the course of providing regulated service is maintained; and
 - (c) there is no preferential access allowed to itself or to any other entity for the activity of transportation of natural gas in the CGD network.
- (8) The authorized entity shall be responsible for getting the technical and safety audits carried out by independent technical experts or accredited agencies out of the panel approved at regular intervals during the commissioning phase as well as on an on-going basis thereafter to ensure compliance with the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards and the audit report alongwith the

findings shall be submitted to the Board and the Board may review the same and advise remedial action, if any, to the entity.

- (9) The entity will have to meet the service obligations as stated under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

15. Quality of service standards.

- (1) The entity laying, building, operating or expanding a CGD network must comply with the quality of service standards as specified in Schedule F.
- (2) The performance of the entity in complying with the quality of service standards shall be periodically assessed by the Board and compared against the minimum prescribed benchmarks and a performance consistently below the minimum prescribed benchmark may lead to the consequences specified under regulation 16.

16. Consequences of default and termination of authorization procedure.

- (1) An authorized entity shall abide by all the terms and conditions specified in these regulations and any failure in doing so, except for *force majeure*, shall be dealt with as per the following procedure, namely:-
- (a) the Board shall issue a notice to the defaulting entity allowing it a reasonable time to fulfill its obligations under the regulations;
- (b) no further action shall be taken in case remedial action is taken by the entity within the specified period to the satisfaction of the Board;
- (c) in case of failure to take remedial action the Board may encash the performance bond of the entity as per the following basis, namely:-

(i) twenty five percent of the amount of the performance bond for the first default; and

(ii) fifty percent of the amount of the performance bond for the second default:

Provided that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the cases at sub-clause (i) and (ii) within a week of encashment, failing which the remaining amount of the performance bond shall also be encashed and authorization of the entity terminated.

(iii) one hundred percent of the amount of performance bond for the third default and simultaneous termination of authorization of the entity;

(d) the procedure for implementing the termination of an authorization shall be as provided in Schedule G;

(e) without prejudice to as provided in clauses (a) to (d), the Board may also levy civil penalty as per section 28 of the Act in addition to taking action as prescribed for offences and punishment under Chapter IX of the Act.

17. Entity authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding CGD network before the appointed day.

- (1) The entity shall submit relevant information along with supporting documents in the form as in Schedule H within a period of one hundred and eighty days from the appointed day.
- (2) The entity shall abide by the terms and conditions of the authorization by the Central Government including obligations, if any, imposed by the Central Government.

- (3) The entity shall abide by the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards and the quality of service standards as specified under regulation 15.
- (4) The Board may consider grant of exclusivity on such terms and conditions as per the provisions in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.
- (5) The network tariff and the compression charge for CNG shall be as determined under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG), Regulations 2008.
- (6) The activities of the entity may be subject to such other regulations as may be applicable as per the provisions of the Act.

18. Entity not authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding CGD network before the appointed day.

- (1) An entity laying, building, operating or expanding a CGD network at any time before the appointed day but not duly authorized to do so by the Central Government shall apply immediately for obtaining an authorization in the form as at Schedule I.
- (2) The Board may take into consideration the following criteria while considering the application for grant of authorization, namely:-
 - (a) the entity meets the minimum eligibility criteria as at specified in clauses (a) to (e) and (i) of sub-regulation (6) of regulation 5 before the appointed date and is possessing all necessary statutory clearances, permissions, no objection certificates from the Central and State Governments and other statutory authorities;

- (b) an entity which is not registered under the Companies Act, 1956 at the time of submitting the application for grant of authorization shall undertake to become a company registered under the Companies Act, 1956:

Provided that the Board may exempt an entity to register under the Companies Act, 1956 on such conditions as it may deem appropriate;

- (c) a satisfactory assessment of the actual physical progress made and the financial commitment thereof till immediately before the appointed day in comparison with the entity's DFR appraised by the financial institution funding the project. In case the project has not been funded by any financial institution, the Board may appraise the DFR. The DFR of the entity should clearly indicate the specified geographical area of the project and also specify the coverage proposed for CNG and PNG. In case upon scrutiny of the DFR by the Board by taking into account the geographical area, customer segments, infrastructure requirements, etc. proposed by the entity, the DFR is found to be sub-optimal and unacceptable, the Board may not consider the case of the entity for issuing the authorization;

- (d) in respect of the actual physical progress made and the financial commitment thereof referred to in clause (c), a physical progress of at least twenty five percent and a financial commitment of at least twenty five percent of the capital expenditure identified for the CGD project as per the DFR immediately before the appointed day may be considered as adequate;

- (e) the entity should have arranged, by way of acquisition or lease, land for CGS and procured the necessary equipment for erecting the CGS before the appointed day;

- (f) the Board reserves the right to get the actual physical progress and the financial commitment certified and depending upon the progress achieved, the Board may consider authorizing the entity for the authorized area-
- i) as per the geographical area in its DFR;
 - ii) as per the geographical area actually covered under implementation till the appointed day; or
 - iii) the geographical area as specified by the Board;
- (g) in relation to laying, building, operating or expanding the CGD network, it is for the entity to satisfy the Board on the adequacy of its ability to meet the applicable technical standards, specifications and safety standards as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards and the quality of service standards as specified in regulation 15;
- (h) assessment of the financial position of the entity in timely and adequately meeting the financial commitments in developing the CGD network project as appraised by a financial institution and an examination of the audited books of accounts of the entity;
- (i) firm arrangement for supply of natural gas to meet the demand in the authorized area to be covered by the CGD network;
- (j) any other criteria considered as relevant by the Board based on the examination of the application.
- (3) The evaluation of the application in terms of the clauses (a) to (j) shall be done in totality considering the composite nature and the inter-linkages of the criteria.

- (4) The Board, after examining the application in terms of the criteria under sub-regulation (2) and also taking into account the requirements in other regulations may form a *prima-facie* view as to whether the case should be considered for authorization.
- (5) In case of *prima-facie* consideration, the Board shall issue a public notice in one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting) giving brief details of the project and seek comments and objections, if any, within thirty days from any person on the proposal.
- (6) The Board, after examining the comments and objections, if any under sub-regulation (5), may either consider or reject the case for grant of authorization for the CGD network.
- (7) In case it is decided to grant authorization, the same shall be in the form at Schedule D;
- (8) In case of rejection of the application, the Board shall pass a speaking order after giving a reasonable opportunity to the concerned party to explain its case and proceed to select an appropriate entity for the project in terms of regulation 6.
- (9) In case the entity is selected for grant of authorization for CGD network,-
 - (a) the network tariff and the compression charge for CNG shall be determined under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG), Regulations 2008;
 - (b) the Board may consider grant of exclusivity on such terms and conditions as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory

Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks)
Regulations, 2008;

- (c) the entity shall abide by the technical standards, specifications including safety standards as specified under relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards;
- (d) the provisions under regulations 9, 13, 14, 15 and 16 shall apply to the entity.

19. Miscellaneous.

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

Schedule A *Bal*

[see regulations 2 (1) (c) and 5 (4)]

Basis for defining authorized area for laying, building, operating or expanding CGD network

The specified geographical area in respect of an authorized area for a CGD network as per regulation 2 (1) (c) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 may be determined considering the following criteria of economic viability and geographical contiguity, namely:-

1. Economic viability.

The authorized area should have natural gas demand potential over various categories of customers to *prima-facie* justify investments in laying, building, operating or expanding a CGD network over its economic life. The guiding principles in this regard may include -

- a) viable projected volume built-up representing all types of customer segments, such as, industrial, commercial, transport, domestic, etc.;
- b) ease of operation and maintenance of the CGD network in the proposed area and serviceability to all category of customers; and
- c) economic viability of the project of laying, building, operating or expanding a CGD network in the area proposed.

2. Geographical contiguity.

For the purpose of any area to be considered as contiguous to the geographical area as per regulation 2 (1) (c) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, such an area shall not have an economic viability to have an independent CGD network on its own.

Note:

The Board reserves the right to intervene during the expression of interest stage itself, if in its opinion the specified geographical area is too large to sustain customer service; or allow safe and convenient operations; or has a potential to restrict competition. In the alternative, the Board may also intervene in case the geographical area considered is too small; or covers only a certain class of customers; or tantamount to cherry-picking. In all such cases, the Board may prescribe a geographical area of a size different than that indicated in the expression of interest.

Schedule B

[see regulations 4 (1) and 5 (6)]

Application form for submitting expression of interest by an entity desirous of laying, building, operating or expanding a CGD network

- A. Only an entity which complies with the minimum eligibility criteria as per regulation 5 (6) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 is eligible to submit its application for submission of expression of interest to the Board.
- B. Entities must enclose documentary proof in support of its meeting the minimum eligibility criteria.
- C. The entity submitting the expression of interest must submit the following information:

1	General Details
A	Name of the Entity
B	Type of firm – Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify)
C	Date of incorporation and date of commencement of business
D	Address of Registered office
2	Basic Data
A	1) Population and number of households under the proposed CGD network. 2) Geographical area in square kilometers and segregated in different categories in terms of the provisions under regulation 2 (c) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. The area should also be depicted in a physical map. 3) Economic activity in the proposed geographical area in terms of industrial and commercial activity (number of units and fuel mix). 4) Vehicular population profile.
B	Preliminary Assessment of the potential demand for natural gas in the proposed CGD network amongst various customer segments.

C	Likely source of supply of natural gas and plans for access to the natural gas pipeline.
D	Whether the States or the Union Territories, in whose jurisdiction the proposed CGD network is located, has enacted any legislation or taken any administrative action to promote the use of natural gas in the said city? If the reply to the question is yes, then, provide copy of the said enactment or administrative order.
3	Application fee of Rs. _____ paid vide demand draft/ pay order number < _____ > and dated < _____ > drawn on <name of bank and branch>.

Date:

Place:

Name and signature of entity or authorized signatory

Official Seal

Schedule C

[see regulation 5 (7)]

Application-cum-bid for grant of authorization for CGD network

To,
The Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre
Babar Lane, Connaught Place,
New Delhi – 110 001.

Sub: Application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding city or local natural gas distribution network in the proposed geographical area of _____ in the State or Union Territory of _____ under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part-I – General details of the entity and technical details of the project (to be submitted in a properly earmarked, sealed and separate envelope)	
1	Details of the entity
A	Name of the entity
B	Type of firm – Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm / others (please specify and attach copy of Articles of Association or Partnership deed, etc., as applicable).
C	Date of incorporation and date of commencement of business.
D	Address of registered office.
E	Name, addresses, telephone numbers, e-mail ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and Pin Code).
2	Financial details
A	Share capital or proprietor's own funds as applicable.
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.
C	Reserves, if any

D	Fixed Assets	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	
G	Sales Turnover	
H	Profit After Tax	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years) - In case entity is a subsidiary company, copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years of the parent company to be attached.	
3	Business activities of the entity	
A	Details of all existing city gas distribution network of the entity, if any, and including design specifications, installed capacity, capital cost, year-wise details of operating cost, age of the network, gas volumes transported in the network alongwith details of customer profile, distribution network map and drawings showing details of existing facilities and future plan, natural gas sources, average unit network tariff being charged, etc.	
B	Details of tie-up or collaboration with any entity for natural gas supply and marketing.	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last five years.	
4	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning the business relationship between the entity and the affiliates ("affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct).	
C	The entity undertakes to produce all relevant records or documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
D	Is the entity a company registered	Yes / No

	under Companies Act, 1956?	
E	Is the entity promoted by a company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
F	The entity undertakes to become a company, in case it is not a company at the time of submission of this application-cum-bid, under the Companies Act, 1956 on being selected for grant of authorization.	Yes / No
G	Promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that their financial contribution in the project shall be converted in to equity share capital within three months of the date of grant of authorization. Enclose the letter of comfort from the promoters:	Yes / No
5	Technical details of the proposed CGD network project	
A	Name of the proposed CGD network project.	
B	Details of the city, town or area earmarked in developmental zones in respect of the proposed CGD network project along with a sketch showing facilities proposed.	
C	Technical specifications of the project attaching the copy of the feasibility report and covering full details of pipeline design, pressure, length of network, pipeline diameter, pipeline thickness, route, corrosion protection arrangements, city gate station, natural gas source, tap-off points, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, odourization facilities, metering arrangements, CNG stations, HSE measures, etc.	
D	Development plan envisaged for the proposed CGD network project - design and installed capacity of the CGD network along with details of phased-out capital expenditure plans including the projected dates of commencement of operations phase-wise and the details of the activities	

	or targets associated with the completion of the project to be enclosed.	
E	Estimates of volume of natural gas including supplies to CNG stations before compression proposed to be transported and sold. Also, give details of projected anchor volumes, if any.	
F	Sources of supply of natural gas and capacity tie-up with the natural gas pipeline including connectivity and the details of tie-up phase wise, if any.	
G	Whether the State or the Union Territory, in whose jurisdiction the proposed CGD network is located, has enacted any legislation or has taken administrative action to promote the use of natural gas in the said geographical area? If the reply to the question is yes, then provide copy of the said enactment or the administrative order.	Yes / No
H	Are all applicable technical standards, specifications including safety standards, as specified under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards have been considered and complied with in designing the CGD network? Provide full details.	Yes / No
I	Attach copy of the Disaster Management Plan.	
J	Is the project entitled to any subsidy, exemption, deferment or waiver of any statutory levy from the Central or the State Governments? If yes, give complete details indicating the year-wise utilization plan of the entity.	Yes / No
K	Non-refundable Application fee under the regulation 5 (6).	Rs. < _____ >
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order number and date	
	Name of issuing bank and branch	
L	Bid bond	Rs. < _____ >

	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order number and date	
	Name of issuing bank and branch	
Part-II: Financial bid (to be submitted in a separate earmarked sealed envelope) to be opened for those entities qualifying the minimum eligibility criteria under regulation 5 (7)		
A	Present Value (PV) of the Weighted Average Network Tariff Bid for laying, building, operating or expanding the CGD network over the economic life of the project (which is twenty five years from the date of authorization).	PV of the weighted average unit network tariff bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of 14% is Rs.<____> per MMBTU Year-wise weighted average unit network tariff bid- Year 1: Rs.<____> per MMBTU Year 2: Rs.<____> per MMBTU ... Year 25: Rs.<____> per MMBTU
B	Present Value (PV) of the compression charge bid for compressing natural gas into CNG for dispensing in the CNG stations of the CGD network over the economic life of the project (which is 25 years from the date of authorization).	PV of the compression charge for CNG bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of 14% is Rs.<____> per Kg Year-wise compressed charge for CNG bid- Year 1: Rs.<____> per Kg Year 2: Rs.<____> per Kg ... Year 25: Rs.<____> per Kg
C	Present Value (PV) of inch-kilometer of steel pipeline bid in the CGD network during the period of exclusivity in terms of exemption from purview of common carrier or contract carrier.	PV of inch-kilometer of steel pipeline bid in the CGD network using the discount rate of 14% is <inch-kilometer> Year-wise inch-kilometer bid- Year 1: <____> inch-kilometer

		Year 2: < ___ > inch-kilometer Year 3: < ___ > inch-kilometer etc. (Each year of exclusivity in terms of exemption from purview of common carrier or contract carrier)
D	Present Value of the number of PNG domestic customers bid in the CGD network during the period of exclusivity in terms of exemption from the purview of common carrier or contract carrier.	PV of the number of PNG domestic connections bid using the discount rate of 14% is <Number> Year-wise number of PNG domestic connections bid- Year 1: < ___ > number Year 2: < ___ > number Year 3: < ___ > number etc. (Each year of exclusivity in terms of exemption from purview of common carrier or contract carrier)

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the annexure, attachments, enclosures and calculation sheets accompanying this application-cum-bid are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, the application-cum-bid shall be rejected, the application fee and the Bid Bond shall be forfeited and I / We shall be liable to be proceeded against and for punishment under the provisions of the Act.
2. I / We certify that the above application-cum-bid is the only application-cum-bid submitted and no other application-cum-bid has been or is being submitted separately for this city or local area by me / us.

Date:

Place:

Name and Signature of Entity/ Authorized Signatory

Official Seal

Instructions for filling the Application-cum-bid:

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement may be enclosed giving clear reference of the point against which the same is being attached.
3. All pages of the application-cum-bid and the attachments and statements need to be serially numbered and initialed by the person or official authorized by the entity through a notarized power of attorney.
4. Any information filled in the application-cum-bid needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The entity is required to submit five true copies of the application-cum-bid with all the enclosures in addition to the original.
6. Incomplete application-cum-bid is liable to be summarily rejected.

Schedule C (1)

[see regulation 7 (3)]

Illustration showing the basis of determining the highest composite score for ascertaining the successful bid for grant of authorization for CGD network

Let there be three entities whose bids need to be compared for determining the successful bid over the bidding criteria described below-

(A) Network tariff bid in CGD network.

Let,

N1 = Present value of the network tariff bid for twenty five years by the 1st entity.

N2 = Present value of the network tariff bid for twenty five years by the 2nd entity.

N3 = Present value of the network tariff bid for twenty five years of the 3rd entity.

Assume that N1 is lower than N2 and N2 is lower than N3.

The least present value of the network tariff bid (LN1) shall be given a score of 100% and the present value of the other network tariff bids shall be given a score in relation to LN1 on a pro-rata basis as under-

LN1 = 100 % for N1

LN2 = 100 % x (N1 ÷ N2)

LN3 = 100 % x (N1 ÷ N3)

(B) Compression charge for CNG bid in CGD network.

Let,

C1 = Present value of the compression charge for CNG bid for twenty five years by the 1st entity.

C2 = Present value of the compression charge for CNG bid for twenty five years by the 2nd entity.

C3 = Present value of the compression charge for CNG bid for twenty five years by the 3rd entity.

Assume that C1 is more than C2 and C2 is more than C3.

The least present value of the compression charge for CNG bid (C3) shall be given a score of 100% and the present value of the other network compression charge for CNG bids shall be given a score in relation to LC3 on a pro-rata basis as under-

$$LC1 = 100 \% \times (C3 + C1)$$

$$LC2 = 100 \% \times (C3 + C2)$$

$$LC3 = 100 \%$$

(C) Inch-Kilometer of steel pipelines bid in CGD network.

Let,

IK1 = Present value of the inch-kilometer of steel pipelines bid by the 1st entity over the period of exclusivity in terms of the exemption from the purview of the contract carrier or common carrier.

IK2 = Present value of the inch-kilometer of steel pipelines bid by the 2nd entity over the period of exclusivity in terms of the exemption from the purview of the contract carrier or common carrier.

IK3 = Present value of the inch-kilometer of steel pipelines bid by the 3rd entity over the period of exclusivity in terms of the exemption from the purview of the contract carrier or common carrier.

Assume that IK1 is lower than IK2 and IK2 is lower than IK3.

The highest present value of the inch-kilometer bid (HIK3) shall be given a score of 100% and the present value of the other inch-kilometer bids shall be given a score in relation to HIK3 on a pro-rata basis as under-

$$\text{HIK1} = 100 \% \times (\text{IK1} + \text{IK3})$$

$$\text{HIK2} = 100 \% \times (\text{IK2} + \text{IK3})$$

$$\text{HIK3} = 100 \%$$

(D) Number of PNG domestic customers bid in CGD network.

Let,

P1 = Present value of the PNG domestic customers by the 1st entity over the period of exclusivity in terms of the exemption from the purview of the contract carrier or common carrier.

P2 = Present value of the PNG domestic customers of the 2nd entity over the period of exclusivity in terms of the exemption from the purview of the contract carrier or common carrier.

P3 = Present value of the PNG domestic customers of the 3rd entity over the period of exclusivity in terms of the exemption from the purview of the contract carrier or common carrier.

Assume P1 is higher than P2 and P2 is higher than P3.

The highest present value of the PNG domestic customers bid (HP1) shall be given a score of 100% and the present value of the other PNG domestic customers bids shall be given a score in relation to HP1 on a pro-rata basis as under-

$$\text{HP1} = 100 \%$$

$$HP2 = 100 \% \times (P2 \div P1)$$

$$HP3 = 100 \% \times (P3 \div P1)$$

Now, the composite score of three entities shall be computed by assigning the respective weights assigned to each of the bidding criterion as indicated below-

$$\text{Entity 1} = 0.40 \times LN1 + 0.10 \times LC1 + 0.20 \times HIK1 + 0.30 \times HP1$$

$$\text{Entity 2} = 0.40 \times LN2 + 0.10 \times LC2 + 0.20 \times HIK2 + 0.30 \times HP2$$

$$\text{Entity 3} = 0.40 \times LN3 + 0.10 \times LC3 + 0.20 \times HIK3 + 0.30 \times HP3$$

The entity with the highest composite score shall be declared as successful in the bid.

Schedule D

[see regulations 10 (1) and 18 (7)]

Grant of authorization for laying, building, operating or expanding CGD network

To,

<Name of the Successful Bidding Entity>

<Address>

Subject: Grant of authorization for laying, building, operating or expanding CGD network in the authorized area of <____> in the State or the Union Territory of <____> under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008

Sir / Madam,

With reference to your application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding the CGD network in <name of the authorized area> in the State or the Union Territory of <name>, it has been decided to grant you the authorization subject to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the following terms and conditions:

1. The Authorized Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover an area of <__> square kilometers and as depicted in the enclosed drawing.
2. The activities of laying, building, operating or expansion of the CGD Network to commence within a period of _____ days from the date of this authorization.
3. The activities permitted above shall have to be completed as per the approved time schedule enclosed. Any failure on the part of the entity in complying with the milestones prescribed in the time schedule shall lead to consequences as specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

4. The entity shall design and install an optimal size of the infrastructure in terms of pipelines of various types including steel belting of the authorized area, online compressors of adequate capacity for compressing of natural gas into CNG, allied equipments and facilities in the CGD network as identified in its DFR depending upon the potential demand for natural gas. The infrastructure in the CGD network should be adequate to maintain uninterrupted flow of natural gas in the pipelines and be also able to maintain supplies at adequate pressure to online CNG stations.
5. The entity shall maintain an uninterrupted supply of natural gas to all categories of customers in the CGD network. In the event of any disruption in the supply of natural gas in the CGD Network, first priority shall be accorded to restoration of supplies to domestic PNG customers. In case of disruption of supply to domestic PNG customers for more than twelve hours, the entity shall compensate to the domestic customer on the following basis:-
 - (a) the normative volume of natural gas consumption for the first domestic PNG connection for cooking requirements based on last three months weighted average consumption per day to be applied for each day's disruption and multiplied by ten;
 - (b) normative value of natural gas consumption shall be based on last three months' weighted average billing price of natural gas for supplies to the first domestic PNG connection for cooking requirements; and
 - (c) the value of compensation shall be equal to normative volume of natural gas consumption as per clause (a) multiplied by normative value as per clause (b) and shall be adjusted by allowing a credit to the domestic PNG Customer in the next billing cycle or in the next pre-paid smart card in case of smart card metering.

In case the disruption of supplies is attributed to any fault of the domestic PNG customer, no compensation shall be payable by the entity.

6. The entity is allowed an exclusivity period under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in respect of the following:

- (a) _____ months from the date of issue of this communication for laying, building and expansion of the CGD network; and
- (b) _____ months from the date of issue of this communication in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier for the CGD network:

Provided that the entity meets the obligations in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008:

Provided further that the period of exclusivity allowed under sub-clause (a) or sub-clause (b) may be terminated before the expiry of the period mentioned above in line with the provisions under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

- 7. The authorized entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien, charge or hypothecation of the CGD network to secure finances for the project and furnish details of utilization of funds. However, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds within a period of seven days.
- 8. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of one hundred and twenty days from the date of authorization issued by the Board under regulation 10 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

9. The entity shall publish the approved network tariff for transportation of natural gas as well as the compression charge for CNG in the CGD network in the authorized area.
10. The entity shall publish the applicable retail selling price of PNG for all categories of customers and also for the purpose of invoicing in Rs./ MMBTU.
11. The entity shall publish and display the retail selling price of CNG for the purpose of invoicing to CNG customers in Rs./ Kg at all CNG dispensing stations.
12. The furnishing of performance bond of Rs. _____ Million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed targets in the bid and for meeting the service obligations during the operating phase of the project.
13. The entity shall abide by-
 - (a) the service obligations as specified under regulation 14 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
 - (b) the service obligations specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
 - (c) the service obligations specified in Schedule-J to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
 - (d) the quality of service standards as specified under regulation 15 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

14. In case the authorization of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations of the entity to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the CGD network at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the CGD network.
15. The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.
16. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest from time to time.

You are requested to confirm your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorization provided below and return the same in original.

Yours faithfully,

Sd/-

Dated:

Name and Designation of Officer
On behalf of the PNGRB
Official Seal

Acceptance of the Grant of Authorization

I / We hereby accept the grant of authorization issued by the PNGRB vide letter ref. < ___ > dated < ___ > and agree to comply with all the terms and conditions subject to which I / We have been granted the authorization for laying, building, operating or expanding city or local natural gas distribution in the authorized area of _____ in the State or the Union Territory of _____.

Date:

Place:

Signature of the Entity or Authorized Signatory
Name and Official Seal

Schedule-F
[see regulation 13 (1)]

Quarterly submission of data by authorized entity

A. The data and information required to be submitted by the entity in the following form shall be analyzed by the Board by comparing the –

(1) actual progress made by the entity versus the physical and financial targets, identified in its DFR;

(2) actual number of domestic customers connected by PNG versus the numbers committed in the bid or as fixed by the Board for the entities authorized by the Central Government before the appointed day or for the entities laying, building, operating or expanding the CGD network before the appointed day and authorized by the Board in case such entities have sought exclusivity; and

(3) inch-kilometer of steel pipeline actually laid versus that committed in the bid or as fixed by the Board for the entities authorized by the Central Government before the appointed day or for the entities laying, building, operating or expanding the CGD network before the appointed day and authorized by the Board in case such entities have sought exclusivity.

B. Monitoring of the progress shall be taken up by the Board on a quarterly basis and the notice of deviations and shortfalls, if any, shall be sent to the entity on an annual basis for a prompt resolution. In case of any delay in meeting the yearly commitments within the notice period or in case of repeated violations, the entity may face the consequences specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 or under regulation 10 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008, or both.

A	Name of Authorized Entity		
B	Project Name		
C	Date of grant of authorization		
D	Date of commencement of operations		
E	Details of composition of the ownership of the entity (please give details of variations, if any, since the date of authorization)		
F	Self certification by the entity in terms of its compliance with the requirements of regulation 14 (7) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. <u>Note:</u> The Board reserves the right to seek any information or data from the entity, as it may deem to be fit, to satisfy itself to the compliance by the entity.		
G	Financial details (in Rs. Million)		
1	Capital investment		
	(a) Fixed Assets		
	Opening balance		
	Direct additions		
	Transfer from CWIP		
	Deletions, if any		
	Closing balance		
	(b) Capital Work-in-progress (CWIP)		
	Opening balance		
	Additions		
	Transfer to fixed assets		
	Deletions, if any		
	Closing balance		
2	Operating Expenses		
	(a) Consumables and chemicals		
	(b) Utilities - Power and Fuel		

	(c) Salaries		
	(d) Repair and Maintenance		
	(e) General administrative expenses		
	(f) Insurance		
	(g) Any other expenses (to be detailed)		
3	Financial Expenses		
	(a) Interest on working capital borrowings (WCB)		
	(b) Interest on term loans		
4	Depreciation		
5	Revenue Earned		
	(a) Network tariff		
	(b) Compression charge for CNG		
	(c) Marketing of natural gas		
	(d) Other Income - interest, etc.		
6	Loans Status		
	(a) <u>Term Loans</u>		
	Opening		
	Added		
	Repaid		
	Closing		
	(Provide details of each loan - interest rate, moratorium period, term, terms and conditions, etc.)		
	(b) <u>Working capital loans</u>		
	Opening		
	Added		
	Repaid		
	Closing		
	(Provide details of each loan - interest rate, moratorium period, term, terms and conditions, etc.)		
7	Network Tariff and Compression Charges for CNG Charged		
	CNG (Rs./ Kg)		
	Network tariff (Rs./ MMBTU)		
H	Physical details		

1	Quantity of gas transported in the CGD network		
	CNG (in Kg)		
	Residential (in MMBTU and SCM)		
	Commercial (in MMBTU and in SCM)		
	Industrial (in MMBTU and SCM)		
2	Average heat value of natural gas (in MMBTU/ SCM)		
3	Number of customers connected with PNG supplies		
	Domestic		
	Commercial		
	Industrial		
	<u>Note:</u> In respect of PNG domestic customers- a. Actual to be compared with the number committed in the bid or fixed by the Board. b. Action plan of the entity to rectify the shortfall, if any in the next period.		
4	Inch Kilometer of steel pipeline		
	Till last quarter		
	Laid and built in the current quarter		
	Length as at the end of the quarter		
	<u>Note:</u> a. Actual inch-kilometer to be compared with that committed in the bid or as fixed by the Board. b. Action plan of the entity to rectify the shortfall, if any in the next period.		
5	Pipeline length (in Kilometers).		
	Till last quarter		
	Laid and built in the current quarter		
	Length as at the end of the quarter		
	(Provide details for all types of pipelines based on material (steel or PE), diameter, pressure rating, etc.).		
6	Online compression capacity (in cubic meters and number of online compressors).		
	Till last quarter		
	Added now		

	Total as on date		
7	CNG dispensing stations of the entity (in cubic meter of dispensing capacity and number).		
	Till last quarter		
	Added now		
	Total as on date		
	(To be indicated against each type of CNG stations - mother, online and daughter booster stations, etc.).		
8	Project completion status (physical progress and financial commitment in percentage terms) as per approved schedule. Please provide details for each activity as per the approved time schedule to the grant of authorization and reasons for deviation, if any.		
9	CNG Vehicles conversion		
	Provide details of number of vehicles (commercial vehicles, taxis, Auto-rickshaws, private cars, buses, etc.) converted into CNG during the quarter.		
10	Any other information or data as may be prescribed by the Board or may be considered relevant by the entity.		

Date:

Place:

Signature of the Entity or Authorized signatory
Name and official Seal

Note:

The Information and data in the above form should be certified by a Chartered Accountant.

Schedule-F

[see regulation 15 (1)]

Quality of Service Standards**General.**

The purpose of specifying the quality of service standards is to specify the minimum level of performance expected of the entity in laying, building, operating or expanding the CGD network in terms of service to be provided to the customers and other entities. In order to enable the entity to satisfactorily comply with the quality of service standards, other stakeholders, like, customers and other entities are also expected to diligently fulfill certain minimum responsibilities. While the authorized entity shall have to mandatorily comply with the quality of service standards, it may widely advertise the minimum responsibilities expected of the customers and other entities and also incorporate the same suitably in the contracts. The quality of service standards are indicated below:-

1. System upkeep and customer classification.**(1) Entity's responsibility:**

- a) to ensure upkeep of the system as per the technical standards, specifications including safety standards specified under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards at all points of time;
- b) to ensure that the type of customers are classified in terms of prioritization for use of line pack volumes and the order of restoration of supplies in case of disruption or interruption in the CGD network as per the following order of priority:
 - i) domestic PNG customers,

- ii) essential services (hospitals, clinics, milk supplies, etc.),
- iii) CNG customers, and
- iv) Others

The contracts with the customers should accordingly contain a specific clause on dealing with interruptibility in natural gas supplies;

- c) to maintain the quality of natural gas in the CGD network as per the technical standards, specifications and safety standards in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards.

(2) Customer's responsibility:

- a) to ensure safety of equipment and facilities provided by the entity within the premises;
- b) to clearly state the purpose of gas usage and ensure use against the same connection.

2. Request for connection.

(1) Entity's responsibility:

- a) to publish in newspaper and its official website, the roll-out plan for laying, building, operating or expanding the CGD network within the authorized area after authorization for the information of the general public;
- b) to provide connectivity promptly provided the premises of the customer including the route have the necessary safety and statutory clearances;

- c) to explain the terms and conditions of the standard contract to the all categories of customers;
- d) to select safe and best possible route to provide connection;
- e) to ensure every consumption point is installed with a meter;
- f) in case of own reticulated system (in terms of pipelines and metering unit) for all the buildings within the colony or an area, to ensure that the internal pipeline network and equipments comply with the technical standards, specifications and safety standards as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards before supplying PNG. In such a case, the entity shall not take any interest-free security deposit from the customers or charge any network tariff for Last Mile Connectivity.

(2) Customer's responsibility:

- a) to inform the entity of any change in residential status or the ownership status;
- b) to take prior permission of the entity, if any changes are required to be made in the area in the premises having the installation;
- c) to make necessary payment of deposit and sign the contract;
- d) to be responsible for any civil work required for the safety of the pipelines, piping or other facilities and equipments installed by the entity, within customer's premises and not tamper with the same.

3. Metering and billing.

(1) Entity's responsibility:

- a) responsible for installation of the metering equipment at a location which is easily accessible, and the operation, maintenance, inspection, calibration, checking and replacement or removal of the metering equipment;
- b) to publish specifications of the metering equipment for public knowledge;
- c) to raise bill for supply of natural gas as per the terms and conditions of the contract, indicating the network tariff for common infrastructure and for the last mile connectivity, if applicable. The bill should also contain customer name and address, serial number, volume (in MMBTU), price (in Rs./MMBTU), taxes/ levies, amount, due date, etc;
- d) to raise bill for supply of CNG on the entity for dispensing by the latter by separately indicating the network tariff and compression charge for CNG. The bill should also contain customer name and address, serial number, volume (in Kilogram), price, taxes or levies, amount, due date, etc. The dispensing equipment should be capable of converting heat value in to Kg.;
- e) to publicize any price changes or change in metering related activities;
- f) to ensure correct billing;
- g) to ensure authorized representatives with proper identification visit the customer's unit or premises for meter reading on pre-specified days.

(2) Customer's responsibility:

- a) to report about any burnt or damaged meter, piping, equipment or facility or non-reading of meter to the entity immediately;

b) to allow access to the metering unit on meter reading days or during the installation or maintenance or repairs to the equipment and facilities provided by the entity;

c) to ensure payment of dues within specified time.

4. Disconnection of supply.

(1) Entity's responsibility:

a) give proper notice explaining in detail the reason before disconnection;

b) ensure immediate disconnection, if proving hazardous to public safety;

5. Network interruptions.

(1) Entity's responsibility:

a) give due notice to customers for planned maintenance;

b) ensure the earliest possible network resumption after interruption; and

c) ensure prompt recovery from unplanned network interruptions;

(2) Customer's responsibility:

a) inform the entity at the earliest regarding any leakages, broken pipes, etc.;

6. Emergency response handling.

(1) Entity's responsibility:

a) to ensure in-position of the emergency response plan to -

- i) handle emergencies in co-ordination with the police, fire department, local administration and hospitals;
- ii) ensure 24 X 7 manning of emergency cell for handling emergencies;
- iii) put-in place a clear responsibility chart depicting roles for individuals in the times of emergency.

b) ensure availability of disaster management plan, a copy of which should be made available to the Board as well as the local administration.

(2) Customer's responsibility:

- a) inform the entity of any potentially hazardous situation at the earliest;
- b) help the entity's personnel to contain the emergency situation, if required.

7. Information disclosure and customer awareness.

(1) Entity's responsibility:

- a) to provide on request information about the route of pipeline, pipeline capacities and specifications, like, pressure, calorific value of natural gas, etc.;
- b) to educate the customers through customer awareness campaigns on-
 - i) appropriateness of burner configuration of the appliance in getting best results from usage of natural gas;
 - ii) approved make of CNG kit and storage cylinder, list of authorized agencies for installing CNG kit and storage cylinder, safety procedures, proper upkeep and maintenance, regular hydro-testing of

cylinders as per Petroleum Explosive Safety Organization (PESO) norms, etc.

8. Customer handling.

(1) Entity's responsibility:

- a) to advertise toll-free emergency contact numbers and customer care numbers with facility to automatically upgrade the unsettled Customer grievances or complaints to the appropriate supervisory level;
- b) establish a comprehensive customer care system and software to help provide better service to customers. The software should be equipped to handle-

- i) Customer complaints;
- ii) Customer requests;
- iii) Docket number to customers;
- iv) Tracking the progress of request or complaint.

- c) to set-up bill acceptance centers.

9. Maintain database.

Entity's responsibility:

to maintain a credible database management system to handle the data requirements of the Board and also the record of customer complaints received and action taken on the same.

10. Other.

The entity shall continuously endeavour to facilitate increased availability of CNG kits by coordinating with reputed original equipment manufacturers besides also to

liaise with the Government or other development agencies to facilitate setting-up of approved workshops for fitting of CNG kits and periodical testing and certification of the CNG storage cylinders in the authorized area so as to facilitate-

- a) reduction in cost of CNG Kit and the installation cost of the kit and the storage cylinders;
- b) customer satisfaction;
- c) serviceability of the CNG kit and storage cylinder.

Schedule G
[see regulation 16 (1) (d)]

Procedure for the termination of grant of authorization of CGD network

The procedure for implementing the termination of the authorization of the entity to lay, build, operate or expand a CGD network following default by the entity as per the provisions of regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, is as under:

1. On approval of termination of the authorization by the Board, the entity shall be required to submit a detailed statement of the ongoing activities in the CGD network, investments, liabilities and such other information as may be directed by the Board within a period of thirty days from the date of receipt of notice of termination by the entity;
2. The authorized entity shall be required to continue the operations of the CGD network at the same level till such time another agency or entity, as per the decision of the Board, takes over the full control of the CGD network. The Board reserves the right to appoint any other entity or agency to manage and operate the CGD network till such period of time and on such terms and conditions, as it may deem fit;
3. The Board may, in any manner as it deems fit including through an issue of an advertisement, invite expression of interest or bids from entities interested in taking over the management and operation of the CGD network;
4. On receipt of expression of interest or bids, as the case may be, the Board may take an appropriate view on the procedure for evaluation and subsequent grant of authorization and an entity shall be selected to take over the operations of the CGD network from the defaulting entity;
5. The defaulting entity shall have to provide an undertaking to indemnify the newly authorized entity for any liability which may arise later as a result of its past actions;

Schedule H

[see regulation 17 (1)]

Information to be provided for CGD network authorized by Central Government before the appointed day

To,

The Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre
Babar Lane, Connaught Place,
New Delhi – 110 001.

Sub: Information in respect of CGD network in the city or area of _____ in the State or the Union Territory of _____

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part-I – General details of the entity and technical details of the project

1	Details of the entity	
A	Name of the entity	
B	Type of firm – Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify attaching the copy of the articles of association, partnership deed, etc. as the case maybe.	
B	Date of incorporation and date of commencement of business.	
C	Address of registered office.	
D	Name, addresses, telephone numbers, e-mail ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and Pin Code).	
E	Full particulars of the authorization granted by the Central Government for laying, building, operating or expanding the CGD network before the appointed day. Details of NOCs, clearances, etc. considered relevant by the entity to be provided. (copies of the authorization and other documents to be enclosed).	

2	Financial Details	
A	Share capital / Proprietor's own funds	
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.	
C	Reserves, if any	
D	Fixed Assets	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	
G	Sales Turnover	
H	Profit After Tax	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for the last three financial years) - In case the entity is a subsidiary company, copies of the audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for the last three financial years of the parent company to be attached	
3	Business activities of the entity	
A	Original cost and WDV of assets along with year of commissioning, detailed break-up of the operating costs, unit network tariff customer-category wise, average unit compression charge for CNG, average unit transportation cost of cascade mounted CNG systems and retail selling price charged from each category of customers during the last three years, etc.	
B	Details of technical or operational tie-up or collaboration with any other entity for laying, building, operating or expanding of CGD network	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last three years	
4	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of affiliates of the entity mentioning the business relationship ("Affiliate" means as defined in the	

	relevant regulations for affiliate code of conduct).	
C	The entity undertakes to produce all relevant records and documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
D	Is the entity a company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
E	Is the entity promoted by company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
F	The entity undertakes to become a company, in case it is not a company at the time of providing the information herein, under the Companies Act, 1956 on grant of exclusivity under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.	Yes / No
5	Technical details of the CGD network	
A	Name of the CGD network	
B	Wards in the municipalities and charge area identified by the entity for the CGD network along with a physical map indicating all the existing and proposed facilities	
C	Technical specifications of the existing infrastructure in the CGD network, comparison with projections in the DFR and reasons for variation. (Attach copy of the feasibility report and provide full details regarding pipelines design pressure, diameter, thickness, class, etc., area of the CGD network, route, pipeline corrosion protection arrangements, city gate stations, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, odourization facilities, metering arrangements, CNG infrastructure, HSE measures, etc.	
D	Development plan envisaged for the project - design & installed capacity of the CGD network along with	

	details of phased-out capital expenditure plans including the time-lines and the projected dates of commencement of operations phase-wise. Complete details of the activities and targets associated with the completion of the Project to be enclosed.	
E	Year-wise growth achieved in physical infrastructure along with value till the appointed day. Details of number, length and type of pipelines laid and number and type of connections provided to customers and CNG infrastructure in terms of online compression capacity and number and dispensing facilities along with allied infrastructure in existence to be provided.	
F	i) Volume of natural gas transported in the CGD network and sold (Customer category-wise including CNG) during the period till the appointed day. ii) Reasons for variations in actual volumes transported and sold versus the projections in the DFR. iii) Volume of natural gas proposed to be transported and sold on an annual basis during the rest of the economic life of the project for each category of customer. Also, give details of customer tie-up, if any. Volumes to be indicated in SCM (or in Kg in case of CNG). The conversion factors for conversion of volume or weight of natural gas or CNG into MMBTU to be provided.	
G	Number of customers connected by PNG category-wise and year-wise and reasons for variation with the projections in the DFR	
H	Sources of supply of natural gas and capacity tie-up with the entity owning and operating natural gas pipeline including existing or any proposed connectivity. Details of the natural gas	

	source tie-up to be provided phase-wise. Please enclose copies of the gas purchase-sale agreement or Memorandum of understanding or Heads of Agreement, as the case maybe.	
I	Demand assessment over the economic life of project – estimated yearly demand for each category of customers.	
J	Time schedule for phase-wise completion of the project from the date of commencement of operations. (Complete details of all the activities associated with the completion of the project to be provided separately)	
K	Whether the State, in whose jurisdiction the CGD network is located, has enacted any legislation or taken any administrative action to promote the use of natural gas in the said city or area? If the reply to the question is yes, then, provide copy of the said enactment or the administrative order.	Yes / No
L	Are all applicable technical standards, specifications including safety standards under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards been considered and complied with while designing, laying, building, expanding or operating the CGD network? Provide details.	
M	Attach copy of the Disaster Management Plan in place.	
N	Is the project entitled to any subsidy or entitled for any exemption or deferment or waiver of any statutory levy from the Central or the State Governments? If yes, give complete details indicating the year-wise utilization plan of the entity.	Yes / No
O	Has the entity availed any period of exclusivity for laying, building, operating or expanding the CGD network till the appointed day?	
P	Details of approved capital expenditure plans? What is the	

	percentage of year-wise actual capital expenditure during the last three years to the projected capital expenditure in the DFR and reasons for variation, if any? (The data is required to be provided for last three financial years and for the period till the appointed day)	
Part-II: Any other submission considered as relevant by the entity		
Part-III: Detailed justifications for seeking exclusivity for laying, building, operation or expansion of CGD network under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. (see note below)		
A	Justification for seeking exclusivity in laying, building or expansion of the CGD network. Please indicate the period of exclusivity sought. Data, analysis and documents in support of the argument may be provided as attachments.	
B	Justification for seeking exclusivity in terms of seeking exemption from the purview of common carrier and contract carrier. Please indicate the period for which the exemption is sought.	-do-
Note: 1) In case the entity applies for exclusivity under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the Board grants the exclusivity, the targets to be achieved by the entity shall be as fixed by the Board in terms of the clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 8 under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008; and 2) The Board shall monitor the actual progress against the targets fixed for the entity, on a quarterly basis, and take further action in case of any deviation or shortfall determined on an annual basis in the manner as indicated in Schedule E.		

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the Annexure and statements are

correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, I / We shall be liable for proceeding and for punishment under the provisions of the Act.

2. I/ we also undertake to provide any further information or data as may be required by the Board within the stipulated time.

Date:

Place:

Name and Signature of Authorized Signatory

Official Seal

Instructions for providing information:

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement shall be provided giving clear reference of the point against which the same is being attached.
3. All pages of the information format and all annexure, statements, etc need to be serially numbered and initialed by the person or official authorized by the applying entity through a notarized Power of Attorney.
4. Any information or data filled in the information format needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The information format is required to be submitted in five copies with all the enclosures in addition to the original.
6. Incomplete information format is liable to be summarily rejected.

Schedule I
[see regulation 18 (1)]

**Application for grant of authorization for CGD network to entities not authorized by
Central Government**

To,
The Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre
Babar Lane, Connaught Place,
New Delhi – 110 001.

Sub: Application for grant of authorization for City or Local Natural Gas Distribution project in the city of _____ in the State or the Union Territory of _____

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

General details of the entity and technical details of the project		
1	Details of the entity	
A	Name of the Entity	
B	Type of firm – Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others attaching the copy of articles of association, Partnership deed, etc. if any.	
C	Date of incorporation and date of commencement of business.	
D	Address of registered office.	
E	Names, addresses, telephone numbers, e-mail ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and Pin Code).	
2	Information/ data to be provided by the entity in support of the eligibility criteria as specified under sub-regulation (2) of regulation 18.	
A	Non-refundable application fee under regulation 5 (6)(a)	Rs. < _____ >
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order no. & date	
	Name of issuing bank and branch	
B	Entity is technically capable of laying and building CGD Network	
	Documentary evidence in support of	

	the technical capability of the entity in terms of the qualifying criteria under regulation 5 (6) (b) (i) to (iv) to be attached.	
C	Entity is technically capable of operating and maintaining a CGD Network.	
	Documentary evidence in support of the technical capability of the entity in terms of the qualifying criteria under regulation 5 (6) (c) (i) to (iv) to be attached.	
D	Entity agrees to abide by the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards.	Yes/ No
E	Entity has adequate financial strength to execute the proposed CGD project, operate and maintain the same in the authorized area and meets the financial criterion in terms of having a minimum combined net worth as specified under regulation 5 (6) (e). Note: All documents in support of the calculations of the minimum combined net worth duly certified by a Chartered Accountant to be attached.	
F	Has any penalty been imposed on the entity under section 28 or punished under Chapter IX of the Act? In case the answer is yes, please submit full details.	Yes/ No
G	Copies of all the necessary statutory clearances, permissions and no objection certificates obtained by the entity from the Central and State Governments and other statutory authorities as applicable for the proposed CGD project to be attached.	
H	In case entity is not registered as a company under the Companies Act, 1956, the entity undertakes to become a company registered under the Companies Act, 1956 on grant of authorization. Full details of the promoters of the entity to be provided.	Yes/ No

	Note: In case the entity seeks an exemption from registering under the Companies Act, 1956, detailed justifications shall be submitted to the Board.	
I	Details on Financial and Physical progress	
	i) Copy of the approved DFR of the project to be attached. Note: The entity shall also enclose the documentary proof of the formal approval of the DFR of the project by its management.	
	ii) Has the DFR of the proposed CGD project for which authorization is being sought been appraised by any financial institution?	Yes/ No
	iii) Does the DFR of the proposed CGD project specify the geographical area proposed to be covered? In case the answer is yes, please specify the size of the geographic area proposed and also enclose the map depicting the same.	Yes/ No
	iv) Details in the DFR in terms of year-wise coverage of PNG domestic connections and CNG compression facilities	
	v) Extent of physical progress in laying and building the proposed CGD network achieved by the entity till the day immediately before the appointed day as against the total physical activities proposed in the DFR. Note: The onus of proving the physical progress actually made by the entity lies with the entity and the entity shall submit all necessary documentary proofs in support.	<in percentage terms>
	vi) Extent of financial commitment actually made by the entity in the	<in percentage terms>

	proposed CGD network till the day immediately before the appointed day as against the estimated capital expenditure identified in the DFR. Note: The onus of proving the financial commitment actually made by the entity lies with the entity and the entity shall submit all necessary documentary proofs in support.	
J	Arrangements for erecting the CGS	
	i) Has the entity arranged the land by way of acquisition or lease for erecting the proposed CGS? If yes, please submit the documentary proof.	Yes/ No
	ii) Whether the necessary equipment for erecting the CGS already procured? If yes, please submit documentary proofs.	Yes/ No
K	Entity shall enclose the copies of the internal procedures and guidelines as approved by its management prescribing the basis of compliance by the entity to any technical standards, specifications, including safety standards and the quality of service to customers, if any.	
L	Entity shall enclose copies of the agreement in support of having made firm arrangements for supply of natural gas to meet the demand in the proposed CGD network.	
M	Any other information or data including any documentary proof considered relevant by the entity for consideration of the Board or as may be specified by the Board shall also be provided.	
3	Financial details	
A	Share capital / Proprietor's own funds	
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.	
C	Reserves, if any	
D	Fixed Assets	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	

G	Sales Turnover	
H	Profit after Tax	
	(Attach copies of audited Profit & Loss Account and Balance Sheet for last three financial years) - In case entity is a subsidiary company, copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years of the parent company to be attached.	
4	Business Activities of the entity	
A	Original cost and WDV of assets along with year of commissioning, detailed break-up of the operating costs, unit network tariff customer category wise, average unit compression charge for CNG, average unit transportation cost of cascade mounted CNG systems and retail selling price charged from each category of customers during the last three years, etc.	
B	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last three years.	
5	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning the business relationship between the entity and "Affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct.	
C	The entity undertakes to produce all relevant records and documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
D	The entity undertakes to abide by the relevant regulations for affiliate code of conduct.	Yes / No
6	Technical details of the CGD Network	
A	Name of the CGD network	
B	Wards in the municipalities and charge area identified by the entity for the CGD network alongwith a physical map indicating all the existing and proposed facilities.	

C	Technical specifications of the existing infrastructure and a comparison with that projected in the DFR and reasons for variation, if any. Indicate full details regarding the pipelines design pressure, diameter, thickness, class, etc., area of the CGD network, route details, pipeline corrosion protection arrangements, city gate stations, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, odourization facilities, metering arrangements, CNG stations, HSE measures, etc.	
D	Development Plan envisaged for the project - design and installed capacity of the CGD network along with details of phased-out capital expenditure plans including the time-lines and the projected dates of commencement of operations phase-wise. Complete details of the activities and targets associated with the completion of the project to be enclosed.	
E	Year-wise growth achieved in physical infrastructure along with value. Details of number, length and type of pipelines laid and number of connections customer over their types and CNG infrastructure in terms of online compression capacity and number of dispensing facilities along with allied infrastructure in existence to be provided. Gross and Net block value to be indicated over each asset-head.	
F	i) Volume of natural gas transported in the CGD network and sold customer category-wise, including CNG during last year-years till the appointed day. ii) Reasons for variations in actual volumes transported and sold versus the projections in the DFR. iii) Volume of natural gas proposed to be transported and sold on an annual basis during the rest of the economic life of the project for each	

	category of customer. Also, give details of customer tie-up, if any. Volumes to be indicated in MMBTU and also in SCM for PNG and in Kg for CNG. The conversion factors for conversion of volume or weight of natural gas or CNG into MMBTU to be provided.	
G	Number of customers provided with PNG connection category-wise and year-wise and reasons for variation with the projections in the DFR, if any.	
H	Capacity tie-up with the entity owning and operating natural gas pipeline including existing and proposed connectivity.	
I	Demand assessment over the economic life of the project – estimated yearly demand for each category of customer.	
J	Time schedule for phase wise completion of the project from the date of commencement of operations. Complete details of all the activities associated with the completion of the project to be provided separately.	
K	Whether the State, in whose jurisdiction the CGD network is located, has enacted any legislation or taken any administrative action to promote the use of natural gas in the said city? If the reply to the question is yes, then provide copy of the said enactment or the administrative order.	Yes / No
L	Whether applicable technical standards, specifications including safety standards under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards been considered and complied with while designing, laying, building, operating and expanding the CGD network? Provide details.	
M	Copy of Disaster Management Plan to be attached.	
N	Is the project entitled to any subsidy, tax waiver or exemption or deferment from the Central or State Government?	Yes / No

	If yes, give details.	
O	Has the entity availed any period of exclusivity for laying, build, operate or expand the existing CGD network?	
P	Details of approved capital expenditure plans? What is the percentage of year-wise actual capital expenditure to the projected capital expenditure in the DFR during the last three years and reasons for variation, if any?	
Part-II: Any other submission considered as relevant by the entity with regards to the application for grant of authorization for CGD network by the Board		
Part-III: Detailed justifications for seeking exclusivity for laying, building, operation or expansion of CGD network under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. (see note below)		
A	Justification for seeking exclusivity in laying, building or expansion of the CGD network. Please indicate the period of exclusivity sought.	Data, analysis and documents in support may be provided
B	Justification for seeking exclusivity in terms of seeking exemption from the purview of common carrier and contract carrier. Please indicate the period for which the exemption is sought.	-do-
Note: 1) In case the entity applies for exclusivity under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the Board grants the exclusivity, the targets to be achieved by the entity shall be as fixed by the Board in terms of the clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 8 under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008; and 2) The Board shall monitor the actual progress against the targets fixed for the entity, on a quarterly basis, and take further action in case of any deviation or shortfall determined on an annual basis in the manner as indicated in Schedule E.		

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information given as Annexure and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated, and if any statement made

herein is found to be incorrect, the application shall be rejected, the application fee shall be forfeited and I / We shall be liable for proceeding and for punishment under the provisions of the Act.

2. I / We also undertake to furnish a Performance Bond, which may be prescribed by the Board.
3. I / We certify that this is the only application submitted and no other application has been or is being separately submitted for this city or geographic area.

Date :

Place :

Name and Signature of entity or authorized signatory

Official seal

Instructions for filling the Application form:

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement may be provided giving clear reference of the point against which the same is being attached.
3. All pages of the application form and all annexure, statements, etc need to be initialed by the person or official authorized by the applying entity through a notarized Power of Attorney.
4. Any information and data filled in the application form needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The entity is required to submit five copies of the application with all the enclosures in addition to the original.
6. Incomplete application is liable to be summarily rejected.

Schedule J

[see clause 13 (c) of the form of grant of authorization in Schedule D]

Service Obligations of an Entity**1. General.**

- a) The entity shall obtain all statutory permits, clearances and approvals from the concerned approving authorities and shall at all times ensure the validity of said permits, clearances and approvals.
- b) During the continuance of the authorization, the entity shall supply natural gas to the city and its inhabitants in accordance with the terms of this authorization, charge the approved tariff, not change the domestic PNG price for the end customers by more than once in a quarter and abide by the extant rules and regulations, including such revisions as the case may be.
- c) The entity shall enter into a firm agreement for delivery of natural gas till the city gate station for such quantity and period of time, as shall be necessary for ensuring an uninterrupted supply in the CGD network.
- d) The entity shall put in place appropriate systems and procedures for-
 - i) protection of its property;
 - ii) prevention of loss and waste in the operation of the network;
 - iii) safe operation of network following the technical standards and specifications including safety standards as notified by the Board;
 - iv) addition of odorant to natural gas as a safety requirement;
 - v) undertaking periodic safety awareness campaigns;
 - vi) sale and distribution of natural gas;

vii) redressal of Customer grievances;

viii) specifying obligations of customers and distributors; and

ix) extension of the CGD network.

A documented copy of the said systems & procedures shall be provided by the authorized entity to the Board and shall widely publish the same in the interest of general public. Modifications, if any, suggested by the Board shall be carried out by the entity.

e) The entity selling natural gas to a customer shall:

i) provide all relevant information with regards to the delivered price of natural gas including the tariff to be paid for using the CGD network and other relevant terms proposed in the contract;

ii) not exert any undue pressure on the customer for shifting to natural gas usage;

iii) not make any offer for supply of natural gas conditional on the Customer availing any non-regulated service; and

iv) not make any representation or statement or give any answer or take any measure that is false or is likely to mislead a customer.

f) The entity shall enter into contract with its proposed customers with appropriate clauses to ensure compliance to the obligations specified in clause 1d) as well as with respect to the following:-

i) the time period for the validity of the contract; and

ii) frequency of billing or smart-card based pre-paid gas supply system.

g) The entity shall insure all the assets used in the business of city gas distribution and the insurance policy, in this regard, shall also cover third party liabilities.

2. Construction, operation and maintenance.

- a) The entity shall not undertake any excavation or related work which shall disturb or interfere with the surface of the traveled portion of any road or highway unless a permit for the same has been first obtained from the approving agencies of the city or local administration and all works subsequently undertaken by the entity up to and including the restoration work shall be carried out to the satisfaction of the city or local administration.
- b) The entity shall not deviate from the permission granted in clause 2 a) without the prior approval of the approving agencies of the city or local administration.
- c) The entity shall, in the construction, maintenance and operation of the city or local natural gas distribution system, use all reasonable precaution to avoid damage or injury to any person or property. The entity shall further be liable for any loss, injury or damage attributed to the negligence of the entity or its agents and also indemnifies the affected parties.
- d) The entity shall establish a centralized control room for monitoring and control of the CGD network and be responsible for operationalizing the disaster management system.
- e) The entity shall put in place a supply chain management system including natural gas accounting system.
- f) The entity shall furnish on regular basis to the city or local administration, the map including detailed "as built" drawings, accurately depicting the size, depth and location of pipelines, related equipment, location of marker posts indicating the route, pipeline gradient, etc. of the CGD network and regularly update the same for any change, addition or deletion.
- g) The entity shall ensure that main pipeline, service pipelines and all other associated equipment are installed in such a manner so as not to obstruct or interfere with the use of a public or private drain, sewer, water pipe, or other public utility already installed including street, alley, avenue, road and other

public place in the city and take requisite permissions from the authorities concerned.

- h) In the event of the city proposing to construct, change or repair any water main, sewer, pipe, drain or other public improvement or change the status of any of its street, alley, road or public ground which is being used by the entity for its main pipeline or related equipment, then, the entity shall be under an obligation to raise, lower or relocate its facilities at its own expense.
- i) The entity shall ensure compliance of all necessary quality checks and inspection certification before providing connectivity to any gas delivery system.
- j) The entity shall properly purge, isolate, blind or dismantle any gas pipeline segment, equipment etc, which is not in use for long time or has been abandoned, so as to ensure complete safety and necessary modifications shall be carried out in the maps and drawings.
- k) The entity shall have proper systems and procedures including designated facilities for the purpose of undertaking inspection, testing, calibration and repair of meters and equipments etc.
- l) Any other service obligation, which the Board shall specify in consultation with city or local Administration.
- m) Put in position the disaster management plan including mutual aid system and offsite or onsite emergency plan.

3. Services and database to be maintained by the entity.

- a) The entity shall have a current mailing address and telephone numbers of its offices in the authorized area where the city gas distribution network is being set-up and operated.
- b) The entity shall maintain a database and provide to the Board on request details of:
 - i) the customers;

- ii) the contracts with the customers;
- iii) contract renewal or extension;
- iv) vehicles converted into CNG along with identification details of CNG kit and cylinder installed in the vehicle.

4. Confidentiality of customer information.

a) The entity shall not disclose Customer information to any person other than the Board without the consent of the Customer in writing except when the information has been sufficiently aggregated such that an individual customer's information cannot be separately identified or where the customer information is required to be disclosed:

- i) for billing or market operation purposes;
- ii) for law enforcement purposes; and
- iii) when past due accounts of the customer have been transferred to a debt collection agency.

b) The entity shall inform customers regarding the conditions described in clause 4 a) under which customer information may be released to a third party without the customer's consent.

c) The entity shall not use customer information obtained for a purpose other than for which it was obtained.

5. Complaints.

a) The entity shall provide the addresses and telephone number of its customer service centre for lodging of any complaint and widely advertise the same from time to time.

- b) The entity shall make all reasonable efforts in resolving the complaints received in a time bound manner.
- c) The entity shall maintain an automated system of registering complaints received, details of the actions taken on the same and provide on a monthly basis, to the Board, the details of:
- i) complaint received by the entity or referred to by the Board;
 - ii) method and time of disposal of complaint;
 - iii) complaint pending for redressal; and
 - iv) comment on the quality of service provided by the entity and suggestions, if any.

[F. No. S-Admn/II/8/2007-Vol. I]

AJAY TYAGI, Secy.

< Secretary